पंचम माला, खंड 23, अंक 8. बुधवार, 28 फरवरी, 1973/9 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 8. Wednesday, February 28, 1973/Phalguna 9, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 28 फरवरी, 1973/9 फाल्गुन, 1894 (शक)
No. 8, Wednesday, Feb. 28, 73/Phalguna 9, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता॰ प्र॰ संख्या S. Q. Nos.		
121. पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Regions during Fifth Plan.	1—4
122. रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना	Plan to Provide Jobs to unemployed persons Registered with the Employment Exchanges.	4—7
123. देश में क्षेत्रीय असमानताएं	Regional Disparities in Country	7—10
124. केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी योजना के परिव्यय को बढ़ाना	Stepping up of Fourth Plan Outlay by the Central Government	10—12
125. कोटा को हवाई डाक सेवा के अन्तर्गत लाना	Inclusion of Kota Under Air Mail Service	12
127. पांचवीं योजना के दौरान विदेशी जानकारी का आयात	Import of Foreign Know how during Fifth Plan	12—15
129. पांचवीं योजना के अन्त तक बेरोजगारी की स्थिति के अत्यधिक बिगड़ने की आशंका	Worsening of Employment Situation at the end of Fifth Plan	15—18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
126.	आगामी दो वर्षों में सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) केन्द्रों की स्थापना	Micro Wave Stations in next two Years	19
128.	राज्यों को केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी फार्मूले के पुनरीक्षण के बारे में राज्यों का अनुरोध	Request by States for Revision of Formula of Central Assistance to States.	19
130.	विश्व की उत्कृष्ट फिल्मों का टेलीविजन पर दर्शाया जाना	World Film Classics over T.V.	19—20
131.	सरकारी खर्च पर राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय पत्रकार	Indian Journalists attending U.N. General Assembly Session at Government Expense.	20
132.	ऊर्जा नियोजन के लिए एक संस्थान की और एक राष्ट्रीय पोषण आयोग की स्थापना	Setting up of an Institute for Energy Planning and a National Nutrition Commission.	20—21
133.	प्रौद्योगिकी के लिए नीति बनाने में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का योगदान	Indian Science Congress's Share in the Formulation of Policy for Technology	21
134.	मैसूर में उद्योगों को विस्तार के लिए दी गई अनुमति का वापस लिया जाना	Withdrawal of Permission for Expansion of Industries in Mysore	21—22
135.	छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के लिये समाचार-पत्र वित्त निगम	Newspaper Finance Corporation for Small and Medium Newspapers	22
136.	स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये बोर्डों की	Instructions to States regarding setting up of Boards to deal with	22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	स्थापना के बारे में राज्यों को निर्देश	the Welfare Problems of Freedom Fighters	
137.	मैसूर में टेलीफोन-सुविधाएं उपलब्ध कराया जाने वाले गांव	Villages in Mysore to be Provided with Telephone Facilities	22—23
138.	लाईसेंस के लिए तमिलनाडु से आवेदन-पत्र	Applications from Tamil Nadu for Licence	23
139.	गैर-वित्तीय सरकारी लिमिटेड कंपनियों में मजूरी बिल और उत्पादन शुल्कों का अनुपात	Ratio of Wage Bill Excise Duties in Non-Financial Public Limited Companies	23—24
140.	रेडियों पर वाणिज्यीक विज्ञापन प्रसारित करने से आय	Income from Commercial Advertisements Over Radio	24—25

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

1201.	खादी भवनों द्वारा बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा बिक्री कर का लगाया जाना	Imposition of States Tax on certain products sold by Khapi Bhavans by Delhi Administration	25
1202.	पुलिस विभाग का विस्तार करने और उसे सुधारने के लिए असम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Assam for improving and exapanding Police Department	25—26
1203.	अवर सचिवों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकारियों की तालिका	Panel of Officers for Appointment as Under Secretaries	26
1204.	सिलेक्शन ग्रेड अधिकारियों को निदेशकों/संयुक्त सचिवों के रूप में पदोन्नत करने के लिए पैनल	Panels for Promotion of Selection Grade Officers as Directors/ Joint Secretaries.	26—27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1205.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिये सिलेक्शन ग्रेड में पदोउन्नति के लिए तालिका	Panel for Promotion to the Selection Grade of Central Secretariat Service	27
1206.	दिल्ली में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट तथा डाक व तार महानिदेशालय में 8 वर्ष से कार्य कर रहे अधिकारी	Stay of Officers in Delhi Telephone District and D. G. P. & T. for eight years in Delhi	28
1207.	एक से अधिक टेलीफोन उपकरण के लिये डाक व तार अधिकारियों की हकदारी	Entitlement of P & T Officers to more than one Telephone Instrument.	28—29
1208.	राज्यों में राज भवनों के व्यय में कटौती	Reducing expenditure on Raj Bhavans in States	29
1209.	आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के लिए जनमत प्राप्त करना	Holding a plebiscite for bifurcation of Andhra Pradesh	29
1210.	टेलीविजन लाइसेंस फीस को घटाना	Reduetion in T.V. Licence Free	29—30
1211.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रियायती डाक-भार	Concessional Postage for Hill Areas	30
1212.	केरल में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र में उत्पादन	Production in Central Production Centre, Kerala	30
1213.	केरल में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों में कच्चे माल का आबंटन	Allotment of Raw Material to Central Government Production Centres in Kerala	30—31
1214.	बिहार राज्य में भूतिगत हुए पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistani Nationals gone underground in Bihar State	31
1215.	आसाम राज्य से भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निकाला जाना	Deportation of underground Pakistani Nationals from Assam State	31—32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1216.	सेवानिवृत्ति आयु को 58 से घटाकर 55 वर्ष करने के बारे में राज्यों को योजना आयोग का सुझाव	Planning Commission's Suggestion to States to reduce the Retirement Age from 58 to 55	32
1217.	1973-74 के दौरान बेरोजगारी का निवारण	Removal of Unemployment during 1973-74.	32
1218.	पांचवीं योजना के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Fifth Plan	32
1219.	संचार मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भरे गये पद	Posts filled by S.C. and S.T. in the Ministry of Communications	33
1220.	ऊर्जा आयोजना के लिये संस्थान की स्थापना	Setting up of Institute for Energy Planning	33
1221.	काल्सीनेटिड पेट्रोलियम कोक की मांग	Demand for Calcinated Petroleum Coke	33—34
1222.	आसाम को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने के लिए अनुरोध	Request to declare Assam as an Industrially Backward State	34—35
1223.	आसाम के पिछड़े-क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना	Setting up of Industries in Backward Areas of Assam	35—36
1224.	तमिलनाडु मंत्रिमण्डल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of Corruption against Tamilnadu Ministry	36
1225.	दिल्ली टेलीविजन कार्यक्रम में वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ से सम्बन्धित व्यक्तियों को बार बार अवसर देना	Frequent appearance of persons connected with world Assembly of Youth in Delhi T. V. Programmes	36—37
1226.	तमिलनाडु राज्य सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच कराने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Tamilnadu Chief Minister regarding instituting an Enquiry into the charges against State Ministers.	37

अताo प्रo संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.			Pages
1227.	नई दिल्ली में एकेशिया सम्मेलन की बैठक	One Asia Assembly meet in New Delhi	37—38
1228.	केरल से उपमण्डल अधिकारी (फोन) द्वारा कथित जाली जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना	Alleged Production of Fake Community Certificate by S. D. O. (Phones) Kerala	38
1229.	केरल के अखबारी कागज के प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दुस्तान कागज निगम में नौकरियां	Jobs to Kerala News Print Trainees in Hindustan Paper Corporation	38—39
1230.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में इन्जीनियरिंग स्नातकों की भर्ती	Recruitment of Engineering Graduates in N.I.D.C.	39
1231.	हड़तालों तथा तालाबन्दी के बारे में पश्चिमी बंगाल का प्रस्तावित अध्यादेश	Proposed West Bengal Ordinance on Strikes and Lock-outs	39—40
1232.	राजधानी में अनेक भारत-मैत्री संगठनों का अस्तित्व में आना	Springing up of Mushroom Indo-Friendship Associations in Capital	40—41
1233.	राज्यों में बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in Unemployment in States	41
1234.	निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे विदेशी	Foreign Nationals overstaying in India	41—42
1235.	हड़तालों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अध्यादेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रमिक संघों की हस्ताक्षेप करने की मांग	Intervention sought by Central Trade Union on proposed West Bengal Ordinance on Strikes.	42
1236.	अधिकाधिक रोजगार देने हेतु संसाधनों का उपयोग किया जाना	Utilisation of Resources to Provide more Jobs	42
1237.	वैज्ञानिकों में बेरोजगारी	Unemployment among Scientists	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1238.	बेरोजगारी में वृद्धि को रोकना	Stopping of growth of unemployment	43
1239.	बिहार में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए योजनाएं	Schemes for Unemployed Persons in Bihar	43
1240.	चौथी योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार	Edueated Unemployed provided with Jobs in Fourth Plan	44
1241.	वर्तमान न्यूज एजेंसियों की स्वामित्व पद्धति	Ownership Pattern of Existing News Agencies	44
1242.	अधिक रोजगारों के लिये प्रावधान	Provision for more Jobs	44—45
1243.	"बैक्टीरियल लीचिंग" तकनीकी द्वारा अयस्कों से धातुओं का निकाला जाना	Extraction of Metals from Ores by "Bacterial Leaching" Technique	45
1244.	बिहार में बेरोजगारी	Unemployment in Bihar	46—47
1245.	राजस्थान नहर के पश्चिमी, तट पर स्थिति बीरध्वाल गांव से पाकिस्तानी गोला बारुद और शस्त्रास्त्रों का पकड़ा जाना	Recovery of Pakistani Arms and Ammunitions from Birdhwal village in the West Bank of Rajasthan Canal	47—48
1246.	भारत और चैकोस्लोवाकिया में व्यापार	Trade between India and Czechoslovakia	48
1247.	तीसरे वेतन आयोग द्वारा आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर बिचार	Consideration of Pay Revision of Staff Artistes of A.I.R. by Third Pay Commission	49
1248.	पिछड़े राज्यों का विकास	Development of Backward States	49
1249.	केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त योजनाओं के माध्यम से इन्जीनियरों तथा तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाभ	Benefit to Engineers and Technical Trained Persons through Central subsidy Schemes	49—50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1250.	संकट ग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills	50
1251.	दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation	50—51
1252.	विभिन्न क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग के अध्ययन के लिए पैनल	Panel to Study Indo-Soviet Collaboration in various Fields	51
1253.	कपड़ा मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेना	Take over of Textile Mills	51—52
1254.	आगरा में चमड़ा उद्योगों का बन्द होना	Closure of Leather Industries in Agra	52—53
1255.	गरीबी के स्तर से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees living below Poverty Line	53—54
1256.	उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of Hill Districts of U.P.	54
1257.	हरिजनों के लिए भू-अधिग्रहण की द्रुत योजना के अन्तर्गत राशि मंजूर करना	Amount Sanctioned under Crash Scheme for Land Acquision for Harijans	54—55
1258.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक के पुरः स्थापन में विलम्ब	Delay in Introduction of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	56
1259.	धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Dhobi Community in the List of Scheduled Castes	57
1260.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन त्रिपुरा में गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित आश्रम स्कूल	Ashram Schools Run by Private Agency in Tripura under Centrally Sponsored Schemes	57—58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1261.	त्रिपुरा में जनजाति विकास खण्डों में नियुक्त अधिकारी	Officers employed in Tribal Development Blocks in Tripura	57
1262.	नगरीय द्रुत रोजगार कार्यक्रम	Urban Crash Employment Programmes	57
1263.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आयुक्त को सूचित किये गये हरिजनों पर अत्याचार के मामले	Atrocities on Harijans reported to Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Tribes	57—58
1264.	भूमि सुधार विधानों और उन पर राष्ट्रपति की अनुमति के बीच का समयान्तर	Time Lag between Land Reform Legislation and President's Assent	58
1265.	अनुसूचित जातियों की सूची में खरवाड जाति का शामिल किया जाना	Inclusion of Kharwar Community in the list of Scheduled Castes	58—59
1266.	पांचवीं योजना की अवधि में नए जनजाति विकास खंडों की स्थापना	Setting up of New Tribal Development Blocks during Fifth Plan period	59
1267.	कच्चे माल के मूल्यों पर रोक लगाना	Freezing the Prices of Raw Materials	59
1268.	टेलीफोन उपकरणों की 35,000 लाइनों के लिए 27 करोड़ रुपये का ठेका देना	Award of 27 Crore Contract for 35.000 Lines of Telephone Equipment	60
1269.	केरल के समुद्र तट पर खनिज बालू का पता लगाना	Exploitation of Mineral Sands at the Sea Coasts of Kerala	60
1270.	राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाना	Convening the Meeting of the National Integration Council	60—61
1271.	एकाधिकार गृहों को आशय पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent to Monopoly Houses	61—62
1272.	दिल्ली में एकेशिया असेम्बली की बैठक	Meeting of One Asia Assembly in Delhi	63—64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1273.	पांचवीं योजना के लिए प्रौद्योगिकी का आयात	Import of Technology for Fifth Plan	64
1274.	राजस्थान में टेलीवीजन केन्द्रों का खोला जाना	Opening of T.V. Centres in Rajasthan	65
1275.	बड़े उद्योग गृहों से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र	Applications from Large Houses for Setting up Industries in Backward Areas	65
1276.	जयपुर सर्किल कार्यालय में काम कर अजमेर डिवीजन की रेलवे मेल सेवा के कर्मचारी	R. M. S. Employees from Ajmer Division working in Circle Office Jaipur	66
1277.	टेलीफोनों को बीच में सुनने (टैपिंग) सम्बन्धी नियम	Rules Governing Tapping of Telephones	66—67
1278.	देश में परमाणु बिजली घरों की स्थापना करना	Setting up of Atomic Power Houses in the Country	67—68
1279.	भारी पानी का आयात	Import of Heavy Water	68
1280.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं	Joint Sector Projects under Fifth Five Year Plan	68—69
1282.	भारत में विदेशी फिल्म समारोह	Foreign Film Festival in India	69
1283.	केरल में दूर संचार सुविधाएं	Telecommunication facilities in Kerala	69—70
1284.	दिल्ली में न्यायालयों में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा चलाए गए मुकदमें	Prosecutions launched by Registrar of Newspapers in Delhi Courts	70
1285.	बिक्री संख्या को बढ़ा चढ़ा कर बताने के दोषी समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	Newspapers and Periodicals guilty of Exaggerated Circulation Claims	70—71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1286.	रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केब्लस लिमिटेड में उत्पादन	Production in Hindustan Cables Ltd., Rupnarainpur	71—72
1287.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	Hindustan Photo Films Mfg. Co., Ltd.,	72
1288.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए विशेष परीक्षा	Special I.A.S. Examination	72—73
1289.	मछलियों के परिरक्षण के लिए मार्गदर्शी किरणीयन संयन्त्र	Pilot irradiation Plant for preservation of Fish	73
1290.	डाक अनुसंधान संगठन	Postal Research Organisation	73—74
1291.	समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बन्द करने पर भारतीय समाचार पत्र परिषद् द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की निन्दा करना	Censure by Press Council of India for withholding of Central and State Governmenis Advertisements to Newspapers	74
1292.	इन्जीनियरों और तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की केन्द्रीय राज सहायता योजना	Central Subsidy Scheme for Training Engineers and Technical persons	75
1293.	प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और पौलिश प्रेस एजन्सी के बीच समझौता	Agreement between P.T.I. and Polish Press Agency	76
1294.	मूल प्रशासनिक सुधार सुलझाने के लिये अनुसचिवीय समिति का गठन	Ministerial Committee for suggesting Basic Administrative Reforms	76
1295.	मैसूर के पिछड़े क्षेत्र के जिलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता	Financial Aid for Development of Districts in backward area of Mysore	76—77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1296.	राज्यों में सीमेन्ट कारखानों की स्थापना	Setting up of Cement Industries	77
1298.	आसाम में सिगरेट कारखाने की स्थापना	Setting up of a Cigarette Factory in Assam	77
1299.	टेलीविजन और रेडियो सैट दोनों रखने वालों के लिये लाइसेंस फीस में कमी	Reduction in Licence Free for those keeping both TV and Radio	77—78
1300.	करुणिक समुदाय का पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Karuneek Community in the List of Backward Classes	78
1301.	मैसूर तथा अन्य राज्यों के उद्योगों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश	Central Investment in Industries in Mysore, and other States	78—80
1303.	बम्बई में टेलीविजन की लोकप्रियता	Popularisation of T.V. in Bombay	80
1304.	प्रेसीजन बियरिंग इंडिया लिमिटेड को आशय पत्र जारी करना	Issue of Letter of Intent to Precision Bearing India Ltd.	80—81
1305.	त्रिपुरा के लिये जनजाति विकास निगम	Tribal Development Corporation for Tripura	81
1306.	त्रिपुरा में मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना करना	Setting up of Medium Industries in Tripura	81—82
1307.	अगरतला में आटो डायल प्रणाली	Auto-Dial system in Agartala	82
1308.	श्रीनगर टेलीविजन टावर का गिरना	Collapse of Srinagar T. V. Tower	82
1309.	भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को विदेशों से धन तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त होना	Money and Material received from abroad by Christian Missionaries in India	82—83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nog.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1310.	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in the industrially baakward Districts	83
1311.	हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने के लिये अनुरोध	Request to declare Hamirpur and Una Distt. of Himachal Pradesh as industrially backward Districts.	83—84
1312.	पिछड़े जिलों को सहायता	Assistance to Backward Districts	84—85
1313.	टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का गठन	Constitution of Telephone Advisory Committee	86
1314.	आन्ध्र प्रदेश की राजधानी का बदला जाना	Shifting the Capital of Andhra Pradesh	86—87
1315.	औद्योगिक विकास	Industrial Growth	87—88
1316.	औद्योगिक कारखानों का उत्पादन	Production of Industrial Units	88—89
1317.	सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता	Installed Capacity of Cement Industry	89—90
1318.	भूतपूर्व नरेशों के महलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करना	Guards provided for Former Rulers' Palaces	90
1319.	"इण्डिया-ए-थेराप्यूटिक सेशन" शीर्षक के अन्तर्गत "टाइम" पत्रिका में प्रकाशित समाचार	Report published in the Time Magazine under the heading "India-A Therapeutic Session"	90—91
1320.	उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा में तालचेर तापीय बिजलीघर और अपर कोलाबा पन बिजली परियोजना का बिस्तार करने के लिए धन के आबंटन के लिए की गई मांग	Demand made by Orissa Government for Allotment of Funds for the Expansion of Talcher Thermal Station and Upper Kolab Hydel Project in Orissa	91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1322.	भारत-रूस संयुक्त आयोग	Indo-Soviet Joint Commission	91—92
1323.	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सम्बद्ध परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आयु सम्बन्धी छूट	Further Age Concession to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in I. A. S., I. P. S. and Other Allied Examinations	92
1324.	भुवनेश्वर और कटक के बीच सूक्ष्म-तरंग कनेक्शन	Microwave Connection between Bhubneswar and Cuttack	92
1325.	कोरापुट, उड़ीसा में सीमेंट का संयन्त्र लगाया जाना	Cement Plant in Koraput, Orissa	92—93
1326.	डाक घर बचत बैंक की जमाराशि में वृद्धि	Increase in Post Office Savings Bank Deposits	93
1327.	योजना अयोग में उच्च स्तरीय निरीक्षण तथा मूल्यांकन संगठन (मोनीटीरंग एंड इवेल्यूएशन) आर्गेनेइजेशन की स्थापना	Setting up of a High-level Monitoring and Evaluation Organization in Planning Commission	93—94
1328.	देश में आत्म हत्या के मामले	Suicide cases in the Country	94
1329	दिल्ली में क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली	Cross-bar Telephone Exchange System in Delhi	95
1330.	1972 में टेलीकेन्द्र-केन्द्रों का चालू किया जाना	Commissioning of Telephone Exchanges in 1972	95 —96
1331.	औद्योगिक विकास निगम को आशय पत्र जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent to Industrial Development Corporation	96—97
1332.	बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना	Removal of Backwardness of Bihar State	97
1333.	बिहार स्वतंत्रता सेनानी सहायता समिति द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Bihar Freedom Fighters Assistance Committee	97

अता० प्र० संख्या U. S. Q No	विषय	Subject	पृष्ठ pages
1334.	प्राकृतिक सम्पदा के विकास के लिए बोर्ड के गठन करने का प्रस्ताव	Proposal to Constitute a Board for the Development of Natural Wealth	98
1335.	1971-72 में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की विकास दर में कमी	Decline in Growth Rate of National Economy in 1971-72	98
1336.	गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for setting up industries in Gujarat	98—99
1337.	बम्बई में टेलीविजन कार्यक्रम	Bombay T. V. Programmes	99
1338.	राय बरेली में स्विचिंग कारखाना	Switching Factory at Rai Bareli	99—100
1339.	बिहार में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Centres in Bihar	100
1340.	मंत्री परिषद् की सदस्य संख्या में वृद्धि करना	Increase in the Number of Council of Ministers	100
1341.	बिहार के गांवों में डाकघर	Rural Post Offices in Bihar	100—101
1342.	केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को सूचित किए गए उच्च श्रेणी लिपिकों के खाली पद	Vacancies of U. D. Cs. reported to the Central (Surplus Staff) Cell	101
1343.	गत तीन वर्षों में पंजाब से निष्कासित भूमिगत पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या	Number of underground Pakistani Nationals deported from Punjab State during the last three years	101
1344.	केरल राज्य से भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को बाहर निकालना	Deportation of underground Pakistani Nationals from Kerala State	102
1345.	दिल्ली/नई दिल्ली में खजाने से पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions by Treasuries in Delhi/New Delhi	102
1346.	अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म वित्त निगम द्वारा सहायता	F. F. C. help in Good Film Making	102—103

अता० प्र० सख्या	विषय		पृष्ठ
U. S. Q. Nos.		Subject	Pages
1347.	"फाइव पास्ट फाइव" मकान फिल्म को सहायता	Assistance to Film entitled "Five Past Five"	103
1348.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो और निरोधी अधिकारियों के सम्मेलन के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही	Follow up action on the decisions of the Conference of C.B. I. and State Anti-corruption Officers	103
1349.	केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्त किये गए दिल्ली पुलिस अधिकारी	Police Officers from Delhi Inducted into Central Secretariat	104
1350.	सरकार द्वारा हाथ में लेने से पहले मिलों से मशीनें हटाना	Removal of Machinery from Mills before take over by Government	104
1351.	धर्मनगर डाक की इमारत	Dharmnagar Post Office Building	104
1352.	पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव द्वारा त्रिपुरा का दौरा	Visit of Secretary of N. E. Council to Tripura	105
1353.	भाषायी अल्प संख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश	Directions to State Governments for giving protection to linguistic minorities	105
1354.	औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences	105—106
1355.	विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौतों को स्वीकृति देना	Approval of Foreign Collaboration agreements	107
1356.	सरकार और उद्योगों में परस्पर विश्वास	Mutual Trust between Government and Industry	107—108
1357.	मैसूर में दुर्भिक्ष	Famine in Mysore	108—109
1358.	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं	Housing facilities for Postal and Telegraph workers	110
1359.	नौगछिया टेलीफोन एक्सचेंज, बिहार में काटे गए टेलीफोन	Telephones disconnected at Nangachhiya Telephone exchange, Bihar	110

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1360.	बिहार में लघु उद्योगों के मालिकों द्वारा कच्चे माल की बिक्री	Sale of Raw Materials by owners of Small Scale Industries in Bihar	110—111
1361.	राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति	Appointment of a States Reorganisation Commission	111—112
1362.	आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता, की छत का क्रिकेट मैच देखने के लिए उपयोग	Use of Roof of XX A. I. R. building in Calcutta to witness criket match	112
1363.	दिल्ली में धोखेबाजों द्वारा अपने को डाकघर के कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी के मामले	Cases of cheats posing as employees of Post Office in Delhi	112—113
1364.	फतहपुरी दिल्ली स्थित वायदा बाजार चेम्बर से काटे गये टेलीफोन	Telephone disconnected at Forward Trading Chember at Fatehpuri, Delhi	113
1366	दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा टेलीफोनों की मंजूरी	Sanctioning of Telephones by Delhi Telephone Advisory Committee	113—114
1367.	राजस्थान में इंजीनियरों की सहायता	Assistance to Engineers in Rajasthan	114—115
1368.	संविधान की आठवी अनुसूची में राजस्थानी को शामिल करना	Inclusion of Rajasthani in Eighth Schedule of Constitution	115
1369.	पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग में संकट	Crisis in West Bengal Film Industry	115
1370.	आसाम में भाषायी आन्दोलन	Language agitation in Assam	115—116
1371.	आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों और उन नौसैनिको को, जिन्होंने 1946 के नौसैनिक विद्रोह में भाग लिया था, ताम्र पत्र देना	Award of Tamra Patras to I. N. A. men and Ratings who participated in Naval Revolt of 1946	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1372.	कतिपय पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये मंजूर की गई अतिरिक्त परियोजनाएं	Additional projects sanctioned for certain backward and drought affected areas	116—117
1373.	थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में अप्रयुक्त पड़े उपकरण	Equipment lying unused in Vikram Sarabhai Space Centre at Thuma	117
1374.	मैसूर में गरीबी के स्तर से भी नीचे रहने वाले लोग	People livining below poverty line in Mysore	117
1375.	बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए स्वत: रोजगार की व्यवस्था करने हेतु मैसूर राज्य को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Mysore State for providing self-employment to job-less Engineering Graduates	117– 118
1376.	भारत-पोलैंड करार	Indo-Polish Agreement	118—119
1377.	पूर्वोतर सीमा क्षेत्र के साथ बेहतर सम्पर्क हेतु संचार साधन	Media for better contact with North-East Boarder Area	119
1378.	पांचवी योजना में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of small Units in Fifth Plan	119
1379.	हैदराबाद में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभार्थ उद्योग-समूह	Industrial complex for the benefit of educated unemployed in Hyderabad	120
1380.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, पिलानी द्वारा सिलीकोन ट्रांजिस्टरों और डायोड्ज की 'कोर-टेक्नीलोजी' का विकास	Development of Core Technology of Silicon Transistors and Diodes by Central Electronics Engineering Research Institute Pilani	120—121
1381.	प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Plastic Industry	121
1382.	सीमेंट के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in Price of Cement	121—122

अता० प्र० संख्या विषय	Subject	पृष्ठ
U.S. Q. Nos.		Pages
1383. बंगलौर के लिए टेलीविजन केन्द्र	T. V. for Bangalore	122
1385. बिहार तथा अन्य राज्यों के लिए पांचवी योजना का प्रारुप	Draft Fifth plan for Bihar and Other States	122
1386. टेलीविजन पर फिल्म वित निगम की सहायता से बनी फिल्में दिखाना	Exhibition of Feature financed by Film Finance Corporation on T. V.	122—123
1387. समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का वितरण	Distribution of Newsprint Among Newspapers	123—124
1388. फिल्म एण्ड टी० वी० इंस्टीच्यूट आफ इंडिया के फिल्म सेक्शन सम्बन्धी खोसला जांच समिति	Khosla Inquiry Committee on Film Section of Film and T. V. Institute of India	124
1389. भारतीय मानक संस्थान (इंडियन स्टेन्डर्ड्स इंस्टीट्यूशन) नमूनों का परीक्षण	Test of Samples by Indian Standards Institution	124—125
1390. कागज उत्पादन करने वाली परियोजना	Production in Paper Project	125—126
1391. आंध्र प्रदेश के विभाजन की मांग	Demand for Bifurcation of Andhra Pradesh	126
1392. श्री गंगानगर में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Centre in Sriganganagar	126
1393. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के कोटे में वृद्धि	Increase in promotion quota from Class IV to Class III Services	127—128
1394. आयातित कागज का कोटा चोर-बाजारी में बेचा जाना	Sale of imported Quota of paper in black Market	128
1395. देश में विवाहित तथा अविवाहित व्यस्क	Married and unmarried adults in the country	128—129
1396. अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास	Developments in Space Research	129

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1397.	कर्मचारियों को हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि में दिया गया प्रशिक्षण	Training in Hindi Typing and Stenography imparted to Employees	129—130
1398.	मध्य प्रदेश सरकार को उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences to Madhya Predesh Government for setting up Industries	130
1399.	दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच 'डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम'	Direct Dialing System Between Delhi and State Capitals	130—131
1400.	बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों की प्रतिक्रिया	Response from entrepreneurs for setting up industries in backward Areas of Bihar	131
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	131—132
	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों पर गोली चलाना	CRP Firing on employees of South Eastern Railway	131—132
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	132—40
	देश के समस्त भागों में बिजली की कमी के कारण संकट	Crisis due to shortage of power through out the country	132—40
	श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	132—34
	श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind verma	132—34
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	140—41
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions	141
	तेइसवां प्रतिवेदन	Twenty third Report	141
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	142
	चौबीसवां प्रतिवेदन	Twenty Fourth Report	142

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	142—143
आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Proclamation in Relation to the State of Andhra Pradesh	143—54
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	143—44
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy	145—46
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	146—47
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	147—48
श्री बी० एस० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	148
श्री एस० बी० गिरि	Shri S. B. Giri	148—49
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	149—51
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	152
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote	152—53
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	153—54
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana	154
दक्षिण पूर्व रेलवे के हिंगिर स्टेशन पर गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Firing at Hingir Station of S. E Railway	154—58
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	155—57
सामान्य बजट, 1973-74 पुरःस्थापित	General Budget, 1973-74-Presented	158—82
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	158
वित्त विधेयक 1973—पुरःस्थापित	Finance Bill, 1973—Introduced.	182

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 28 फरवरी, 1973/9 फाल्गुन, 1894 (शक)

Wednesday, February 28, 1973/Phalguna 9, 1894 (Saka)

———

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाँचवी योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों का विकास

+
*121. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अत: योजना आयोग ने उससे कहा है कि वे पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण कर उनके तेजी से विकास के लिए कार्यक्रम तैयार कर उनका कार्यान्वियन करे।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिए किए जाने वाले उपायों को, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार किया जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग के विचार सभा पटल पर पहले से प्रस्तुत किया जा चुका दृष्टिकोण पत्र में दिये गये हैं। आशा है कि राष्ट्रीय निम्नतम आवश्यकताओं के लिए जो 3300 करोड़ रु० का कार्यक्रम बनाया गया है उससे देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी।

श्री सी० जनार्दनन : योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रारम्भिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्र द्वारा कुछ वित्तीय सहायता दिये जाने के अतिरिक्त क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस सन्बन्ध में राज्य सरकारों को निदेश देने हेतु आधारभूत ढांचा और अन्य बातें तैयार करने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव है ?

श्री मोहन धारिया : केन्द्रीय सरकार ने आधारभूत ढांचे तैयार करने हेतु 225 जिले का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चयन किया है। इसके अतिरिक्त दस प्रतिशत सहायता देने के लिए कुछ और जिलों का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चयन किया है। केन्द्रीय सरकार पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने के लिए अनुदान और ऋण दे रही है। इन क्षेत्रों में आधारभूत ढाचे तैयार करने के लिए सभी प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

श्री सी० जनार्दनन : केन्द्रीय सरकार किस मानदंड से किसी क्षेत्र को पिछड़ा निश्चित करती है ? क्या इन बातों पर निर्णय करते समय राज्य के प्रति व्यक्ति आय पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : इसके लिए विभिन्न मानदंड हैं। प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन और जहां तक संचार का सम्बन्ध हैं, संचार के मामले में पिछड़ापन—इन सभी मानदन्डों को लागू किया जाता है। स्वभाविक ही है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिकतम महत्वपूर्ण मानदन्डों में से एक है।

Shri Bhagirath Bhanwar : In the reply to part (a) of the question the hon. Minister has stated that it is the responsibility of the State Government to develop backward areas and a provision has been made in the Fifth Year Plan for providing some assistance. May I know whether it is a fact that whatever the amount was sought by the State Governments for the Fifth Five Year Plan that was given by the Central Government and that too was not utilised properly and consequently the plan would not progress as it should been. Secondly, may I know the amount which is to be given State-wise and the amount sought by the State Governments out of the provision regarding assistance for the Fifth Five Year Plan which is Rs. 3300 crores as per his statement?

श्री मोहन धारिया : राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपनाये गये सूत्र के आधार पर दी गई है। यह सच है कि विभिन्न राज्य, सहायता मांग रहे हैं। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि उनकी सभी मांगे पूरी की जायें क्योंकि हमें भी कुछ निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार चलना पड़ता है। जिस 3300 करोड़ रुपये की राशि के बारे में मैंने उल्लेख किया है वह आधाराभूत न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बद्ध है और इसे निष्पादित करना है क्योंकि यह पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण है; सारा ब्योरा बाद में निष्पादित किया जायेगा।

श्री डी० एन० तिवारी : यह कहा गया है कि क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं पर बल दिया गया है, शायद यह बल ऐसा रहा हो जिसके कोई मूर्त परिणाम नहीं निकले हों। क्या सरकार के

पास यह दर्शाने वाले कोई आंकड़े हैं कि कितने पिछड़े क्षेत्रों का दर्जा दे दिया गया है ? तीन पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ से लेकर उनके पूरी हो जाने के बीच प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर आया है। पिछड़े क्षेत्रों में उस समय और इस समय की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर है।

श्री मोहन धारिया : इस समय सभा को देने के लिए मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैं एक बात बता सकता हूं कि प्रयासों के कारण पिछड़े क्षेत्र विकसित हो रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : पिछड़े और विकसित क्षेत्रों में असमानता बढ़ गई है।

श्री भागवत झा आजाद : लगभग इन 200 जिलों, जिनको पिछड़े क्षेत्र कहा गया है, में क्या ऐसे भी जिले है जहां कच्चा माल उपलब्ध है ? क्या कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों, जिनमें कच्चा माल उपलब्ध है जिनमें कच्चा माल और अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, के लिये सरकार ने क्या पद्धति तैयार की है।

श्री मोहन धारिया : पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उन क्षेत्रों में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार अन्ततोगत्वा समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ करने पड़ेंगे। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध कर दिया है कि वे स्थानीय संसाधनों और जनशक्ति का पता लगायें और तेजी से विकास के लिये उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Regarding backward areas it is said in this Approach to Five-Year Plan—

> "The first step naturally would be to identify the backward areas on which efforts are to be concentrated."

But the hon. Minister has just said that the backward areas have been identified—may I Know how the hon. Minister is able to balance these contradictory statements ? May I also know whether the Maharashtra Government's plan regarding the twin-city of Bombay will help develop the backward areas ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने वांचू समिति के प्रतिवेदन के आधार पर इस पहलू की जांच करने के लिये दो समितियां गठित की थीं। उस प्रतिवेदन के आधार पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का चयन दिया गया था। हमने यहां जो कुछ सुझाव दिया है वह माननीय सदस्य को पहले दिये गये मेरे उत्तर के बहुत कुछ अनुरूप है। हमने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाये क्योंकि हम चाहते हैं कि जिला योजनायें बनें। प्राकृतिक संसाधनों और जन-शक्ति निश्चित हो जाने के बाद हम समेकित विकास के लिए योजनायें बनायेंगे जिनसे हमें इन क्षेत्रों का विकास करने में सहायता मिलेगी। अतः इसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। बम्बई के बारे में दूसरे प्रश्न से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि जहां नगरों का अधिक नगरीकरण पहले से कर दिया है

वहां नगर में और अधिक नगरीकरण अथवा औद्योगिक गतिविधि नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे कई समस्याएं और सामाजिक तनाव पैदा होते हैं।

श्री पी० एम० सईद : लक्षद्वीप देश का एक पिछड़ा क्षेत्र है। यह बात हमारे ध्यान में आती है कि बहुत से पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए आधारभूत ढांचे स्थापित नहीं किये गये हैं। यह ठीक है कि मंत्री महोदय लक्षद्वीप में रुचि लेते हैं और वह हमें जहाज दिलवाने में सहायक हुए हैं। क्या पांचवीं योजना में लक्षद्वीप से आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : जी, हां।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : पिछड़े क्षेत्रों में प्रमुख पेशा कृषि है। क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि कृषि के अतिरिक्त उन क्षेत्रों में कौन-कौन से अन्य सहायक उद्योग विकसित किये जा सकते हैं ?

श्री मोहन धारिया : हमने राज्य सरकारों से विशेष सर्वेक्षण करने के लिये अनुरोध किया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजनाएं और कार्यक्रम बनाते समय हम ऐसे सर्वेक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे हमें उन क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : बांकुरा और पुरुलिया पश्चिमी बंगाल के दो सबसे अधिक पिछड़े जिले हैं। पश्चिम बंगाल के इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ सहायता दे सकती है परन्तु कई योजनाओं को प्रारम्भ करना राज्य सरकार का प्रारम्भिक उत्तरदायित्व है परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार न केवल सद्भावना ही प्रकट करेगी अपितु वह विकास के लिये ठोस सहायता देने को भी तैयार है।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना

122. ***श्री अजीत कुमार साहा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 को देश भर में रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में राज्यवार कितने रोजगार के इच्छुक लोगों के नाम दर्ज थे; और

(ख) इस वर्ष रोजगार देने के लिये बनाई गई प्रस्तावित योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.—4301/73]

श्री अजीत कुमार साहा : मैंने रोजगार चाहने वाले बेरोजगारों की कुल सख्या के बारे में जानना चाहा था। मंत्री महोदय कहते हैं कि रोजगार कार्यालयों में दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की दिसम्बर, 1972 की संख्या अंतिम रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण अत्यधिक बेरोजगारी को देखते हुए क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि जब तक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाये ? यदि इसका उत्तर निषेधात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहन धारिया : बेरोजगारी की समस्या निस्सन्देह गम्भीर है। परन्तु सरकार के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह दान के रूप में कुछ दे। हम रोजगार और रोजगार के, अर्थ वाले अवसर उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों से हम इस चुनौती का सामना करेंगे।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में योजनाओं अर्थात् आबंटित धनराशि और प्रत्येक योजना में रोजगार दिये जाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा देंगे ?

श्री मोहन धारिया : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से ऐसा नहीं लगता कि वह सही-सही आंकड़े हैं। क्या यह सच नहीं है कि जिन लोगों को रोजगार मिल जाता है वे भी बेहतर रोजगार पाने की आशा से रजिस्टर से अपना नाम नहीं कटवाते ? दूसरे, क्या यह भी सच नहीं है कि कुछ लोग केवल उकताहट के कारण अपने कार्ड नवीकृत नहीं करवाते हैं और चालू रजिस्टरों में अपने नाम बनाये रखते हैं ? अतः क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि रजिस्टर में सही-सही आंकड़े हैं ?

श्री मोहन धारिया : यह बहुत कुछ सही है कि रोजगार कार्यालयों द्वारा रखे गए चालू रजिस्टर बेरोजगारी की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उकता जाते हैं और अपने नामों का नवीकरण नहीं कराते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजगार मिल जाने के बाद भी बेहतर रोजगार पाने के लिये रजिस्टर में अपने नाम लिखा रहने देते हैं। अतः सरकार कुछ उपाय कर रही है ताकि देश को सही चित्र उपलब्ध कराया जा सके ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने एक ऐसी योजना की स्वीकृति दी है जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1973 और 31 मार्च, 1974 के बीच पांच लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : जी, हां। सरकार ने संकल्प किया है कि विद्यमान कार्यक्रमों के अतिरिक्त हम वर्ष 1973-74 के दौरान देश में 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा रोजगार के अन्य अवसर देंगे।

Shri Hukam Chand Kachwavi : It has been stated in the statement that names of 65,95,000 persons are registered in the Employment Exchanges and five lakhs people will be provided with employment every year. The result will be that many more persons will get their names registered in the Employment Exchanges and the number of these provided with the employment will be much less. In view of this I would like to know whether more eloberate schemes will be farmulated ? Last year the government had announced that one thousand persons of each district would be provided with employment but after a lapse of two years even 100 person have not been provided will much employment. Second thing is that persons who get themselves registered in the employment exchange have to seven their registration after two months renew. I would like to know whether rules will be fromed to see that the names registered with employment exchanges should remain valid for one year ?

श्री मोहन धारिया : मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त हम 5 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देंगे । वर्तमान योजनाओं से भी लोगों को रोजगार मिल रहा है । कुछ दिनों के बाद हम स्थिति को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकेंगे क्योंकि योजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं । निःसंदेह इन योजनाओं से ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में काफी लोगों को रोजगार मिलेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked about the renewal of names after 2 months otherwise They are cut off......(*Interruption*)

Shri Narsingh Narain Pandey : I would like to know whether the hon. Minister is prepared to examine the nature of employment asked for by the persons who have got themselves registered in the live register of Employment Exchange at district level and the schemes allocated under Five year Plan which would provide employment at the district level ?

श्री मोहन धारिया : हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

श्री के० मालन्ना : क्या यह सच नहीं है कि शिक्षित बेरोजगारी, विशेषकर डाक्टर और इंजीनियरी स्नातकों में, बढ़ रही है ? इन तकनीकी स्नातकों को रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

श्री मोहन धारिया : यह समस्त जानकारी मेरे उत्तर में दी गई ।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि देहातों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या योजना बनाई है ?

श्री मोहन धारिया : हमने कई योजनाएं आरम्भ की है जिनमें ग्रामीण रोजगार द्रुत योजना, सीमान्त किसान विकास एजेंसी, छोटे किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र योजनाएं और शुष्क क्षेत्र योजनाएं सम्मिलित हैं । यह आरोप गलत है कि द्रुत रोजगार योजनाएं लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई हैं । ये रोजगार योजनाएं बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई हैं और प्रत्येक राज्य इन योजनाओं के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रहा है ।

Shri Ramsingh Bhai Verma : May I know whether Government would issue instructions to the employment exchanges that preference should be given to those families in providing employment in which there is no earning member ?

श्री मोहन धारिया : जी, हां। हम रोजगार प्रदान करने वाली सभी एजेंसियों से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाये जिनमें कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है।

डा० रानेन सेन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों का देश में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना में अनुपात क्या है और 'शिक्षित बेरोजगार' पद की परिभाषा क्या है?

श्री मोहन धारिया : एक सर्वेक्षण किया गया था और उसके अनुसार यह बताया गया है कि लगभग 10 प्रतिशत लोगों ने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं कराये। फिर भी हम इसकी और जांच कर रहे हैं क्योंकि हम स्वयं इससे संतुष्ट नहीं हैं।

जहां तक 'शिक्षित' शब्द की परिभाषा का सम्बन्ध है, जो व्यक्ति मैट्रिक या सैकेण्डरी परीक्षा या उससे ऊंची परीक्षाएं पास कर लेते है, उन्हें शिक्षित समझा जाता है।

श्री बी० के० दास चौधरी : विवरण के पृष्ठ 2 पर यह कहा गया है कि वर्ष 1971-72 में 31 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और रोजगार के 8 करोड़ जन दिवस बनाये गये थे, वर्ष 1972-73 के लिये 48.9 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी और जनवरी 1983 तक रोजगार के 620 लाख जन दिवस बनाने के लिये केवल 23 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब चालू वर्ष के बजट में अधिक धन-राशि नियत की गई है तब राज्य सरकारें उसको खर्च करने में और रोजगार के अधिक अवसर बनाने में असमर्थ क्यों रही हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अथवा योजना आयोग का इस मामले की जांच करने और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाने का अधिकार या शक्ति है?

श्री मोहन धारिया : यह प्रश्न ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। जैसा कि सभा को पता है वर्षा ऋतु के बाद ही इस प्रकार के कार्यक्रम तेज गति से चलते हैं। प्रस्तुत आंकड़े जनवरी तक के हैं। मुझे पता चला है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में समस्त धन-राशि इन कार्यक्रमों पर खर्च कर दी जायेगी और उसमें कोई कमी नहीं आयेगी।

देश में क्षेत्रीय असमानताएं

123. ***श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में योजना आयोग का, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में, नवीनतम मूल्यांकन क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में ये असमानताएं बढ़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1965 को आधार मानकर वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में राज्यवार प्रति व्यक्ति आय क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-4302/73]

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है, राजस्थान राज्य पिछड़ गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि समस्त राजस्थान राज्य में, जहां ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारणों से राजाओं का शासन रहा है, पिछड़ापन है और यदि हां, तो उल्लिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य के विकास के लिये सरकार अथवा योजना आयोग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मोहन धारिया : हम समस्त पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं और जैसाकि मैंने पहले बताया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सूत्र के आधार पर हम सब प्रकार की केन्द्रीय सहायता उनको दे रहे हैं। हमने उन ग्रामीण मिलों का पता लगाया हैं जो औद्योगिक दृष्टि में पिछड़े हुए है। सीमान्त किसान विकास एजेंसी और छोटे किसान विकास एजेंसी जैसे ग्रामीण कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। विशेष रूप से राजस्थान के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और शुष्क खेती कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सब सम्भव उपाय किये जायेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये आरम्भ किये गये कार्यक्रम का कोई अनुकूल परिणाम न निकलने के कारण क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने और उनका विकास करने के बारे में सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री मोहन धारिया : प्रस्तावित परिवर्तन का स्वरूप यह है कि हमने राष्ट्र की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिये ३३०० करोड़ रुपये धन की राशि निर्धारित की है। प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार, भूमिहीन लोगों को स्थान देना, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा इसी प्रकार की सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और स्वभावत: यह राशि उन्हीं क्षेत्रों पर खर्च की जायेगी जहां विकास नहीं हुआ है और मुझे विश्वास है कि राजस्थान सहित सभी पिछड़े क्षेत्रों को इस योजना से पर्याप्त सहायता मिलेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मोहन धारिया : हमने सभी भाइयों से अनुरोध किया है कि मैं ऐसे क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का पता लगायें और हम पांचवी पंचवर्षीय योजना में इन सबका उपयोग करेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : Rajasthan is a teribly backward area but most of the assistance is given to these states which are being developed under the aegis of Development council. Rajasthan is given insufficient amount and whatever is given, is not utilised properly. My I know whether a Committee has been sent to look into this matter or not ? In case the Committe has gone into it, I would like to know the contents of the report thereof ?

श्री मोहन धारिया : मैं पुनः बता देना चाहता हूं, कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सूत्र के

अनुसार पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है और इन राज्यों में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों को भी देश के अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में केन्द्रीय सहायता अधिक मिल रही है।

योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने योजना तन्त्र को सुदृढ़ बनाये और योजना तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिये भी हमने उनके व्यय के दो तिहाई भाग जितनी केन्द्रीय सहायता देते हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला योजनाएं आरम्भ करें जिससे क्षेत्रों का ठीक ढंग से पता लगाना और उनको उचित सहायता देना सम्भव हो सके।

Shri Onkar Lal Berwa : I had asked whether a Committee has been appointed or not to go into the question of proper utilisation of the amount given by the centre ?

श्री मोहन धारिया : जी, हां।

श्री राम सहाय पांडे : उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने के लिये योजना आयोग द्वारा बनाये गये सूत्र का उल्लेख किया है। मुझे राजस्थान के साथ बहुत सहानुभूति है। मध्य प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति पिछड़ा हुआ हैं क्योंकि वह आदिवासी है। उनको सहायता देने के लिये सरकार क्या प्रथमिकता दे रही है ? मध्य प्रदेश का समस्त राज्य और विशेषकर बस्तर तथा अन्य जिले, जहां पर पहुंचना भी मुश्किल है, पिछड़े हुए हैं। क्या ऐसे क्षेत्रों के लिये प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं ?

श्री मोहन धारिया : बहुत ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would like to know that if Planning Commission has not carried out assessment of regional disparities then who will carry this job ? May I know whether this work will be left to the states or a separate Commission will be appointed for this purpose ? Is it not the function of the planning Commission to make assessment of regional disparities and issue clear cut directives to the state Goverements ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मेरा निवेदन यह है कि किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन अथवा उन्नतिशील होने का पता लगाने के लिये कुछ सिद्धान्त बनाये गये हैं। उनमें से एक सिद्धांत प्रति व्यक्ति आय का है और ये सर्वेक्षण केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किये जाते हैं। इसलिये जो उत्तर दिया गया है वह ठीक है क्योंकि योजना आयोग स्वयं किस क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन का पता लगाने से सम्बन्धित समस्या का अध्ययन नहीं करता है। हम अब तक मुख्यतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के विश्लेषण पर निर्भर करते रहे हैं।

Shri P. L. Barupal : There are many villages in Rajasthan where drinking water is not available; the water is saltish. There are many villages where there is no well. They have not been able to get drinking water even after 25 years of independence what to say of electricity. I would like to know whether Government is contemplating to provide them with drinking water through pipelines ?

Mr. Speaker : The main question relates to regional disparities. How the question of drinking water crept into it ?

Shri Nathuram Ahirwar : The hon. Minister has stated that the State Governments would themselves declare their backward areas. It is not cliear from the history of last twenty five years that the money given by the centre to remove backwardness is spent on other areas by the state Governments in view of poliwood considerations and the beckward areas are still beckward ? Will the Central Government formulate a scheme according to which they should allocate the assistance for the specific areas which are declared as such so that State Governments do not ignore them ?

श्री मोहन धारिया : हम सभी पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देना चाहते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम सम्बन्धी योजना इस लिये बनाई गई है कि वे विशेष रूप से ग्रामों और क्षेत्रों का पता लगायें और धन राशि उन्हीं योजनाओं के लिये खर्च हो और उस स्थिति में राज्य सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं रह जायेगा।

Shri Ramautar Shstri : Bihar is also very backward State. I would like to know whether Chief Minister of Bihar has farwarded a scheme to remove the backwardness of the State if so, whether Government have examined the scheme and if so, its reaction thereto ?

श्री मोहन धारिया : हाल ही में मैं बिहार था और बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा था कि वे केन्द्रीय सरकार को योजनाएं भेजेंगे। परन्तु उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिये। हमने उनको ग्राश्वासन दिया था कि वे विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनायें और हम उनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायेंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी योजना के परिव्यय को बढ़ाना

+

*124. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान ग्रवस्था में केन्द्र द्वारा चौथी योजना के परिव्यय (1973-74) को बढ़ाने की सम्भावना नहीं है;

(ख) क्या चौथी योजना के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य ग्राशा से बहुत कम रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) मध्यावधि मूल्यांकन में ऐसी सम्भावना दिखाई गई थी।

(ग) इसके कारण मध्यावधि मूल्यांकन में दिखाये गये हैं जिस पर सदन में 5 और 6 अप्रैल, 1972 को विचार किया गया।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सरकार चौथी योजना की अवधि के दौरान राज्यों के लिये सहायता के रूप में निर्धारित 3500 करोड़ रुपये की राशि में से बचा 800 करोड़ रुपये की राशि अगले वर्ष राज्यों की योजनाओं के लिये देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को कुल कितनी राशि की सहायता दी गई थी और क्या उड़ीसा को पर्याप्त सहायता न दी गई तो उसकी परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा ?

श्री मोहन धारिया : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या ऐसा इस कारण हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय हमें विदेशी सहायता देने का जो बचन दिया गया था वह बाद में नहीं दी गई है । यदि हां, तो इसके फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर क्या कोई कुप्रभाव पड़ा है ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि हमने मध्यावधि मूल्यांकन के समय स्पष्ट किया था निर्धारित वित्तीय परिव्ययों को तो पूरा किया जायेगा परन्तु चौथी योजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति में 10 प्रतिशत की कमी रहेगी ।

Shri Ramshekhar Prasad Singh : I want to know the cut executed in Fourth Five Year Plan covernig Bihar and also the items affected by this cut.

श्री मोहन धारिया : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं निकलता है । केन्द्रीय सहायता में से कोई कटौती नहीं की गई थी ।

श्री भागवत झा आजाद : भाग (क) तथा (ख) में स्वीकार किया गया है कि लक्ष्यों में कमी आई है । यदि हमने अपने वित्तीय लक्ष्य भी पूरे कर लिये हैं, जिसका अर्थ है कि प्रशासन ने सारे धन को खर्च कर देने का बड़ा ध्यान रखा है, तो भी सरकार का विचार किस प्रकार वास्तविक उत्पादन का मूल्यांकन करने का है ? हम देखते है कि कई जगह लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है, तथा कहीं पर हो गई है । आप उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे । क्या वास्तविक सर्वेक्षण करने तथा लक्ष्यों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए आप कोई व्यवस्था बनायेंगे ?

श्री मोहन धारिया : हमने सभा में कई बार यह स्वीकार किया है कि हमारे पास अभी तक सही जानकारी देने वाली व्यवस्था नहीं है । अब योजना आयोग राज्य सरकारों से आग्रह कर रहा है कि वे राज्य स्तर पर सही जानकारी देने वाली प्रणाली स्थापित कर; और जब तक सही जानकारी प्राप्त कराने वाली व्यवस्था नहीं बनी है तब तक हम माननीय सदस्य को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने कुछ भ्रामक आंकड़े पेश किये हैं । उन्होंने कहा है चौथी योजना के व्यय सम्बन्धी लक्ष्य पूरे हो जायेंगे । परन्तु उन्होने यह भी कहा है कि योजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति में 10 प्रतिशत की कमी रहेगी । यह देखते हुए कि चौथी योजना की अवधि के दौरान 20 से 25 प्रतिशत तक की मुद्रा स्फ़ीति हुई है तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति में केवल 10 प्रतिशत की ही कमी आई है ?

श्री मोहन धारिया : गतवर्ष के दौरान मध्यावधि मूल्यांकन किया गया था और हमने कहा था कि वर्ष 1970-71 के मूल्यों के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। यद्यपि वर्ष के दौरान मूल्यों में वृद्धि हुई है तो भी भौतिक लक्ष्य वैसे ही रहे हैं।

Inclusion of Kota under Air Mail Service

***125. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Kota is proposed to be covered by Air Mail Service during the current Five Year Plan; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Communiscations (Shir Jagannath Pahadia) :

(a) At present there is no air service to Kota. As such, proposal is not feasible.

(b) Does not arise.

Sbri Onkar Lal Berwa : Kotah is 150 miles away from Jaipur and a letter takes three days to reach there. may I know whether Kotah does not come und r the criteria fixed by you and if so, what are those criteria?

Shri Jagannath Pahadia : Air Mail Service in not meant of Kotah and I have submitted that the criterion are fixed by the I. A. C....

Shri Onkar Lal Berwa : Why do not you fix the number of letters for starting Air Mail Service. What is the minimum number of letters required ten thousand—Fifty thousand one lakh for starting this Service.

Mr. Speaker : Mr. Berwa, please sit down. Air mail can go only if the aircraft goes.

Shri Onkar Lal Berwa : Let him force them. Why don't you force them ?

पांचवीं योजना के दौरान विदेशी जानकारी का आयात

127. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी जानकारी का आयात करने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चिय करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है कि जो जानकारी देश में ही उपलब्ध हो उसका आयात न किया जाये तथा एक बार आयात की गई जानकारी को भी बार-बार आयात न किया जाये;

(ग) क्या गत तीस वर्षों में एक ही प्रकार की जानकारी के बार-बार आयात किये जाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो ऐसी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई; और

(घ) किसी उद्योग के बारे में किसी विशिष्ट जानकारी का एक बार आयात कर लिये जाने के पश्चात् उसके लिये देश में प्रतिभा का उद्भव तथा विकास न किए जाने के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने १९६९ में विदेशी सहयोग के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए थे जो देशी टैक्नोलोजी के विकास और अर्थव्यवस्था की टकनोलोजी सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन संशोधनों के साथ, जो आवश्यक समझे जायें, लागू होते रहेंगे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में देश में ही उपलब्ध टैक्नोलोजी का आयात न करने की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। टैक्नोलोजी का बार-बार आयात न करना पड़े इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह भी अपेक्षित है कि विदेशी सहयोग के सभी करारों में एक उप लाइसेंस खण्ड शामिल रखा जाना चाहिए, जिसमें, सभी सम्बन्धित पार्टियों द्वारा आपस में सहमत शर्तों पर, भारतीय सहयोग कर्त्ता द्वारा दूसरी भारतीय पार्टियों की जानकारी का हस्तांतरण करने की अनुमति होगी। यद्यपि विगत तीन वर्षों में टैक्नोलोजी का बार-बार आयात करने के बारे में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक से अधिक भारतीय पार्टी को एक ही प्रकार के उत्पाद के लिए टैक्नोलोजी का आयात करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार के आयात की आवश्यकता इस कारण पैदा होती है कि कम परिमाण में मिलने वाले कुछ उत्पादों के निर्माण के लिए बहुत सी पार्टियों को लाइसेंस देना पड़ता है और उनमें से किसी के भी पास ऐसी जानकारी नहीं होती है जिसमें सभी पार्टियां हिस्सा बांट सकती हों। जहां कहीं भी ऐसे अनेक सहयोगों की आवश्यकता होती है, सरकार इस बात का सुनिश्चय करती है कि प्रस्तावित शर्तें देश के लिए लाभप्रद हैं और जहां कहीं सम्भव हो समन्वित रूप से बातचीत की जाती है और टैक्नोलोजी में हिस्सा बांट कर लिया जाता है।

पहले आयात की गई औद्योगिकी का दुबारा आयात करने की अनुमति के प्रश्न पर इस प्रकार की टैक्नोलोजी को अपनाने में लगने वाले समय जिसमें इसे अन्य रकमो को हस्तान्तरित किया जा सके के सन्दर्भ में तथा निर्धारित अवधि में विशिष्ट प्रकार की टैक्नोलाजी की आवश्यकता के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये। सभी सहयोग करारों में इस आशय की एक शर्त लगा दी जाती है कि समझौते की अवधि के भीतर भारतीय कम्पनी को टैक्नोलोजी अपना लेनी होगी तथा अपनी स्वयं की विनियमन और विकास सुविधायें स्थापित करनी होंगी। करारों की अवधि बढ़ाने की अनुमति बहुत आवश्यक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में नहीं दी जाती है।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पथ (अप्रोच टु दि फिफ्थ प्लान) में हमारे विकास प्रयत्नों तथा आत्म-निर्भरता की दिशा में घरेलू टैक्नोलोजी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि "सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक से अधिक पार्टियों को एक ही प्रकार के उत्पाद के लिये टैक्नोलोजी का आयात करने की अनुमति दी गई है।" यह बात निजी उद्यमियों के बारे में तो समझ में आती है, परन्तु क्या सरकार अपनी ससूची जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट करेगी कि सरकारी उपक्रमों के द्वारा भी बार-बार उसी प्रकार की टेक्नोलोजी का आयात किये जाने का क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : यदि विश्लेषण करके देखा जाये तो उसी प्रकार की टेक्नोलोजी नहीं मिलेगी। अधिक अच्छी अथवा अन्य प्रकार की स्थिति में भी उपयुक्त सिद्ध होने वाली टेक्नोलोजी का आयात किया गया है। विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र में हम यह ध्यान रखते है कि टेक्नोलोजी का दुबारा आयात न हो।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान होने वाले टेक्नोलोजी के आयात के लिये किये जाने वाले निवेश का कम से कम कोई अन्दाजा दे सकती है, तथा गत चारों योजनाओं की तुलना में यह प्रवृत्ति कुछ बढ़ी है अथवा घटी है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इतना शीघ्र तो यह अनुमान लगाना संभव न होगा कि हम पांचवीं योजना के दौरान किस-किस चीज़ का आयात करेंगे। योजना के बारे में अन्तिमरूप से तैयार करने तथा अपनी आवश्यकताओं की तुलना में उपलब्ध भारतीय प्रौद्योगिकी का अनुमान लगाने के बाद ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने मूल्य की प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे। इतना शीघ्र तो ऐसा कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मैं तो गत चार योजनाओं का तुलनात्मक प्राक्कलन चाहता था। कम से कम वे आंकड़े तो सरकार के पास हैं। क्या इन आंकड़ों से वृद्धि अथवा गिरावट का पता लगता है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा। स्वाभाविक ही है कि आयात की लागत हर योजना के बाद बढ़ती ही गई होगी क्योंकि निवेश भी निरन्तर बढ़ता ही गया है। परन्तु मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विवरण में कहा गया है कि "इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में देश में ही उपलब्ध टेक्नोलोजी का आयात न करने की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है।" मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि कुछ मामलों में इन मार्गदर्शी निर्देशों का वस्तुत: पालन नहीं किया जा रहा है ? उदाहरणार्थ. उर्वरक संयंत्र के लिये प्रौद्योगिकी का आयात करने के सम्बन्ध में टोयो, जापान से हाल में किये गये सहयोग करारों के सम्बन्ध में क्या यह सच नहीं है कि देश में स्वयं मंत्रालय के पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, और इसी लिये, किस सीमा तक इन मार्गदर्शी निदेशों का पालन किया जा रहा है ?

दूसरे, विवरण में आगे बताया गया है कि सभी सहयोग करारों में इस आशय की शर्तें लगादी जाती हैं कि समझौते की अवधि के भीतर भारतीय कपनियों को टेक्नोलोजी अपना लेनी

होगी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसका यह अर्थ है कि ऐसे किसी सहयोग करार को अनुमति नहीं दी जाती है जिसमें तकनीकी कार्य करने वाले सहयोगी को जो टर्न की जाब में लगे हों अपनी समूची प्रौद्योगिकी अथवा उसके एक अंश का आयात न करना पड़ता हो ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पहले प्रश्न के सन्दर्भ में, टोयो के साथ उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में, मामला अभी विचाराधीन है तथा उस पर बात-चीत चल रही है परन्तु जो कुछ भी देश में उपलब्ध है, निश्चय ही हम उसका आयात नहीं करेंगे। इस समय मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि टोयो करार में क्या-क्या व्यवस्थाएं होंगी, वैसे निश्चय ही यह बात जरूर ध्यान में रखी जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या ऐसे सहयोग करारों को भी अनुमति नहीं दी जा रही है जिसके अधीन विदेशी सहयोगी को टर्न-की-जाब के सम्बन्ध में अपनी प्रौद्योगिकी की जानकारी देना आवश्यक नहीं होता।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वस्तुत: हमारी नीति 'टर्न-की' जाब देने की नहीं है ताकि भारतीय तकनीशियनों, वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकियों का बाद में भी किसी परियोजना के निर्माण के लिये सहयोग मिलता रहे तथा देश में विशेषज्ञता उपलब्ध होती रहे। 'टर्न-की' जाब से बचे रहने की ही हमारी नीति है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नीति यह कि ऐसे सहयोग करार न किये जायें जिनसे तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान न होता हो ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जी हां। यह बात ठीक है।

पांचवीं योजना के अन्त तक बेरोजगारी की स्थिति के अत्यधिक बिगड़ने की आशंका

*129. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक बेरोजगारी की स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी ; यदि इस योजनावधि में आर्थिक विकास दर केवल 5.5 प्रतिशत रही ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

पिछला अनुभव यह बताता है कि विकास दर का रोजगार की वृद्धि से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण में परिकल्पना की गई है कि वित्तीय और

भौतिक संसाधनों समेत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए विकास की दर 5.5 प्रतिशत रहेगी। सरकार पूरी तरह सजग है कि बेरोजगारी समस्या का, तेजी से विकास तथा रोजगार में अवसर काफी मात्रा में बढ़ाने के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों जोकि पांचवी योजना के अभिन्न अंग होंगे, द्वारा समाधान किया जाय। चोथी योजना अवधि के दौरान भी रोजगार के लिए अनेक विशेष कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया है। इस समय पांचवीं योजना के प्रारूप का जो ब्यौरा तैयार किया जा रहा है उसमें इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इससे पांचवीं योजना के अन्त तक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड सके।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि पिछले अनुभव के अनुसार विकास दर का रोजगार की वृद्धि से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है किन्तु दृष्टिकोण पत्र में रोजगार की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि के बारे में अधिक ध्यान दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि 1951 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 35 लाख थी जो 1971 में बढ़कर लगभग 3 करोड हो गई है। यद्यपि मेरा प्रश्न बहुत सीधा-सादा था तथापि उसको टाला गया है। मैंने पूछा था कि यदि पांचवी योजना अवधि में आर्थिक विकास की दर केवल 5.5 प्रतिशत रही तो क्या पांचवी योजना के अन्त में बेरोजगारी की स्थिति और भी खराब रहेगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दें।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : उन्होंने यह सच ही कहा है कि गत योजनाओं से प्राप्त अनुभव से ज्ञात होता है कि विकास दर का रोजगार अवसरों के विस्तार के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। विकास दर निस्संदेह महत्वपूर्ण है किन्तु सब कुछ वही नहीं है। हमने प्रश्न के उत्तर में यही बात बताने का प्रयत्न किया है। माननीय सदस्य ने जन संख्या की वृद्धि तथा बेरोजगारी की दर में वृद्धि के बारे में दृष्टिकोण पत्र में योजना आयोग की चिंता का उल्लेख किया है। सम्पूर्ण देश के साथ हमें भी इस बारे में उतनी ही चिन्ता है **(व्यवधान)** हमने बेरोजगारी में वृद्धि की दर पर भारी चिंता व्यक्त की है और इसीलिये हमने मोटे तौर पर उपाय सुधारा है क्योंकि दृष्टिकोण पत्र में इस समस्या को हल करने के लिये उपायों की रूपरेखा ही दे सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने के बाद भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने बड़ी चतुराई से उत्तर टाल दिया है जब सरकार का यह कहना है कि, रोजगार दिलाने के लिये उनके पास बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि पांचवी योजना अवधि में 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना। किन्तु वास्तविकता कुछ और है। पांचवी योजना अवधि में प्रतिवर्ष 8 लाख स्नातक बनेंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यदि उसके प्रयत्न सफल भी हुए तो क्या पांचवी योजना के अंत में बेरोजगारी की समस्या और जटिल होगी अथवा स्थिति में सुधार होगा।

श्री डी० पी० धर : यदि मेरा पहला उतर स्पष्ट नहीं था तो मुझे खेद है। बेरोजगारी

की समस्या को पांचवी योजना के अन्त तक पर्याप्त नियंत्रण में लाना पड़ेगी। उसे उस सीमा तक लाया जाएगा जिस पर काबू किया जा सके।

श्री के० नारायण राव : क्या बेरोजगारी में वृद्धि की दर का स्नातकों और शिक्षितों की संख्या में वृद्धि की दर से कोई सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात उन्होने पूर्व उत्तर में बता दी है।

श्री वसंत साठे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों को उत्पादक रोजगार देने से देश का विकास होगा मैं जानना चाहता हूं कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को और अधिक भिन्न उत्पादक रोजगार देने के बारे में क्या योजना है ?

श्री डी० पी० धर : पांचवी योजना में बनाई गई बड़ी योजना की क्रियान्विति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सामान्य रोजगारो के अतिरिक्त विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। इन विशेष कार्यक्रमों को सावधानी और तेजी से आरम्भ किया जाएगा तथा उनका निष्पादन कार्यकुशलता से किया जाएगा।

श्री वसंत साठे : मैं उत्पादक रोजगार की चर्चा कर रहा था।

श्री डी० पी० धर : रोजगार से मेरा तात्पर्य उत्पादक रोजगार से ही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं अथवा नहीं कि गत १० वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत प्रगति हुई है किन्तु उसमें नौकरियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है वरन उसमें कमी हुई है ? क्या उन्होंने श्रम बचाने के उपायों को सरकार की अनुमति से अपनाया है ?

श्री डी० पी० धर : यह मेरा दुर्भाग्य है कि न चाहते हुये भी मुझे आपके वक्तव्य से भी सहमत होना पड़ रहा है **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने गलत वक्तव्य दिया है। मैं अपनी बात को पुष्टि में दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होने सभा को मजाक समझ रखा है।

अध्यक्ष महोदय : वह जो रवैया अपना रहे हैं उसमें आपको अत्यन्त सावधान रहना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि भूतपूर्व योजना मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने सभा में यह वचन दिया था कि अर्हता प्राप्त सभी इंजीनियरों को दो वर्षों के अन्दर रोजगार दे दिया जाएगा। इस बारे में मैं कुछ गलत हो सकता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि

क्या उस वायदे को अब भी स्वीकार किया जाता है और यदि हां, तो अभी तक कितने इंजीनियर बेरोजगार हैं तथा चौथी योजना के अन्त तक कितने इंजीनियरों को रोजगार दिया जाएगा ?

श्री डी० पी० धर : मुझे भूतपूर्व मंत्री महोदय के वक्तव्य का पता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दूसरा वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होने कहा है कि आगामी दो वर्षों के अन्दर आप सदा यह कह सकते है कि आगामी दो वर्षों के अन्दर ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय की चतुराई की तुलना करना कठिन है । मैं एक विशेष प्रश्न करना चाहता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि उनका उत्तर तीन शब्दों में दिया जाए । मैं श्री चन्द्रप्पन के मूल प्रश्न को दोहरा रहा हूं । चौथी योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 3 करोड़ होगी । पांचवी योजना के अन्त में क्या बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ से अधिक होगी अथवा कम होगी ?

श्री डी० पी० धर : जैसी कि माननीय सदस्य ने तीन शब्दों में उत्तर दिये जाने की शर्त लगाई है, मेरा उत्तर है कि मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri B. P.Maurya : Mr. speaker, sir, the problem of unemployment is a serious one and it concerns the law Minister and the House as well. May I know from the hon. Minister through you that the number of engineers who are unemployed by now and the number of unemployed engineer likely to be added after one year ? As has been stated by him on the floor of the House thas yet another plan has to pass. I would like to have the details regarding the number of engineers to be given employment in view of the statement in regard to providing jobs to five lakhs unemployed.

श्री मोहन धारिया : 1971 में बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या 18050 थी और 1972 में 18, 816/यह सच है कि इसमें लगभग 800 की वृद्धि हुई है किन्तु सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस संख्या में लगभग 10,000 इन्जीनियरों की और वृद्धि होनी थी किन्तु उन्हें वर्ष में आरम्भ हो रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार प्रदान कर दिया गया है । जैसा कि श्री सुब्रह्मण्यम ने आश्वासन दिया था चौथी योजना के अन्त तक हमारे लिये यह सम्भव होगा कि इंजीनियरों और उच्च योग्यता प्राप्त तकनीकियों को रोजगार दिया जा सके अथवा उन्हें स्वनियोजन दिया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि 4.30 म० प० पर सभा आधे घन्टे के लिये स्थगित होगी तथा बजट के लिये 5.00 म० प० पुन : समवेत होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आगामी दो वर्षों में सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) केन्द्रों की स्थापना

126. *श्री एस० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों में कितने सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) केन्द्र स्थापित करने की योजना है ;

(ख) सूक्ष्म तरंग केन्द्रों की स्थापना में आयातित कलपुर्जों की प्रतिशतता कितनी होगी ; और

(ग) इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : आगामी दो वर्षों में लगभग 40 स्टेशनों को माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रणाली से जोड़ने की योजना है।

(ख) सीधे आयात किये गये उपस्कर का मूल्य परियोजनाओं (प्रोजेक्टों) की कुल लागत का 18 प्रतिशत है।

(ग) सीधे आयात किये जाने वाले उपस्कर प्राप्त करने के लिए लगभग 9.0 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा लगेगी।

Request by state for revision of formula of Central Assistance to State

*128. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) Whether some State Governments have urged upon the Central Government to revise their formula for giving assistance; and

(b) if so, the names of the States and the Central Government reaction to their suggestion?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, sir.

(b) The Governments of Haryana, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal, while commenting on the Approach to Fifth Five Year Plan, have suggested modification of the present formula of allocation of Central assistance among States. As the Central assistance in the Fourth Plan has already been fully allocated among States, no Change in the existing criteria is contemplated for the Fourth Five Year Plan. However, in relation to the Fifth Five Year Plan, a view is yet to be taken on the principles which should govern allocation of Central assistance among States.

विश्व की उत्कृष्ट फिल्मों का टेलीविजन पर दर्शाया जाना

*130. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में इस समय भारत के पुराने प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं की जो अच्छी फिल्म कृतियां उपलब्ध हैं उन्हें और साथ ही विश्व की अन्य उपलब्ध उत्कृष्ट फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) भारत के कुछ पुराने प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं की अच्छी फिल्म कृतियां निर्माताओं या उनके उत्तराधिकारियों से अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त टेलीविजन पर दिखाई गई हैं। विश्व की उत्कृष्ट फिल्मों के सम्बन्ध में भी उनको टेलीविजन पर दिखाने से पूर्व उनके निर्माताओं या उनके उत्तराधिकारियों से टेलीविजन पर व्यापारिक प्रदर्शन के अधिकार प्राप्त करने होते हैं। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में जो उत्कृष्ट फिल्में हैं, उनके व्यापारिक प्रदर्शन के उसको अधिकार नहीं हैं। वह अपनी प्रति को और प्रतियां बनाने के लिए निर्माताओं/उत्तराधिकारियों द्वारा अधिकृत किए जाने पर ही उपलब्ध करता है।

सरकारी खर्च पर राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय पत्रकार

*131. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी खर्च पर कितने भारतीय पत्रकारों ने राष्ट्र संघ महासभा के गत अधिवेशन में भाग लिया और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) पत्रकारों के चुनाव के आधार क्या थे।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) किसी पत्रकार ने राष्ट्र संघ महासभा के गत अधिवेशन में सरकारी खर्च पर उस रूप में भाग नहीं लिया। तथापि, 1972 में हुए राष्ट्र संघ महासभा के 27वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमण्डल में विधान सभा के एक सदस्य शामिल थे जो एक समाचार पत्र के सम्पादक भी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा नियोजन के लिए एक संस्थान की और एक राष्ट्रीय पोषण आयोग की स्थापना

*132. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के विभिन्न दलों द्वारा तैयार क्षेत्रीय योजनाओं में ऊर्जा नियोजन के लिए एक संस्थान तथा एक राष्ट्रीय पोषण आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न दल क्षेत्रीय योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) ऊर्जा नियोजन के लिए एक संस्थान की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा स्थापित "कृतिक बल" (टास्क फोर्स) ने एक राष्ट्रीय पोषण आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है। समिति को इस प्रस्ताव पर अभी विचार करना है।

(ग) जी हां।

प्रौद्योगिकी के लिए नीति बनाने में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का भाग लेना

*133. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 60वें अधिवेशन के अध्यक्ष ने यह बताया है कि प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति बनाने में कांग्रेस को भी भागीदार बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) जी नहीं। परन्तु भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की विज्ञान और आर्थिक विकास समिति के तत्वधान में दिनांक 4 जनवरी, 1973 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 60वें (हीरक जयन्ती) अधिवेशन के दौरान जो कि 3 जनवरी, से 9 जनवरी, 1973 तक चन्डीगढ़ में हुआ था। "विज्ञान और प्रौद्योगिकी "योजना" पर एक विचार-विमर्श किया गया था। लेकिन भारत सरकार को भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था से इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरेवार सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मैसूर में उद्योगों में विस्तार के लिए दी गई अनुमति का वापस लिया जाना

*134. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान मैसूर राज्य में उद्योग में विस्तार के लिए दिये गये लाइसेन्स वापस ले लिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी संख्या कितनी है और ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके बिस्तार सम्बन्धी लाइसेंसों को वापस ले लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) वर्ष 1972 में केवल एक लाइसेन्स जो मैसूर इण्डस्ट्रियल एण्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी लि० बंगलौर को 1962 में उनके बंगलौर स्थित माल्टा का रस निकालने वालो में पर्याप्त विस्तार करने के लिये दिया गया था, का निर्धारित समय में कार्यान्वियन सम्बन्धी प्रभावी कारंवाई न कर सकने के कारण प्रति संहरण कर लिया गया है।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के लिए समाचार-पत्र वित्त निगम

*135. श्री रण बहादुर सिंह :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे और माध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को सहायता देने के लिए सरकार का विचार एक स्वायतशासी समाचार-पत्र वित निगम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी, हां। संसद के इस अधिवेशन में एक विधेयक लाया जायेगा।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये बोर्डों की स्थापना के बारे में राज्यों को निदेश

*136. श्री एम० एम० जोजफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये बोर्डों की स्थापना के बारे में सभी राज्यों को निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिये कल्याण बोर्डों की स्थापना के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कोई निदेश जारी नहीं किये हैं। किन्तु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लिए उनके प्रार्थना-पत्र के बारे में सहायता करने के लिये एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने के लिये ऐसी समितियां स्थापित की हैं।

मैसूर में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने वाले गांव

*137. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहाँ वर्ष 1972-73 में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : चालू बजट वर्ष में अभी तक 82 गांवों में टेलीफोन सुविधा दी जा चुकी हैं। आशा है कि इनके अतिरिक्त 31 मार्च, 1973 तक राज्य के 27 और गांवों में टेलीफोन सुविधा दे दी जाएगी।

लाइसेंस के लिए तमिलनाडु से आवेदन-पत्र

***138. श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 और 1972 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नये उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्रेषित किए हैं और 1971 और 1972 में कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) 1 दिसम्बर, 1972 को कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र पार्टियों से सीधे प्राप्त किए जाते हैं। किन्तु उनकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनकी सम्मति और सिफारिशों के लिये भेज दी जाती हैं। जहां तक तमिलनाडु राज्य का सम्बन्ध है, वर्ष १९७१ और 1972 में लाइसेंस के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

	1971	1972
1. प्राप्त हुए कुल आवेदन-पत्रों की संख्या	182	208
2. उपर्युक्त (1) में दिए गए आवेदन-पत्रों में से नये उपक्रमों के लिये प्राप्त आवेदनों की संख्या	85	75
3. जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	52	35

(ख) 1-12-1972 को अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या 250 है।

गैर-वित्तीय सरकारी लिमिटेड कम्पनियों में मजूरी बिल और उत्पादन शुल्कों का अनुपात

***139. श्री समर मुखर्जी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मध्यम श्रेणी की और बड़ी श्रेणी की गैर-वित्तीय सरकारी लिमिटेड कम्पनियों में मजूरी बिल और उत्पादन शुल्कों का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने बड़ी और मध्यम श्रेणी की गैर वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में वेतन बिल तथा उत्पादन शुल्क में अनुपात निकालने का प्रयास नहीं किया है । किसी प्राधिकरण ने भी अनुपात नहीं निकाला है (इस प्रकार की तुलना से संगत कोई तिथि भी नहीं रखी गई है) ।

वार्षिक सर्वेक्षण (उद्योग), 1968 के अनुसार उस वर्ष (1968) बड़ी और मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कुल 1222 करोड़ रुपये मजदूरी और वेतन का भुगतान किया गया था । इस अनुमान में वे सभी उपक्रम शामिल हैं जिनमें विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले ऐसे उपक्रम जिलों कम से कम 50 व्यक्ति काम करते हैं तथा विद्युत का प्रयोग न करने वाले ऐसे उपक्रम शामिल हैं जिनमें कम से कम 100 व्यक्ति नियुक्त हैं । अतएव इन आंकड़ों में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के अतिरिक्त निजी लिमिटेड कम्पनियों और साझेदारी वालों के मजदूरी और वेतन के भुगतान भी सम्मिलित हैं ।

वर्ष 1968-69 के दौरान कुल 1295 करोड़ रुपये केन्द्रीय उत्पादन शुद्ध इकट्ठा हुआ था । इन आंकड़ों में भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों/औद्योगिक उपक्रमों द्वारा दिया गया उत्पादन शुल्क भी उसी प्रकार सम्मिलित है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भी जो नमूने की कुछ कम्पनियों के तुलन पत्रों और लाभ-हानि के हिसाब के आधार पर सरकारी और निजी दोनों ही लिमिटेड कम्पनियों के कार्यकरण का आवधिक अध्ययन तैयार करता है, मजदूरी बिल : उत्पादन शुल्क का अनुपात लगाने का प्रयत्न नहीं करता है किन्तु अन्य अर्थ सम्बन्धी अनुपात, जैसे, पूंजीगत उत्पादन अनुपात, बिक्री-लाभ अनुपात, विशुद्ध मूल्य-साम अनुपात, मजदूरी-लाभ अनुपात तथा ऐसे ही अनुपात दिया करता है ।

रेडियों पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित करने से आय

*140. **श्री भोला मांझी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित करने से कुल कितनी वार्षिक आय होती है ;

(ख) क्या ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण टेलीविजन पर भी आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो टेलीविजन पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित करने से कितनी आय होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वाणिज्यिक सेवा शुरू होने के बाद जो कुल वार्षिक आय हुई, वह इस प्रकार है :--

1967-68	—	19,07,222 रुपए
1968 69	—	82,22,548 रुपए
1969-70	—	2,29,96,932 रुपए
1970-71	—	2,95,99,054 रुपए
1971-72	—	4,22,65,033 रुपए

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खादी भवनों द्वारा बेचे जाने वाले कुछ उत्पादकों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा बिक्री कर का लगाया जाना

1201. **श्री बेकारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत खादी भवनों द्वारा बेचे जाने वाले खादी के रजाई के अबरों (क्विल्ट कवर) तथा सूती गलीचों पर दिल्ली प्रशासन ने हाल में बिक्री कर लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग का विस्तार करने और उसे सुधारने के लिए असम को वित्तीय सहायता

1202. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र से कहा है कि राज्य पुलिस विभाग का विस्तार करने और उसे सुधारने पर होने वाली व्यय की पूर्ति हेतु अधिक वित्तीय सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्यों में अपने पुलिस बलों में सुधार करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए योजनाएं तथा सुझाव माँगे हैं। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन, भारत सरकार राज्यों को ऋण तथा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है। गत 3 वर्षों में, भारत सरकार ने असम सरकार को 89 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसके अतिरिक्त,

राज्य सरकार ने केन्द्र से एक बटालियन बनाने हेतु समस्त व्यय की पूर्ति करने के लिये अनुरोध किया है किन्तु केन्द्रीय सरकार इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकी।

अवर सचिवों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकारियों की तालिका

1203. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार में अवर सचिवों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गये अधिकारियों की तालिका 4 अक्तूबर, 1972 को जारी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या तालिका वरिष्ठता के आधार पर बनाई गई थी और तालिका में जिन व्यक्तियों के नाम थे क्या वे अधिकारी उन सभी अधिकारियों से वरिष्ठ हैं जिनके नाम तालिका में नहीं हैं ;

(ग) क्या कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पहले पदोन्नति मिल गई थी जिससे वित्तीय तौर पर उनको लाभ हुआ ; और

(घ) क्या तालिका में शामिल कुछ अधिकरियों को अभी पदोन्नत नहीं किया गया है जबकि कुछ ऐसे अधिकारी जिनके नाम तालिका में नहीं थे, अभी भी अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) मंत्रालयों को प्राधिकार है कि वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों में से, आकस्मिक तथा अल्पावधिक रिक्तियों में यदि सिलेक्ट सूची के अधिकारी उपलब्ध न हों या किसी कारणों से ऐसी रिक्तियों के लिए नियुक्त न किए जा सकें, नियुक्ति कर सकते हैं, चाहे ऐसे अधिकारी सिलेक्ट सूची में न भी हों। ये अल्पावधिक नियुक्तियां, ऐसे मंत्रालयों में नहीं की जाती जहां कि सिलेक्ट सूची अधिकारी उपलब्ध हों।

सिलेक्शन ग्रेड अधिकारियों को निदेशकों/संयुक्त सचिवों के रूप में पदोन्नत करने के लिए पैनल

1204. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य निदेशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पदोन्नति के लिये (पैनल) जारी करने की आवश्यकता है ;

(ख) सिलेक्शन ग्रेड अधिकारियों की निदेशकों/संयुक्त सचिवों के उच्च ग्रेडों पर पदोन्नति के लिये प्रतिवर्ष नियमित रूप से पैनल अथवा उपयुक्तता सूची जारी नहीं की जाती;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के मामलों में सामान्य निदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को निदेशकों और उच्च पदों पर पदोन्नत करने के लिए प्रतिवर्ष पदोन्नति 'पैनल' जारी करने को सुनिश्चित करने के बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) निदेशक तथा संयुक्त सचिव के पदों को किसी भी सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं किया जाता। विभिन्न सेवा के अधिकारियों की उपयुक्तता सूची तैयार की जाती है और व्यवसाय की आवश्यकताओं तथा निर्धारित विचार क्षेत्र के अधिकारियों की योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार ही उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। चूंकि ये पद किसी सेवा के संवर्ग में सीधी पदोन्नति के अन्तर्गत नहीं आते, अतः इनके सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 'पैनल बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए तालिका

1205. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए सिलेक्ट सूची की तैयारी के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8045 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए जो तालिका 1972 के अन्त में जारी की जानी चाहिए थी, उसे जारी कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि प्रत्येक वर्ष अनुचित विलम्ब न हो और तालिका के जारी न होने से जिन अधिकारियों की पदोन्नति में विलम्ब हुआ है उनको ऊंचे पदों पर पदोन्नति के लिए हानि न उठानी पड़े क्योंकि ऐसे ग्रेडों में पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि निर्धारित होती है ?

गृह मंत्रालयय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्री मान्।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों की सिलेक्ट सूची को अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के प्रत्येक सदस्य द्वारा बहुत सी गोपनीय रिपोर्टों का पृथक-पृथक रूप से मूल्यांकन किया जाना था। सदस्यों से अपना मूल्यांकन कार्य तुरन्त पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया है और मार्च 1913 के माह में इस सूची के तैयार हो जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट तथा डाक व तार महानिदेशालय में 8 वर्ष से कार्य कर रहे अधिकारी

1206. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या संचार मंत्री तार तथा टेलीफोन विभाग के डिविजनल इंजीनियर के एक ही स्थान पर ठहरने की अवधि के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आठ वर्ष या इससे अधिक अवधि (दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट तथा डाक व तार महानिदेशालय में उनके ठहरने सहित) से ठहरे असिस्टेन्ट इन्जीनियर, डिवीजनल तथा डायरेक्टर जैसे पद के अधिकारियों को अन्य स्थानों हर स्थानान्तरित करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने अधिकारियों के स्थानान्तरित होने की सम्भावना है; और

(ग) सात वर्ष से एक ही स्थान पर ठहरे हुए अधिकारियों के स्थानान्तरण के अगले आदेश कब जारी किये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश नवम्बर, 1972 में जारी किए जा चुके हैं। बकाया अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश मार्च/मई 1973 में जारी किए जाएंगे।

(ख) जो अधिकारी दिल्ली में 1-12-72 को 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं और उनका रोटेशनल स्थानांतरण किया जाना है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

निदेशक, तार	1
डिवीजनल इन्जीनियर	7
सहायक इन्जीनियर	34

(ग) इनके स्थानान्तरण के बारे में भी इसी प्रकार नवम्बर, 1973, मार्च 1974 और मई, 1974 में विचार किया जाएगा।

एक से अधिक टेलीफोन उपकरण के लिए डाक व तार अधिकारियों को हकदारी

1207. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या संचार मंत्री एक से अधिक टेलीफोन उपकरण के लिए डाक व तार अधिकारियों को हकदारी के सम्बन्ध में 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार के महानिदेशक ने दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के सम्बन्ध में इन सुविधाओं के दुरुपयोग अथवा हकदारी से अधिक को सम्भाव अथवा सेवा की आवश्यकता में परिवर्तन के बारे में कभी कोई जांच की है :

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की जांच करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इस प्रकार की जांच के आदेश कब दिये जायेंगे और क्या इसके परिणाम सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) समय आने पर ऐसा किया जाएगा।

राज्यों में राज भवनों के व्यय में कटौती

1208. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में राज भवनों पर होने वाले व्यय में कटौती करने का इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राजभवनों में खर्च के प्रतिमान का अध्ययन करने और उचित स्तर बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ उन खर्चों में जो नितान्त आवश्यक नहीं है कटौती करने तथा इस प्रतिमान में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के लिए जनमत प्राप्त करना

1209. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के लिए जनमत प्राप्त करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन लाइसेंस फीस को घटाना

1210. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक टेलीविजन सैट के लिए लाइसेंस फीस (30 रुपये) को कम करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रियायती डाक-भार

1211. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रियायती डाक-भार लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र में उत्पादन

1212. **श्री वयालार रवि** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलटिंगल तथा मुक्तुपूजा के केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में उत्पादन बहुत कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इसके कारण क्या हैं तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, चालू वर्ष 1972-73 की अवधि में एत्तिगंल और मुत्रछुपुड़ा केन्द्रों में उत्पादन में गिरावट आई है ।

(ख) जबकि वर्ष 1971-72 में दो केन्द्रों में लगभग 4.30 लाख रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ था, 1972-73 (अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1972) के नौ महीनों में उत्पादन में लगभग 1.83 लाख रुपये की कमी हुई है । उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण स्टैनलेस स्टील तथा टीन की बाल्टियों, जैसे दुर्लभ कच्चे माल का उपलब्ध न होना है । फिर भी, कच्चे माल की कमी तथा सीमित विदेशी मुद्रा की सीमा में ही अधिक उत्पादन करने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ।

केरल में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों को कच्चे माल का आवंटन

1213. **श्री वयालार रवि** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों ने कच्चे माल के लिए 23 लाख

रुपये की मांग की थी जबकि दिसम्बर, 1972 के अन्त तक उनको केवल 8.85 लाख रुपये ही दिए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की कमी के कारण इन उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1972-73 के बजट अनुमानों में उत्पादन केन्द्रों के निदेशक ने "अन्य खर्चों" के मद में 13.79 लाख रुपये की राशि की मांग की थी जिसमें कच्चा माल खरीदने के लिए 7.53 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। 1972-73 के बजट अनुमानों में सभी लघु उद्योग सेवा संस्थानों के लिए आवंटित 38 लाख रुपयों में से उक्त मद के अन्तर्गत केरल के चार उत्पादन केन्द्रों के लिए 8.85 लाख रुपये का आवंटन किया जा सका।

2. 1972-73 के संशोधित अनुमानों में उत्पादन केन्द्रों में निदेशक, ने "अन्य खर्चों" के मद में 21.58 लाख रुपये का आवंटन किए जाने की मांग की थी।

उक्त मद में सभी लघु उद्योग सेवा संस्थानों के लिए किए गए 38 लाख रुपये के आवंटन को 1972-73 के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 43 लाख रुपये कर दिया गया। इस प्रकार उत्पादन केन्द्रों के लिए किए गए 8.85 लाख रुपये के आवंटन के 2 लाख रुपये के अतिरिक्त आवंटन द्वारा उनके 1972-74 के कुल बजट आवंटन को 10.85 लाख रुपये कर दिया गया।

3. दो उत्पादन केन्द्रों पर कच्चे माल विशेषतया स्टेनलैस स्टील की चद्दरों और टीन की प्लेटों की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किन्तु दो अन्य उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कमी वाले तथा नियन्त्रित कच्चे माल की संभरण स्थिति में सुधार लाने के लिए कच्ची और सीमित विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखकर बराबर प्रयत्न किया जा रहा है।

Pakistani Nationas gone underground in Bihar State

1214. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals in Bihar of the 31st March, 1972 who were apprehended as well as of those deported. out of 309 Pakistani nationals who had gone underground in the State; and

b) the district-wise break-up of those underground Pakistani nationals?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the house.

Deportation of underground Pakistani Nationals from Assam State

1215. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to State:

(a) the number of Pakistani nationals in Assam on the 31st March, 1972, who were apprehended as well as of those deported out of the 260 pakistani nationals who had gone underground in the State; and

(b) the district-wise break-up of those underground nationals and the action taken by the Government to deport them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected and will be laid in the Table of the House.

सेवा निवृत्ति आयु को 58 से घटाकर 55 वर्ष करने के बारे में राज्यों को योजना आयोग का सुझाव

1216. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्य सरकार की सेवाओं में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से घटाकर 55 वर्ष कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने किस आधार पर उक्त निर्णय किया है तथा क्या किसी राज्य के लिए आयोग के उक्त निर्णय का पालन करना सम्भव हुआ है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Removal of Unemployment during 1973-74

1217. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Planning be pleased to state the estimated amount to be spent during 1973-74 for removing unemployment?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : Information regarding this will be available after the presentation of the Central Budget for 1973-74.

Foreign Exchange for Fifth Plan

1218. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**

Shri Bhagirath Bhanwar:

Will the Minister of Planning be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange required for the implementation of Fifth Plan; and

(b) The manner in which the required foreign exchange would be obtained ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) It is possible to indicate the total foreign exchange requirement of the Fifth Plan projects and programmes till the current exercises for working out their details have been completed.

(b) The required foreign exchange would be obtained through export of goods, services and a limited amount of net foreign aid.

संचार मन्त्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भरे गये पद

1219. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भर्ती के दौरान अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कितने पद आरक्षित रखे गये, कितने पद भरे गये तथा कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ; और

(ख) क्या उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अस्वीकार करने से पूर्व स्तर में रियायत सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

ऊर्जा आयोजना के लिए संस्थान की स्थापना

1220. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऊर्जा आयोजना संस्थान के लिए संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) ऐसे संस्थान की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है । अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं दिये गए हैं ।

काल्सीनेटिड पेट्रोलियम कोक की मांग

1221. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय काल्सीनेटिड पेट्रोलियम कोक की मांग कितनी है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इसकी कितनी मांग होगी और देश में गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में इस समय निस्तापन की कितनी क्षमता है ; और

(ख) देश में मांग की तुलना में अशोधित (रॉ) पैट्रोलियम कोक के उत्पादन तथा सप्लाई के बारे में इस समय क्या स्थिति है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क)

1972-73, 1973-74 और पांचवीं योजनावधि के अन्त तक कैल्सिनेटेड, पेट्रोलियम कोक की अनुमानित मांग निम्न प्रकार है :

1972-73	1,20,000 मि० टन (लगभग)
1973-74	1,50,000 मि० टन
1978-79	3,12,000 मि० टन

देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम कोक के निस्तापन (कैंतिसनेशन) की वर्तमान क्षमता निम्न प्रकार है :

सरकारी क्षेत्र (1 एकक)	45,000 मि० टन
गैर सरकारी क्षेत्र (1 एकक)	65,000 मि० टन

उपर्युक्त दो स्कूलों के अलावा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक दूसरे एकक को भी, जिसे प्रतिवर्ष 12,000 मि० टन की क्षमता में कच्चे एन्थ्रसाइट कोयले के निस्तापन के लिए स्थापित किया गया है, अस्थाई आधार पर कच्चे पेट्रोलियम कोक का निस्तापन करने की अनुमति दी गई है। यह पेट्रोलियम कोक के निस्तापन के लिए संयंत्र की क्षमता का उपयोग करने हेतु किया गया है जब तक कि कच्चा एन्थरासाइट कोयला देश में नहीं पहुंचता है।

(ख) देश में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन निम्न प्रकार है :

बेरोनी रिफाइनरी से	90 से 100 हजार मि० टन तक
गौहाटी से	40 से 45 हजार मि० टन तक
डिगबोई से	6,000 मि० टन
	136 से 151 हजार मि० टन

इस समय कच्चे पेट्रोलियम कोक के उत्पादन में से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकारी क्षेत्र के संयन्त्रों की सम्पूर्ण आवश्यकता, गैर-सरकारी क्षेत्र के संयन्त्रों की लगभग 50 प्रतिशत आवश्यकता और कैल्शियम कार्बाइड और अन्य उत्पादों का निर्माण करने के लिए कच्चे कोक की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी की जाती है।

आसाम को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने के लिए अनुरोध

1222. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि आसाम को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) आसाम को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य के रूप में पिछले ही मान लिया गया है और इसे परिवहन राजसहायता योजना का हकदार बना दिया गया है। इसके सात जिले रियायती वित्त योजना और छः जिले 10% केन्द्रीय राजसहायता योजना का लाभ उठाने के हकदार हैं।

आसाम के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना

1223. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आसाम राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में जिला-वार कितने उद्योगों की स्थापना की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम : विगत् तीन वर्षों में जिलेवार वास्तव में स्थापित किए गए औद्योगिक एककों के नामों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पिछड़े जिलों के लिये निम्न प्रकार लाइसेंस मंजूर किये गये हैं :—

वर्ष	पिछड़ा जिला	उद्योग का नाम
1970	मिकिर की पहाड़ियां	सीमेंट
1971	गोलपाड़ा	कागज
,,	गोलपारा अथवा कछार	वनस्पति
,,	कामरूप अथवा नौगाम	वनस्पति
,,	कामरूप	मीथानोल आदि
1972	गोलपाड़ा	गेहूं से बनी वस्तुएं
,,	,,	,,
,,	,,	कास्टिक सोडा, क्लोरीन आदि
,,	कछार	चीनी
,,	,,	गेहूं से बनी वस्तुएं

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में मध्यम क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग पंजीयित हैं :—

जिला गोलपाड़ा	बियर, हल्केपेय, चमकीली छड़ें तथा शैफ्टिंग्स ।
जिला कामरूप	मुर्गीपालन, पशु तथा पशु आहार ।

31 दिसम्बर 1971 को लघु क्षेत्र में निम्नलिखित संख्या में एकक पंजीयित किये गये थे :—

जिला	पंजीयित एककों की संख्या
कछार	112
गोलपाड़ा	245
कामरूप	610
नौगाँम	206
मिकिर की पहाड़ियां	17
उत्तरी कछार की पहाड़ियां	उपलब्ध नहीं

तमिलनाडु मंत्रिमण्डल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1224. **श्री भान सिंह भौरा :**
डा० शंकर दयाल शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्य श्री कल्याणसुन्दरम की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के विरुद्ध कुछ और आरोप लगाये हैं ; और

(ख) इन आरोपों की जांच करने के लिये केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) 7 नवम्बर, 1972 को उनके द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन, जिस पर तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विचार पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं, के अतिरिक्त संसद सदस्य, श्री एम० कल्याण सुन्दरम के प्रधान मंत्री को एक अन्य टिप्पणी भेजी है जिसमें कुछ मुख्य मंत्री और तमिलनाडु के कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कुछ अतिरिक्त तथ्य तथा कुछ और आरोप समाविष्ट हैं और उसके साथ मुख्य मंत्री की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर भी भेजा गया है। इन्हें तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को उनके विचारों के लिए भेज दिया गया है।

दिल्ली टेलीवीजन कार्यक्रमों में वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ से सम्बन्धित व्यक्तियों को बार-बार अवसर देना

1225. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में टेलीविजन पर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ से सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके युवकों सम्बन्धी कार्यक्रम में भाग लेने के निरन्तर अवसर दिये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वर्ल्ड असेम्बली ग्राफ यूथ एक ऐसा संगठन है जिसे सी० ग्राई० ए० से धन प्राप्त होता है ; ग्रौर

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : वर्ल्ड ग्रसेम्बली ग्राफ यूथ से सम्बन्धित लोगों को दिल्ली टेलीविजन केन्द्र द्वारा इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई ।

(ख) वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ब्रिसल्ज ऐसे संगठनों में से एक है जिनके नाम ग्रमरीका के समाचार-पत्रों में 1967 में एशिया फाउन्डेशन की मार्फत सी०ग्राई०ए० से ग्रप्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्तकर्ताग्रों के रूप में दिए गए थे ।

(ग) भारत में एशिया फाउन्डेशन का कार्यालय सरकारी ग्रादेशों से 1968 में बन्द कर दिया गया था ।

तमिलनाडु राज्य सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध ग्रारोपों की जाँच कराने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

1226. **श्री एम० कतामुतु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा बार-बार दिए गए इस ग्राशय के वक्तव्यों की ग्रोर दिलाया गया है कि केन्द्र को उनके और उनकी सरकार के सदस्यों के विरुद्ध जांच करने अथवा उनके विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का कोई ग्रधिकार नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विचार किया जाता है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध तथा कथित कदाचार या भ्रष्टाचार के ग्रारोपों की जांच करने के लिए जांच ग्रायोग ग्रधिनियम 1952 के ग्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में कोई कानूनी ग्रथवा संवैधानिक ग्रापत्ति नहीं है ।

नई दिल्ली में एकेशिया सम्मेलन की बैठक

1227. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1973 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में ग्रायोजित एकेशिया सम्मेलन की बैठक में भाग लेने वाले भारतीयों के नाम क्या हैं ; ग्रौर

(ख) इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी जैसा कि एक एशिया असेम्बली के सूचना निदेशक से प्राप्त हुई है, सलग्न विवरण में दी गई है। **ग्रंथालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 4303/73]

केरल में उपमंडल अधिकारी (फोन) द्वारा कथित जाली जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना

1228. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल सर्किल में एक उपमण्डल अधिकारी (फोन) द्वारा जाली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में उसके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सी० बी० आई० ने प्रारम्भिक तफ्तीश करने के बाद इस मामले को नियमित जांच के लिए रजिस्टर नहीं किया बल्कि यह चाहा कि मामले पर विभागीय स्तर पर कारंवाई की जाए। अत: विभागीय जांच कार्य चल रहा है।

केरल के अखबारी कागज के प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दुस्तान कागज निगम में नौकरियाँ

1229. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के अखबारी कागज के उन प्रशिक्षणार्थियों को नौकरियाँ देने हेतु हिन्दुस्तान कागज निगम को निदेश देने का है जिन्होंने उक्त प्रदेश के कागज संस्थान से कागज प्राद्योगिकी परीक्षा पास की है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन अभी केरल न्यूजप्रिन्ट (अखबारी कागज) प्रायोजना की स्थापना कर रहा है। प्रायोजना में विभिन्न पदों के लिये भर्ती प्रायोजना की आवश्यकताओं और

योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जायेगी, केरल न्यूजप्रिन्ट के प्रशिक्षणार्थियों के बारे में भी भलीभांति स्थान दिया जायेगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती

1230. **श्री रोबिन सेन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने कुछ समय पूर्व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कनिष्ठ डिजाइन इंजीनियरों के लिए पदों का विज्ञापन दिया था तथा इन पदों के लिए पात्रता हेतु दो वर्ष का अनुभव रखा गया है।

(ख) क्या निगम ने इससे पूर्व रोजगार कार्यालय अनिवार्य रिक्त स्थान अधिसूचना सम्बन्धी अधिनियम की अवहेलना करके वर्ष 1971 में आधे दर्जन से अधिक अनुभवहीन इंजीनियरिंग स्नातकों में भरती किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। दो वर्ष का अनुभव केवल वांछित योग्यता के रूप मे मांगा गया था न की आवश्यक योग्यता के रूप में।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हड़तालों तथा तालाबन्दी के बारे में पश्चिम बंगाल का प्रस्तावित अध्यादेश

1231. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री ने हड़तालों तथा तालाबन्दियों पर रोक लगानें हेतु अध्यादेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सलाह मांगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्य के लिए राज्य सरकार ने क्या व्याख्या की है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) औद्योगिक विवाद (पश्चिमी बंगाल संशोधन) अध्यादेश, 1973 संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन इसकी

उद्घोषणा के लिए राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिए प्राप्त हुआ है। अध्यादेश द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के सारांश का एक विवरण सलग्न है।

(ग) अध्यादेश के प्रारूप की सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श मे परीक्षा की जा रही है।

अध्यादेश द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के सारांश का विवरण

पश्चिमी बंगाल में व्याप्त स्थिति को देखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में इस अध्यादेश द्वारा कुछ नई धारायें जोड़ना आवश्यक समझा गया। अन्य बातों के साथ साथ अध्यादेश का प्रयोजन एक श्रमिक को शिल्पी संघ की ओर से प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करना है, यदि शिल्पी संघ निर्दिष्ट क्षेत्र में उन शिल्पियों की एक प्रतिनिधि संस्था है और, वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद में एक औद्योगिक सस्थान में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 को अमान्य तथा निष्क्रिय घोषित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। इसमें न्यायाधिकरण तथा श्रमिक न्यायालयों के लिए एक मुख्य प्रेजाइडिंग आफीसर को नियुक्ति करने की व्यवस्था है जिसकी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के समान है। इसमें न्यायाधिकरण तथा श्रमिक न्यायालयों के प्रबन्ध तथा निरीक्षण की व्यवस्था इस दृष्टि से सुनिश्चित करना है कि ये न्यायाधिकरण तथा न्यायालय दक्षता से कार्य करें और बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के समान विवाद के समाधान में बिलम्ब को कम करें। यह केनसिलिएशन आफीसर को गवाह बुलाने, जांच के अधीन और/अथवा उसके समक्ष विचार के मामले के सम्बन्ध में रिकार्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने के आगे अधिकार देता है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(3) में हड़ताल तथा तालाबन्दी को रोकने के वर्तमान उपबन्ध अपर्याप्त हैं और देश के पिछड़ेपन को देखते हुए लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास को तेज करने की आवश्यकता है ताकि तुच्छ आधार अथवा साधारण मामलों पर हड़ताल करने के कारण उत्पादन की कमी न हो इसलिए राज्य सरकार ने ऐसी हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शक्ति अर्जित करना आवश्यक समझा।

अध्यादेश में प्रबन्ध कर्मचारी समेत औद्योगिक श्रमिकों के बिना मध्यस्थता के अनुमोदन के छटनी करने में प्रतिबन्ध लगाने की आगे व्यवस्था है।

राजधानी में अनेक भारत-मैत्री संगठनों का अस्तित्व में आना

1232. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत के साथ विदेशों की मित्रता दृढ़ करने के लिए राजधानी में अनेक संगठन बन गये हैं ;

(ख) क्या बहुत से मामलों में कुछ देश विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर भारतीय गुप्त-चर विभाग सम्बन्धी अपने विशेषज्ञों को यहां बुलाते हैं और बाद में इन यात्रियों को अपने देश के प्रति बहुत प्रशंसक बनने के बजाए भेज़बान देश के हित में बोलने के लिए तैयार किया जाता है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को मालूम है कि राजधानी में भारत और विदेशों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं। सरकार को यह भी मालूम है कि ऐसे संगठनों के सदस्यों को सम्बन्धित विदेशी राज्यों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। विदेशी राज्यों में जाने वाले ऐसे व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में कोई सामान्य अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा। सभी नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार है। भारत तथा विदेशों के बीच केवल मैत्री तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए की गई गतिविधियों के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

राज्यों में बेरोजगारी में वृद्धि

1233. **श्री एम० कातामुतु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी म कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

(ख) क्या ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम जैसी विशेष योजनाओं में गत दो वर्षों में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 4304/73]

निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे विदेशी

1234. **श्री शशि भूषण :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने के कारण गत छः महीनों में कितने विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) क्या ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की बहुत अधिक संख्या है जिनकी भारत में रहने की अवधि समाप्त हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ऐसे मामलों में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हड़तालों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अध्यादेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रमिक संघों की हस्तक्षेप करने की मांग

1235. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय श्रमिक सघ संगठनों में जिन में ए० आई० टी० यू० सी० और आई० एन० टी० यू० सी० भी सम्मिलित हैं ; केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि वह औद्योगिक एककों में हड़तालों, तालाबन्दी और छटनी पर रोक लगाने के बारे में प्रस्तावित अध्यादेश को जारी करने से पश्चिम बंगाल सरकार को रोके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इनटक समेत अनेक केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उनमें से कुछ ने अध्यादेश उद्घोषित करने के प्रस्ताव पर विरोध प्रकट किया है जबकि अन्य ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के निदेश रोक दिये जायें ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

अधिकाधिक रोजगार देने हेतु संसाधनों का उपयोग किया जाना

1236. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के के मुख्य मंत्री ने हाल ही मे कहा है कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग रोजगार का विस्तार करने के लिए करना चाहिए न कि पहले से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कब और किस संदर्भ में ऐसा वक्तव्य दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिकों में बेरोजगारी

1237. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा चन्डीगढ़ में दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वैज्ञानिकों मे बेरोजगारी बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगारी में वृद्धि को रोकना

1238. **श्री एस०पी० भट्टाचार्य :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सभी क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सरकार सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है । रोजगार प्रद आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अलावा, जिनसे कि काफी मात्रा में रोजगार अवसर प्राप्त होने की सम्भावना है, चौथी योजना में कई विशेष कार्यक्रम शुरु किए गए हैं—जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित योजना, शिक्षित बेकारों के लिए स्कीम, इंजीनियरों तकनालोजिस्टों और वैज्ञानिकों के लिए स्कीमें तथा समस्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार स्कीम । शिक्षित बेकारों के लिए स्कीम तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में आरम्भ की गई स्कीमों व इंजीनियरों, तकनीशनों और वैज्ञानिक के लिए विशेष स्कीमों के अन्तर्गत काफी मात्रा में रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे । अधिक विवरण 'रोजगार अवसर' नामक पुस्तिका में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों में परिचालित की जा चुकी है । ऐसे कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 1973-74 के दौरान लगभग 5 लाख शिक्षित लोगों को अतिरिक्त रोजगार अवसर प्राप्त होंगे । पांचवीं योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की गति बढ़ाने का प्रस्ताव है तथा आशा की जाती है कि पांचवीं योजनावधि के दौरान काफी मात्रा में बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला किया जा सकेगा ।

Schemes for Unemployed Persons in Bihar

1239. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of Planning be pleased to state whether Government of India have formulated any scheme for providing employment to the unemployed in Bihar; and if so, main features of the scheme and the number of persons likely to be benefited thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library*. See No. L. T. 4305/73]

चौथी योजना में शिक्षित बेरोज़गारों को रोजगार

1240. श्री डी० के० पण्डा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के दौरान अब तक कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये गये हैं।

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : योजना के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए काफी रोज़गार अवसर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आंकड़ों के अभाव और विचारों तथा परिभाषा की समस्या के कारण सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा, जिनसे कि योजनावधि के दौरान काफी मात्रा में रोजगार अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है, 1971-72 तथा 1972-73 में आरम्भ किए गए निम्नलिखित विशेष कार्यक्रमों के जरिए निम्न प्रकार से रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे :

1971-72 में शिक्षिक बेकारों की स्कीमें केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिनके कारण 1971-72 के दौरान लगभग 45.000 रोजगार अवसर उपलब्ध हुए ; 1972-73 में ये कार्यक्रम जारी रहेंगे तथा 1972-73 के दौरान इनसे 65,000 अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न होने की सम्भावना है।

1972-73 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए विशेष रोजगार कार्यक्रमों से आशा की जाती है कि लगभग 3.7 लाख रोज़गार अवसर उत्पन्न होंगे, इसमें 70,000 शिक्षित व्यक्ति शामिल हैं जिनमें 11,000 इंजीनियर होंगे।

वर्तमान न्यूज एजेन्सियों की स्वामित्व पद्धति

1211. श्री भोगेन्द्र झा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 21 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5351 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान न्यूज एजेन्सियों की स्वामित्व पद्धति के बारे में विचार पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या समाचारपत्रों विशेषतः शृंखलाबद्ध समाचारपत्रों की स्वामित्व पद्धति पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) मामले के सभी पहलुओं पर वर्ष 1972-73 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी नीति पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जा रहा है।

अधिक रोजगारों के लिए प्रावधान

1242. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवती समिति की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय मन्त्रालय ने रोजगार

के अवसर पैदा करने हेतु योजनाओं के लिए इस वर्ष 201 करोड़ रुपये का और प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रावधान के अन्तर्गत कौन सी योजनायें आयेंगी; और

(ग) क्या आगामी योजना में रोजगार सम्बन्धी नीति पर विचार करते समय समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन को ध्यान में रखा गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

'बैक्टीरियल लीचिंग' तकनीक द्वारा अयस्कों से धातुओं का निकाला जाना

1243. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय धातु विज्ञान 'बैक्टीरियल लीचिंग' तकनीक के प्रयोग से अयस्कों से धातुएं निकालने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां, राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला (एन० एम० एल०), जमशेदपुर, केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र (सी० एम० आर० एस०), धनबाद, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर० आर० एल०), भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन० सी० एल०), पूना में यह कार्य करने का विचार है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज शाखा और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में परीक्षण भी किए जा रहे हैं।

(ख) जीवाण्विक निक्षालन से धातु मूल्य का विलेयीकरण होता है। इस तकनीक को प्रयोग में लाने के लिए विभिन्न अयस्कों और जिन पर्यावरणों में ये अयस्क पाये जाते हैं, उनके अनुसार पेरामीटर बदलते रहते हैं।

(ग) ढेर और स्वस्थान निक्षालन अध्ययन, तांबे की प्राप्ति एवं मूलभूत अनुसंधान प्रश्नोत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में करने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

Unemployment in Bihar

1244. Shri M. S. Purty : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether Government have collected statistics in regard to unemployment prevailing among literate and educated persons, graduates and engineers in Bihar ;

(b) if so, the total amount of help provided for them by the Central Government during the last financial year, and

(c) whether the entire amount thereof has since been spent and if not the reason thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) According to the information available from the live registers of Employment Exchanges, there were 546,033 job seekers in Bihar as on 30 June, 1972 the details of which are indicate below:

1.	Below Matric (including illiterates)	297,404
2.	Matriculates	142,164
3.	Persons who passed Higher Secondary (including Intermediates/Under graduates)	51,503
4.	Graduates including (Post-Graduates) Total:	54,9(2
	(i) Arts.	25,685
	(ii) Science	17,845
	(iii) Commerce	2,410
	(iv) Engineering	4,085
	(v) Medicine	308
	(vi) Veterinary	32
	(vii) Agriculture	560
	(viii) Law	975
	(ix) Education	2,964
	(x) Others	98
	Total :	546,033

Under the schemes for educated unemployed, an amount of Rs. 135.60 lakhs was allocated by the various Central Ministries to the State Government in 1971-72 but on the basis of the performance, only Rs, 57.98 lakhs were actually released during the year. The schemes are allowed to continue during this year. The scheme-wise details of the funds allocated and released in 1971-72 were as follows:

Rs. Lakhs

Sl. No.	Scheme	Funds	
		Allocated	Actually released
1.	Improvement in the Quality of Primary Edutation	65.01	53.48
2.	Assistance to Small Entrepreneurs	65.00	

1	2	3	
3.	Rural Engineering Surveys	0.40	0.40
4.	Agro-Service-Centres	2.45	2,45
5.	Advance action on Investigation of Road Works for Fifth Plan	1.65	1.65
6.	Design units for Rural Water Supply	1.09	-
	Total :	I35.60	57.98

The main reasons for the non-utilization of the funds sanctioned for some of the schemes were the time taken for preparation of guidelines, formulation of programmes by the Central Ministries and the State Government and the time taken to appoint the staff and organise administrative machinery. The programmes have picked up momentum and it is expected that these schemes will be implemented during the current year.

राजस्थान नहर के पश्चिमी तट पर स्थित बीरध्वाल गांव में पाकिस्तानी गोला बारूद और शस्त्रास्त्रों का पकड़ा जाना

1245. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के पश्चिमी तट पर स्थित बीरध्वाल गांव में विमान भेदी तोपों, लाईट मशीनगनों के कुछ पुरजों और अनुषंगी गोलाबारूद सहित बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद खोदा कर निकाला गया है;

(ख) बरामद किए गए शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद किस प्रकार के हैं; और

(ग) क्या यहां चीन द्वारा निर्मित भी कुछ शस्त्र पाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । परन्तु अब तक विमान भेदी तोपों लाइट मशीन गनों और गोलाबारूद के रूप में कोई पुर्जे नहीं पहचाने गये हैं ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सामग्री के आधार पर अब तक बरामद किये गये हथियार और गोलाबारूद की सूची संलग्न है ।

बरामद किये गये हथियार और गोलाबारूद

मद	संख्या
I. हथियार	
1. राइफल	9
2. रिवोल्वर	2
3. पिस्तोल	2
4. गन (12 बोर)	6

1	2
II गोलाबारूद	
1. कारतूस	1,407
2. खोखा	19
III अतिरिक्त	
1. 2' मोर्टार के बैरल	4
2. हैवीमशीनगन के बैरल	3
3. लाइट मशीनगन के बैरल	1
4. मशीनगन त्रिपाट	1
5. त्रिपाट के लेग	1
6. मशीनगन के ब्रिज ब्लाक	7
7. मशीनगन के हैन्डल	2
8. मशीनगन के मेगजीन	1
9. कारतूस (250) के बेल्ट	1
10. टिन बाक्स	6
11. जीप के फ्रेम	1
12. आर० सी० एल० सैल	5
13. देशी बैमल (डबल)	1

(ग) जी हां, श्रीमान्।

Trade between India And Czechoslovakia

1246. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri M. S. Sanjeevi Rao:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any fresh talks have been held between India and Czechoslovakia for further strengthening the trade relations between the two countries; and

(b) if so, the outcome of the talks ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir,

(b) During the discussions in January 1973 at the time of the visit of the Depu ty Chairman of the Planning Commirsion of Czechoslovakia to India, it has been agreey that, as part of efforts to develop mutually beneficial economic cooperation between thd two countries on long term basis, the trade between them could be expanded more rapidlye through diversification by the significant increase in exports of non-traditional manufactuted goods/finished products from India to Czechoslovakia and increase of Indian imports of Czechoslovak products, especially machines and components. Besides, the industrial production, scientific and technical cooperation between the two countries envisaged at the discussions could also be expected to further increase the trade between them.

तीसरे वेतन आयोग द्वारा आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार

1247. **श्री लालजी भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर तीसरे वेतन आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को वेतन आयोग की परिसीमा से बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) वेतन आयोग का यह मत था कि स्टाफ आर्टिस्टों का मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरकार ने वेतन आयोग की सलाह पर विचार किया और उसको मानने का निर्णय किया।

पिछड़े राज्यों का विकास .

1248. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पिछड़े राज्यों के विकास के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो सामान्य रूप से उड़ीसा के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की गत बैठक के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी नये सिद्धान्त पर विचार किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछड़े राज्यों, जिनमें कि उड़ीसा भी शामिल है, के विकास के लिए अब तक किए गए विभिन्न प्रयत्नों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4306/73**]

(ख) पिछड़े क्षेत्रों तथा प्रदेशों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई जाने वाली सामान्य नीति का संकेत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण में दिया गया है। इस सम्बन्ध में की जाने वाली विशेष कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त योजनाओं के माध्यम से इन्जीनियरों तथा तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाभ

1249. **श्री देविन्दर सिंह गारचा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन इन्जीनियरों तथा तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको उनके मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाई गई केन्द्रीय राज सहायता प्राप्त योजना से लाभ पहुंचा है; और

(ख) क्या कुछ राज्य में शिकायत कर रहे हैं कि इस बारे में उनकी आवंटित राशि कम है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही शिक्षुता (अप्रेन्टिस) योजना के अंतर्गत (दिनांक 31 जनवरी 1973 को) और इनकी संख्या 563 थी ।

(ख) जी, नहीं ।

संकट व ग्रस्त कपड़ा मिलें

1250. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुल कपड़ा मिलों में से 1/5 संकट ग्रस्त हैं और उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा राज्य सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो संकट-ग्रस्त मिलों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) किसी कपड़ा मिल को संकट-ग्रस्त मानने की कसौटी क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख) सरकार ने 103 संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा संकट-ग्रस्त कपडा उपक्रम (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन अपने हाथ में ले लिया है । यह संख्या देश की कुल कपड़ा मिलों के करीब हिस्से के बराबर है । इन जिलों के नाम और स्थापना स्थल संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4307/73]

(ग) "संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रमों (मिलों)" की परिभाषा संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 में की गई है ।

Financial Assistance to Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation

1251. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the amount received under each head by the Centre from the Union Territory of Delhi during the year 1971-72 ; and

(b) the amount given to the Delhi Administration or the Delhi Municipal Corporation under the development plan of Delhi during the 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). Statements containing the requiste information are at Annexure I to V. [*Placed in Library See* No. L. T. 4308/73]. The receipts shown in Annexure I are those

of the Union Territory and do not include amounts collected by Central Govt, Departments like Central Excise, Income Tax, Posts and Telegraphs etc.

विभिन्न क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग के अध्ययन के लिए पैनल

1252. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग के अध्ययन के लिए कोई पैनल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 19 सितम्बर, 1972 को भारतीय गणराज्य और संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के मध्य हुए समझौते के अनुसार आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक अन्तर-सरकारी भारत-सोवियत आयोग की स्थापना की गई है ।

(ख) दोनों देशों के विशेषज्ञों ने नवम्बर-दिसम्बर, 1972 में नई दिल्ली में और जनवरी, 1973 में मास्को में विचार-विमर्श किया और भारत तथा रूस के मध्य लौह एवं अलौह धातु विज्ञान, तेल की सम्भावना, उत्पादन और प्रगति, प्राकृतिक गैस और खनिज, पैट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, भारत और रूस के मध्य उद्योग संस्थानों के उत्पादन और विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर प्रस्ताव तैयार किए ।

भारत-सोवियत आयोग की प्रथम बैठक 9 फरवरी से 17 फरवरी, 1973 तक नई दिल्ली में हुई और इसमें विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य के परिणामों को स्वीकृति दी गई। आयोग ने सिद्धान्ततः बोकारो और सिलाई के इस्पात संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाकर प्रत्येक की क्षमता 40 लाख टन प्रति वर्ष करना स्वीकार कर लिया है । जहां तक सहयोग के अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, आयोग ने यह स्वीकार कर लिया है कि सम्भाव्यता रिपोर्टें मनोनीत भारतीय और सोवियत संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जायें ।

कपड़ा मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेना

1253. **श्री प्रबोध चन्द** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों की संख्या क्या है ; और

(ख) नियंत्रण में लेने के पश्चात् उनमें कितनी राशि का अतिरिक्त निवेश किया गया है और उनके कार्यकरण में क्या सुधार दृष्टिगत हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम : (क) इस समय, ऐसी 103 कपड़ा मिलें हैं, जिनका प्रबन्ध सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 तथा संकट ग्रस्त कपड़ा मिल (प्रबन्ध को के हाथ में लेने) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन अपने हाथ में ले लिया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने जनवरी, 1973 के अन्त तक इन मिलों को कुल 1739.95 लाख रुपये पेशगी ऋण दिया है। उपलब्ध मासिक रिपोर्ट के अनुसार, 57 उपक्रमों में से 47 ने, जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन हाथ में लिया गया है, लाभ दिखाना शुरू कर दिया है। 57 उपक्रमों में से 4 (चार) को अभी उत्पादन शुरू करना है। 46 उपक्रमों के कार्य परिणाम को, जिनका प्रबन्ध हाल ही में सरकार ने संकटग्रस्त कपड़ा मिल (प्रबन्ध को हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन लिया है, आंकना समय से पूर्व होगा।

आगरा में चमड़ा उद्योगों का बन्द होना

1254. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा और अन्य संस्थानों में चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले अनेक कारखाने अर्द्धपाधित चमड़ा न मिलने के कारण बन्द हो गये हैं ; और यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है ;

(ख) ऐसा चमड़ा न मिलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) चमड़ा एककों और उनके एशोसियेशनों से सेमीफिनिश्ड चमड़ा मिलने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, फिर भी इसके कारण किसी एकक का बन्द होना सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) विगत कुछ ही दिनों पहले बड़ी मात्रा में चमड़ा निर्यात् होने से देश के बाजार में परिष्कृत तथा अर्ध परिष्कृत चमड़े के संभरण में कमी महसूस हुई है।

(ग) स्थिति का सामना करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) 14 दिसम्बर, 1972 से क्रस्ट चमड़ा सहित अर्ध परिष्कृत खालें व चमड़ी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा निर्यात् की जाती हैं।

(2) सभी प्रकार की कच्ची खालों और चमड़ियों के निर्यात् पर 20 जनवरी, 1973 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(भेड़ की फर चमड़ियों को छोड़कर)

(3) 1 अप्रैल, 1973 से कोटा पद्धति लागू करके अर्धपरिष्कृत खालों और चमड़ियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

(4) चमड़े के सम्भरण की कमी तथा चमड़े की मूल्य वृद्धि के विषय में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावित करने की दृष्ठि से फूटवियर निर्यातकों के सहायतार्थ एक योजना विचाराधीन है।

गरीबी के स्तर से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

1255. **डा० हरी प्रसाद शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी के स्तर से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे गरीबी के स्तर से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत हैं ; और

(ग) उक्त अनुमान लगाने के लिए किस जीवन स्तर को आधार बनाया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) वेतन और भत्तों की वर्तमान दर पर केन्द्रीय सरकार के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी की न्यूनतम मासिक आय निम्न प्रकार है :—

		रुपये
मूल वेतन		70
मंहगाई वेतन		47
मंहगाई भत्ता		24
अन्तरिम सहायता		29
	योग	170

इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जो कि सबसे कम वेतन पाते हैं, निम्नलिखित सीमांत लाभ भी प्राप्त हैं :—

1. पहनने के लिए जूते
2. वर्दी
3. बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता
4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा बिलों की अदायगी।
5. धुलाई भत्ता
6. वर्गीकृत शहरों में मकान किराया भत्ता।

"चौथी पंचवर्षीय योजना" और "पाँचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेजों में 1960-61 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 रुपए के निजी उपभोग को उपभोग

का उचित न्यूनतम स्तर माना गया है। वर्तमान मूल्यों पर यह राशि 40 रुपये की होगी। जिस व्यक्ति का उपभोग-स्तर इससे कम होगा उसे गरीबी के स्तर से नीचे समझा जाएगा। औसतन कमाने वाले एक व्यक्ति को 3 आश्रितों का परिपालन करना होता है, अत: एक परिवार को गरीबी के स्तर से ऊपर रखने के लिए परिवार की आय प्रतिमाह 160 रुपये होनी चाहिए। फिर भी सबसे कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की आय इस स्तर से ऊंची है। अतएव यह न्यायोचित अनुमान लगाया जा सकता है कि एक सामान्य परिवार वाला कोई भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी गरीबी के स्तर से नीचे नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय

1256. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर काशी, चमौली तथा पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले) जिलों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1965-66 में (1960-61 के मूल्य) क्रमश: 129 रु०, 294 रु० तथा 126 रु० थी और अब वर्ष 1969-70 में कम होकर क्रमश: 85 रु०, 164 रु० और 197 रुपये हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन जिलों की प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही इस समय तक की गई है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उत्तर काशी, चमौली तथा पिथौरागढ़ की प्रतिव्यक्ति आय के अनुमान न तो योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए हैं और न केन्द्रीय साख्यिकी संगठन के द्वारा। राज्य सरकार से इस बारे में स्थिति की जानकारी मांगी जा रही है तथा यदि उपलब्ध हो गई तो इन जिलों की प्रतिव्यक्ति आय के अनुमानों को सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिजनों के लिए भू-अधिग्रहण की द्रुत योजना के अन्तर्गत राशि मंजूर करना

1257. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भू-अधिग्रहण सम्बन्धी योजना के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है और इसमें से राज्यवार कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ख) क्या रिहायशी भूमि के लिए भी कुछ अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है ; और यदि हां, तो कितनी ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री नाम निवास मिर्धा) : (क) और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भूमि अधिग्रहण का कोई द्रुत कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया गया है।

यह आशा की जाती है कि चतुर्थ योजना में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा मकान बनाने तथा मकानों के लिए भूमि खरीदने के लिए 1972-73 के दौरान 113.05 लाख रुपयों की धन राशि व्यय की जायगी। राज्यवार इस राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त देहाती क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान के लिए भूमि की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत जिनके अधीन अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग भी लाभान्वित होंगे, निर्माण तथा आवास मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत 1291 परियोजनाओं में 5,59,578 मकानों के लिए भूमि की व्यवस्था करने के लिए कुल अनुमोदित लागत 1453.50 लाख रुपये से 26-2-1973 को 330.90 लाख रुपये दे दिए गये हैं।

हरिजनों (अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों) के कल्याण के लिए राज्यों की योजना के अन्तर्गत मकान बनाने/मकानों की भूमि की परियोजना के सम्बन्ध में 1972-73 वर्ष के दौरान किए गए व्यय अनुमानित का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य का नाम	व्यय अनुमानित 1972-73	
		अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1	असम	3.00	—
2	गुजरात	24.57	—
3	हरियाणा	0.90	—
4	हिमाचल प्रदेश	6.86	—
5	जम्मू व कश्मीर	1.00	—
6	केरल	4.04	0.57
7	मध्य प्रदेश	2.75	—
8	महाराष्ट्र	7.99	1.75
9	मनीपुर	1.00	—
10	मैसूर	10.00	5.20
11	उड़ीसा	1.00	—
12	पंजाब	0.16	—
13	राजस्थान	1.40	—
14	तमिलनाडु	20.66	—
15	त्रिपुरा	0.20	—
16	उत्तर प्रदेश	20.00	—
		105.53	7.52
		113.05	

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक के पुर:स्थापन में विलम्ब

1258. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक संसद में पुर:स्थापित किये जाने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त विधेयक चालू सत्र में पुर:स्थापित करने का है ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल कुटुम्बी समाज तथा कुटुम्बी छात्र संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) मामले पर सावधानीपूर्वक किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि अनेकों विवादास्पद विवाद हल किये जाने हैं। इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि इस विषय पर एक विधेयक संसद में रखे जाने के लिए कब तैयार होगा।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

1259. **श्री कृष्णचन्द हालदार :** क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) यह समुदाय असम, मणीपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के रायसीना व सेहोर जिलों तथा राजस्थान के अजमेर जिले में पहले ही अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन त्रिपुरा में गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित आश्रम स्कूल

1260. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य क्षेत्र के अधीन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्रों के लिये गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा कितने आश्रम स्कूल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन स्कूलों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को लाभ होता है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक आश्रम को केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि दी गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जायगी।

त्रिपुरा जनजाति विकास में खण्डों में नियुक्त अधिकारी

1261. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में जनजाति विकास खण्डों में इस समय कुल कितने अधिकारी नियुक्त हैं तथा उनके संवर्गों की (श्रेणीवार) संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कुल कितने अधिकारी (श्रेणीवार) त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) त्रिपुरा स्थित जनजाती विकास खण्डों में जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे के अन्तर को पूरा करने लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

नगरीय द्रुत रोजगार कार्यक्रम

1262. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान नगरीय द्रुत रोजगार कार्यक्रमों तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 तक उसमें कितनी राशि खर्च की गई तथा रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया ?

योजना मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**मन्त्रालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी०-4309/73]

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आयुक्त को सूचित किये गये हरिजनों अत्याचार के मामले

1263. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य से, गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार हरिजनों पर अत्याचार के कितने-कितने मामलों की सूचना अनुसूचित जातियों जनजातियों के आयुक्त को दी गई ;

(ख) उक्त अवधि में उनके मन्त्रालय को सूचित की गई हरिजनों पर अत्यार की बड़ी घटनाओं का स्वरूप क्या है ; और

(ग) उन सूचनाओं पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त को सूचित किए गए अस्पृश्यता तथा हरिजनों को तंग करने से सम्बन्धित मामलों का एक विवरण अनुलग्नक I में है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या** एल० टी०-4310/73]

(ख) 1969, 1970 तथा 1971 वर्षों से समवन्धित सूचना अनुलग्नक II में दी जाती है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०-4310/73]

(ग) सरकार को प्राप्त विशिष्ट आरोप शिकायतें उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई थी । सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को हरिजनों के विरुद्ध किये गये अपराधों की शीघ्र तथा कारगार छानवीन सुनिश्चित के निदेश दिये गये । इस बात पर बल दिया गया था कि शीघ्र कार्यवाही करने में किसी असफलता को कर्त्तव्य की गम्भीर अवहेलना समझा जायगा ।

भूमि सुधार विधानों और उन पर राष्ट्रपति के बीच का समयान्तर

1264. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार के बारे में पारित किये गए विधानों और उन पर राष्ट्रपति द्वारा दी गई अनुमति के बीच कितना समयान्तर रहता है ; और

(क) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच मोहसिन) : (क) जुलाई 1972, में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित विधान के प्राप्त होने की तारीखों और उनको राष्ट्रपति द्वारा दी गई स्वीकृत की तारीखों का एक विवरण सलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०-4311/73]

(ख) इस विषय में सम्बन्धित विधानों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

Inclusion of Kharwar Community in the list of Scheduled castes

1265. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Kharwar Community has been included in the list of Scheduled Castes in five States *viz.*, Bihar, Bengal, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, and also included in the list of Scheduled Caste in Uttar Pradesh ; and

(b) whether the facilities admissible to Scheduled Castes are available to th people of Kharwar Community in all the districts of Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The KHARWAR community is specified as a Scheduled Caste for the whole of Uttar Pradesh. In Bihar, Orissa and parts of West Bengal, it is specified as a Scheduled Tribe. In parts of Madhya Pradesh and of Maharashtra the KHAIRWAR community is specified as a Scheduled Tribe.

(b) Yes Sir. However, a complaint has been received that members of Kharwar Community in Ballia district of Uttar Pradesh are experiencing difficulty in obtaining Caste certificates. It is being looked into.

पांचवीं योजना की अवधि में नए जनजाति विकास खण्डों की स्थापना

1266. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवी योजना की अवधि में नए जनजाति विकास खण्डों की स्थापना करने का है ; और

(ख) सरकार जनजाति विकास खण्डों के बाहर जनजाति के रहने के स्थानों का विकास करने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर में जनजाति विकास खण्ड नहीं खोले गये हैं क्योंकि जनजाति विकास खण्ड के लिये कोई क्षेत्र निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करता, जनजाति क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये विशेष परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। चतुर्थ योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल को 50 लाख रुपये की धन राशि, उत्तर प्रदेश के लिये 20 लाख रुपये की धन राशि तथा मैसूर के लिये 20 लाख रुपयों की धन राशि इस उद्देश्य के लिये आवंटित की गई थी। पांचवीं योजना में इन परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

कच्चे माल के मूल्यों पर रोक लगाना

1267. **श्री पी० के० वेंकटासुब्बया :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के मूल्यों पर रोक लगाने का कोई दृढ़ निर्णय किया है जिससे उपभोक्ताओं को अपने धन की वास्तविक वस्तुएं मिल सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रोद्योगिक विकास तथा विज्ञान श्रौर प्रोद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन उपकरणों को 35,000 **लाइनों के लिए** 2 **करोड़ रुपयों** का **ठेका देना**

1268. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री के० बालदन्डायुतम :

क्या संचार मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन उपकरणो को 35,000 लाइनों की सप्लाई के लिये 27 करोड़ रुपये का ठेका देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की मोटी रूपरेखा क्या है ?

(संचार मंत्री श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के समुद्र तट पर खनिज बालू का पता लगाना

1269. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल श्रौर उड़ीसा के समुद्र तट पर उपलब्ध खनिज बालू का पता लगाने के लिये कुछ उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, सूचना श्रौर प्रसारण मंत्री तथा श्रंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) तथा (ख) खनिजयुक्त रेत से खनिज श्रलग करने वाले दो संयंत्र केरल राज्य के चवारा नामक स्थान पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक संयंत्र का संचालन केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम इंडिया रेयर अर्थर्स लिमिटेड द्वारा तथा दूसरे का संचालन केरल राज्य सरकार के एक उपक्रम केरल मिनरल्स एन्ड मैटल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन्डियन रेयर्स श्रथर्स के संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के एक विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा केरल मिनरल्स एन्ड मैटल्स द्वारा अपने संयंत्र का विस्तार करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाना

1270. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या गृह मंत्री 15 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राष्ट्रीय एकता पषिद् की बैठक बुलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक कब तक बुलाई जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

एकधिकार गृहों को आशय पत्र जारी करना

1271. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग आरम्भ करने के लिए एकाधिकार गृहों को गत छः महीनों के दौरान कुल कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं ; और

(ख) जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा और उनका मूल्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जुलाई-दिसम्बर 1972 की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में सूचीवद्ध किये गये 20 औद्योगिक की कम्पनियों को नये उपक्रम स्थापित करने के लिये तीन आशय-पत्र जारी किए गये थे। ये आशयपत्र कागज और लुगदी, चीनी मिट्टी के बर्तन और ओसिलो स्कीम के लिए थे तथा विवरण में उल्लिखित इनकी क्षमता मात्रा में निर्धारित की गई थी न कि उत्पादन मूल्य के रूप में।

विवरण

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में सूचिवद्ध किए गए बृहत्तर गृहों को नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिए 1-7-72 से 31-12-73 की अवधि में जारी किए गए आशयपत्रों का ब्यौरा

उपक्रम का नाम तथा पता	स्थापना स्थल तथा प्रकार	गृह	निर्माण की वस्तु तथा क्षमता	आशयपत्र संख्या तथा तिथि
मैं० बाँगुर ब्रादर्स लि०, 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	जगदलपुर जिला बस्तर, मध्य प्रदेश (नया उपक्रम)	बांगुर	(क) लुगदी—120,000 मी० टन प्रतिवर्ष (ख) लिखने तथा छपाई का कागज-60,000 मी० टन प्रतिवर्ष (ग) लिखने के काम आने वाला विशेष कागज 60,000 मी० टन प्रतिवर्ष	45(7)/71 प्रपेयर मेल, दिनांक 24.7.72 (76/71)
मैं० बंगाल पाटरीज, लि०, 45, टंगा रोड कलकत्ता-15	हरियाणा (नया एकक)	श्रीराम	क्राकरी (चीनी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन)—2000 मी० टन प्रतिवर्ष	23(9)/71-इण्ड० कोर्ड दिनांक 14.9.1972 (873/71)
मैं० करम चन्द प्रेम चन्द (प्रा०) लि०, (इलेक्ट्रिक डिवि०) 39-92, इण्ड० एरिया, नरोडा पो० आ० अहदाबाद।	गुजरात (नया एकक)	साराभाई	ओसिले, स्कीम आफ 10 एमसीएस 15 एमसीएस 15 नम्बर तथा 100 इन सी एस— 1000 संख्या	28(106)/66/डी०ई०/एल-2 दिनांक 31.10. 1972 (865/सी. एल. पी/66)

दिल्ली में एकेशिया असेम्बली की बैठक

1272. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एकेशिया असेम्बली की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो निर्धनता का उन्मूलन तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, विशेषकर भारत में, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के विशेष सन्दर्भ में इस असेम्बली में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था ; और

(च) कम भोजन प्राप्त बच्चों को आहार देने के लिए असेम्बली में क्या प्रस्ताव पारित किए गए हैं ?

सूचना और सारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। एक एशिया असेम्बली 5 फरवरी से 8 फरवरी, 1973 तक दिल्ली में हुई थी।

(ख) तथा (ग) असेम्बली का आयोजन भारत के कुछ समाचारपत्रों समेत एशिया के प्रमुख सचाचारपत्रों के द्वारा स्थापित संगठन प्रेस फाऊण्डेशन आफ एशिया द्वारा किया गया था। सूचना के अनुसार असेम्बली में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

खुले अधिवेशन में

1. आर्थिक विकास की समस्याएं—अल्प विकसित देशों में स्थिरता की चुनौती।
2. भूख की चुनौती।
3. भावी शिक्षा और सांस्कृतिक हलचल।
4. विकास में जनसंख्या एक तत्व के रूप में।
5. अल्प विकसित देशों के लिए एक कल्याणकारी समाज का भावी ढाँचा।
6. जन सम्पर्क माध्यमों के प्रबन्धाधिकारी।

समितियों में

1. विकास और स्थिरता की चुनौती।
2. एक कल्याणकारी समाज का भारी ढांचा।
3. भूख की चुनौती।
4. जन सम्पर्क माध्यमों के प्रबन्धाधिकारी।
5. शिक्षा का भविष्य।

6. सांस्कृतिक हलचल ।
7. एशिया के विकास में विज्ञान ।
8. युवकों की आशाएं ।
9. जनसंख्या ।

असेम्बली का उद्देश्य विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करना था, न कि निष्कर्षों पर पहुँचना ।

पांचवी योजना के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

1273. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) सरकार देश में प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ती के लिए न तो पूर्ण-प्रौद्योगिकी की कमी है और न ही यह दावा किया जा सकता है कि इन लक्ष्यों की पूर्ती के लिये आवश्यक सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी देश के पास उपलब्ध है । प्रौद्योगिकी-रूप से संसार में कोई भी देश स्वयं-पर्याप्त नहीं है । एक विकासशील देश के लिये तो यह और भी कम चरितार्थ है । देश में दशकों के दौरान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभागों के प्रयोगशालाओं में एक व्यापक वैज्ञानिक आधार का निर्माण किया गया है । फिर भी देश के अनुसंधान और विकास की अवस्थापना में कई कमियां हैं तथा जब कभी राष्ट्रीय विकास के किसी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी के आयात का विकल्प हमारे सामने आता है ; अनुसंधान और विकास की पर्याप्त तथा कमियां दोनों लक्षित होती हैं । प्रौद्योगिकी में हमारी उपलब्धियों में यह एक सतत विधि है जो औद्योगिक विकास मंत्रालय की अनुज्ञप्ति समिति, विदेशी निवेश मंडल में निरन्तर रहती है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति की विभिन्न समितियां तथा उप पैनल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी क्षमताओं तथा कमियों के इस गहन-पुर्नीर्धारण में संलग्न हैं । इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना बनेगी वह पूर्णतया हमारी निर्भरता तथा आत्म-विश्वास को प्रतिविम्बित करेगी साथ ही यह उन नीतियों को स्पष्ट करेगी जिनसे निर्भरता के क्षेत्र को स्थिर रूप से शीघ्र ही कम किया जा सके ।

राजस्थान में टेलीविजन केन्द्रों का खोला जाना

1274. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को आकाशवाणी के उन केन्द्रों की सूची में सम्मिलित करने का सरकार का विचार है, जिसमें पंचवर्षीय योजना में टेलीवीजन सुविधा उपलब्ध कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र में टेलीविजन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

Applications from Large House for Setting up Industrial in Backward Areas

1275. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the total number of applications sanctioned for the setting up industries in backward areas during the last three years and how many of them made by big industrial and houses ;

(b) the number of the applications rejected during the period and how many of them were made by big industrial houses and other concerns separately ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. fSubramaniam) : (a) During the years 1970, 19ˉ1 and 1972 licences/letters of intent issued or the location of industries in the backward areas as follow :—

Year	Total number of licences issued.	Share of larger houses	Total number of letters of intent issued.	Share of Larger houses.
1970	59	1	43	...
1971	76	13	99	4
1972	77	11	102	6

(b) During the years 1970, 1971 and 1972 the total number of applications rejected was 526, 755 and 881 respectively. Separate statistics about rejection of applications from the Large Industrial Houses and those relating to backward areas are not maintained.

R.M.S. Employees from Ajmer Division working in circle office Jaipur

1276. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether R.M.S. employees e. g. sorters and compilers from Ajmer Division are working in Circle office, Jaipur ;

(b) whether they are entitled to out-Station Allowance at the rate of Rs. 25 per month in accordance with the orders issued in July, 1967 ; and whether in all other circles the said allowance is being paid to such employees ; and

(c) if so, the reasons for not paying the allowance to the employees working in the office of P.M.G. Rajasthan Circle ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Yes.

(b) Yes. But they have not been getting it.

No., only in two Circles O.S.A. is being paid.

(e) This allowance was initially sanctioned for staff working in the Offices of Regional Directors RMS which do not exist now. A doubt dropped up whether such staff in Circle Offices should also get OSA. Necessary clarificatory orders that they are also eligible to O.S.A. have been issued.

टेलीफोनों को बीच में सुनने (टैपिंग) सम्बन्धी नियम

1277. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन प्रयोक्ताओं के टेलीफोनों को चाहे जब बीच में सुना करती है ;

(ख) क्या टेलीफोनों को इस प्रकार बीच में सुनने के कोई नियम अथवा माप दण्ड निर्धारित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त नियमों तथा मार्गदर्शी निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अधिनियम और नियमों के सम्बन्धित प्रावधान एक विवरण में दिए गए हैं। यह विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

टेलीफोन टैप करने के बारे में नियम और मार्ग निर्देश

I भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2)

"कोई सार्वजनिक आपात स्थिति आ जाने पर या जनता की सुरक्षा के हित में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष-रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हों कि भारत की प्रभुसत्ता और सम्मान में, देश की सुरक्षा के लिए, अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए या लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए या किसी अपराध कार्य की उत्तेजना को रोकने के लिए या किन्हीं दूसरे कारणों के लिए जिन्हें लिखित रूप में रेकार्ड किया जाए टेलीफोन का टैप करना अनिवार्य या युक्ती संगत हो तो आदेश जारी करके वह यह निदेश कर सकता है कि किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति को या किन्ही व्यक्तियों की श्रेणी का या व्यक्तियों की श्रेणी को भेजा जाने वाला कोई संदेश या संदेशों की कोई श्रेणी या किसी खास विषय से सम्बन्धित कोई संदेश या संदेशों की कोई श्रेणी या किसी तारघर में पारेषण के लिए आए हो या पारेषित की गई हो या किसी तारघर ने प्राप्त की हो, उसका पारेषण न किया जाय या उसमें व्यवधान पैदा किया जाय या रोक लिया जाय या वह संदेश आदेश जारी करने वाली सरकार को या उसके अधिकारी को जिसका उल्लेख आदेश में ही जाहिर कर दिया जाय।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रत्यायित संबाददाताओं के प्रेस तार-संदेशों को जिन्हें भारत में प्रकाशित किया जाना हो, तब तक न रोका जाय, या उनमें व्यवधान न डाला जाय जब तक की इस उपधारा के अधीन उनके पारेषण का निषेध न कर दिया गया हो।"

II भारत तार नियमावली, 1951 का नियम 419

419. **टेलीफोन संदेशों में व्यवधान डालना या उन्हें मानीटर करना**

"इस बात की जांच के लिए कि इन नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या उपस्कर के रख-रखाब के उद्देश्य से तार अधिकारी के लिए किसी संदेश/संदेशों का जिसका/जिनका पारेषण टेलीफोन के जरिए हो रहा हो। मानीटर करना या उसमें उनमें व्यवधान डालना कानूनी तौर पर जायज होगा।"

देश में परमाणु बिजली घरों की स्थापना करना

1278. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी को दूर करने के लिए देश में अधिक संख्या में परमाणु बिजली घरों की स्थापना करने की योजना सरकार बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उनके प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर, जो क्रान्तिकता प्राप्त कर चुका है, के अलावा निम्न-लिखित चार अन्य परमाणु बिजलीघर निकट भविष्य में स्थापित करने की योजना है :—

क्रम सं०	बिजलीघर	स्थान	कब स्थापित किया जायेगा
1.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	रावतभाटा (राजस्थान)	निर्माणाधीन है ।
2.	मद्रास परमाणु बिजलीघर	कलपक्कम (तमिलनाड)	—यथोपारि—
3.	नरोरा परमाणु बिजलीघर	नरोरा (उत्तर प्रदेश)	डिजायन तैयार किया जा रहा है। संयंत्र स्थल पर दो वर्ष में अथवा उससे पहले काम शुरू कर दिया जायेगा।
4.	पांचवां परमाणु बिजलीघर	स्थान के बारे में निर्णय अभी नहीं किया है (पश्चिमी क्षेत्र)	चार वर्ष में काम शुरू किया जायेगा।

भारी पानी का आयात

1279. **श्री एस० एन मिश्र** : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी जरूरतों के लिए अब भी भारी पानी का आयात करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस विषय का पुनरीक्षण लगातार किया जाता है। देश में भारी पानी सयंत्रों के निकट भविष्य में चालू होने की सम्भावना है। नांगल स्थित भारी पानी संयन्त्र में उत्पादन की मात्रा काफी सीमा तक बिजली की कटौती पर निर्भर करेगी।

(ख) ऊपर (क) भाग में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, भारी पानी के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा के बारे में सही आंकड़े इस समय दे सकना सम्भव नहीं है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं

12‍80. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री धन शाह प्रधान :

क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1948 और 1956 औद्योगिक नीति संकल्पों के अन्तर्गत परिकल्पित संयुक्त क्षेत्र की तुलना में पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये परियोजित संयुक्त क्षेत्र में क्या यथार्थ परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) औद्योगिक नीति संकल्पों के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई योजनाओं के अधीन इस समय क्रियान्वित की जा रही अथवा चालू संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं का गठन सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) संयुक्त क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से ली गई जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास, सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भर होने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की नीतियों को शासित करेगी। दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट की प्रति जिसमें औद्योगिक नीति पर सरकार के कुछ निर्णय दिये गये हैं, 21 फरवरी, 1973 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 281 के दिये गये उत्तर में संलग्नक के रूप में सभा पटल पर रखी गयी थी। प्रेस नोट के पैरा 10 और 11 में संयुक्त क्षेत्र पर सरकार के विचार दिये गये हैं।

भारत में विदेशी फिल्म समारोह

1282. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में भारत में अनेक विदेशी फिल्म समारोहों का आयोजन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा में कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस अवधि के दौरान भारत में केवल रुमानियां फिल्म समारोह 3 जनवरी, 1973 से 9 फरवरी, 1973 तक दिल्ली, बम्बई, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता तथा अमृतसर में हुआ था।

(ख) यह समारोह भारत रुमानिया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ था। दिल्ली तथा उक्त पांच अन्य केन्द्रों में सात फीचर फिल्में तथा 5 वृत्त चित्र दिखाये गये थे।

(ग) विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं हुआ।

केरल में दूर संचार सुविधाएं

1283. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में उत्तर वायेनाद के मन्नाथोडो के टेलीफोन उपभोक्ताओं के अतिरिक्त दूरसंचार सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुरा) : (क) सरकार को टेलीफोन उपभोक्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नवम्बर, 1972 में उत्तर वायेनाद तालुक मुस्लिम लीग से एक अभ्यावेदन आया था।

(ख) मुस्लिम लीग कमेटी के अभ्यावेदन में यह प्रार्थना थी कि मन्नाथोडी और तेल्लीचेरी के बीच सीधे टेलीफोन लिंक की व्यवस्था की जाये ताकि इन दोनों स्थानों के बीच की टेलीफोन कालों के मिलने में होने वाली देरी को कम किया जा सके। ये दोनों स्थान फिलहाल कालपेट्टा और कालीकट के जरिये जुड़े हुए हैं।

(ग) मन्नाथोड़ी के छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज को तेल्ली चेरी से सीधे जोड़ना सम्भव नहीं है। तथा, इस क्षेत्र की दूर संचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लाइनों को पुनः निर्माण और मल्टीचेनल उपस्करों की स्थापना के लिए योजनाएं चल रही हैं।

दिल्ली के न्यायालयों में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा चलाए गए मुकदमें

1284. **श्री टी० एस० लक्ष्मरान् :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1967 की धारा 19ट के अन्तर्गत समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के द्वारा चलाये गए 102 मुकदमों में से वर्ष 1971-72 में निबटाये गये 63 मामलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय ने क्या दंड दिये हैं ;

(ख) वर्ष 1972-73 में कितने और अधिक मामले निबटाये गये हैं ; और

(ग) कितने मामले विचाराधीन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 46 मामलों में प्रकाशकों पर जुर्माना किया गया। जुर्माने की राशि 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक थी। तीन प्रकाशकों को केवल चेतावनी दी गई। बाकी 14 मामले न्यायालय द्वारा फाइल कर दिए गए क्योंकि वाँछित व्यक्तियों का पता नहीं चला।

(ख) 23 फरवरी, 1973 तक बीस मामले।

(ग) उन्नीस।

बिक्री संख्या को बढ़ा चढ़ा कर बताने के दोषी समाचार-पत्र और पत्रिकाएं

1285. **श्री टी० एस० लक्ष्मरान् :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में छः परिचालन दलों द्वारा 727 समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की जांच करने के परिणामस्वरूप कितने समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को अपनी बिक्री संख्या को बढ़ा चढ़ा कर बताने का दोषी पाया गया और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) बिक्री संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दावा करने के आधार पर अखबारी कागज के बढ़ा कर दिये गये कोटे के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा 1971 में खपत संख्या की की गई जांच के परिणामस्वरूप, 375 समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के दावे बढ़े-चढ़े पाए गए। इन के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०-4312/73]

(ख) 282 समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के बारे में उनकी खपत संख्या कम आंकी गई जिनमें से 17 ने आंकी गई खपत संख्या को स्वेच्छा से मान लिया। शेष 93 मामलों में प्रकाशक बताई गई या कम खपत संख्या की पुष्टि में प्रर्याप्त प्रमाण नहीं दे सके। जहां पत्रों की खपत संख्या बताई गई खपत संख्या से कम पाई जाती है, अखबारी कागज के उत्तरवर्ती आबंटन में संशाधन कर दिया जाता है और पहले किया गया अधिक आवंटन, यदि हो, आगामी (वर्षों) की अखबारी कागज की हकदारी में समंजित कर दिया जाता है।

रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में उत्पादन

1286. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में बड़ी संख्या में श्रमिक असन्तोष होने के क्या कारण हैं ;

(ख) श्रमिक विवादों को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) उत्पादन की वर्तमान दर कितनी है तथा अधिष्ठापित क्षमता में इसका अनुपात कितना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) दुर्गापुर आसन सोल क्षेत्र में सामान्य रूप से औद्योगिक अशान्ति के परिणामस्वरूप ही हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर में श्रमिक अशान्ति है। यद्यपि श्रमिक अशान्ति के लिए कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता तो भी कम्पनियों में कार्य कर रहे अनेक मजदूर संघों का होना तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न यूनियनों में विरोध होना एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है।

(ख) प्रबन्धक वर्ग मजदूर संघों से सदैव बातचीत करने का प्रयास करता रहा है और जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, राज्य सरकार से सहायता भी ली गई है। हाल ही में कारखाने में तालाबन्दी हो गयी थी, अनेक कार्यवाही करने के पश्चात् प्रबन्धकों और श्रमिक संघों के बीच संतोषप्रद व्यवस्था हो गई है। आशा है कि करार की शर्तों से कारखानों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा और मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच मजदूर सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे।

(ग) सम्पूर्ण रूप से कारखाने में अधिष्ठापित क्षमता के 55 प्रतिशत की दर से उत्पादन होने की आशा है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

1287. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के दिन प्रतिदिन के कार्य में किस प्रकार के सुधार किये गये हैं, ताकि उसके उत्पाद कम मात्रा में रद्द किये जायें ;

(ख) इस समय इसका कितने प्रतिशत उत्पाद रद्द किया जाता है ; और

(ग) उत्पाद की किस्म में और सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में कुछ ऐसी तकनीकी समस्यायें आई कि उनके उत्पादन में रिजेक्शन (रद्द किए गए) किए गये । इन तकनीकी समस्याओं को दूर करने हेतु कम्पनी ने अपने उपकरणों में सुधार किये तथा अतिरिक्त उपकरण भी प्राप्त किये । इस प्रकार कम्पनी द्वारा अनेक सुधार किए गए तथा इन कदमो के उठाये जाने से नीचे दिये गये उनके प्रमुख उत्पादों में रिजेक्शन की दर पर्याप्त रूप से कम हुई ।

मांग	रिजेक्शन की दर (प्रतिशत)	
	1971-72	अ० 1972 से जन० 73
1. साइन पोजीटिव	43.44	31.51
1. एक्स रे फिल्म	63.85	60.25
3. फोटोग्राफिक पेपर	17.01	13.33

(ग) रिजेक्शन के शेष कारणों के सम्बन्ध में जिससे कि अधिक कुशलता आये और लागत कम हो प्रणालीबद्ध अध्ययन करने हेतु कम्पनी ने इंडियन स्टेटिस्टीकल इंस्टीट्यूट की सांख्यकीय किस्म नियंत्रण एकक की सेवाओं का उपयोग किया है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए विशेष परीक्षा

1288. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में से नियुक्त करने के उद्देश्य से सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) ऐा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, सरकार प्रशासनिक सुधार

आयोग द्वारा की गई इस सिफारिश पर विचार कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने सरकार में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जो 35 वर्ष से कम आयु का हो,उसे श्रेणी-1 गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए पहले लिए गये अवसरों पर ध्यान न देते हुए एक अवसर दिया जाये, बशर्ते कि वह शैक्षिक योग्यताओं की शर्तों को पूरा करता हो।

मछलियों के परिरक्षण के लिए मार्गदर्शी के किरणीयन संयंत्र

1289. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र श्रिम्प और लीन मछलियों के परिरक्षण के लिए मार्गदर्शी किरणीयन संयंत्र की स्थापना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किरणीयित श्रिम्प और लीन मछली को कब तक परिरक्षित रखा जा सकता है ;

(ग) क्या केन्द्र में गेहूं, आलू और प्याज को भी किरणीयित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, झींगा तथा लीन मक्षलियों का परिरक्षण करने वाले प्रायोगिक स्तर के किरणीयन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) परिक्षणों से पता चलता है कि समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को किरणीयित कर उन्हें परिवात ताप पर 15 सप्ताह तक रखा जा सकता है तथा बम्बिल मक्षली के सुखाये गए टुकड़ों को अत्यल्प मात्रा में किरणीयित करके दो वर्ष से अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है।

(ग) तथा (घ) जी, हाँ। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए सुझाव भेजे गए हैं।

डाक अनुसंधान संगठन

1290. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में डाक अनुसंधान संगठन की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चार प्रादेशिक कर्मशालाओं को भी खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संगठन और कर्मशालाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां। पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में, जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है, अस्थायी तौर पर यह प्रस्ताव है कि एक डाक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना की जाय ; यह भी प्रस्ताव है कि चार क्षेत्रीय वर्कशापें भी स्थापित की जांय।

(ग) प्रस्तावित डाक अनुसंधान और विकास केन्द्र एक ऐसा संगठन होगा, जो मशीनी-करण और डाक-प्रचालन में सुधार लाने के लिए नई विचार धाराएं लागू करने की योजनाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान करेगा।

प्रस्तावित चार क्षेत्रीय वर्कशापों में उन विभिन्न मशीनों की मरम्मत का काम किया जाएगा, जो पहले से ही चालू कर दी गई है। इनमें उन मशीनों की भी मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वहां डाक-प्रचालन के लिए अपेक्षित उपस्कर के कुछ कल पुर्जों का निर्माण किया जाएगा।

समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बन्द करने पर भारतीय समाचार पत्र परिषद द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की निन्दा करना

1291. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समाचार-पत्र परिषद ने अपने गठन से अब तक समाचार पत्रों को विज्ञा-पन तथा समाचार एजेन्सियों को चन्दा राजनीतिक कारणों से देना बन्द करने पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की कितनी बार निन्दा की है ; और

(ख) सम्बन्धित सरकारों ने यदि कोई उचित कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस प्रकार के मामलों में भारतीय प्रेस परिषद को केन्द्रीय या राज्य सरकारों की निन्दा करने का अधिकार नहीं है। चार अवसर ऐसे थे जब कुछ समाचारपत्रों की राज्य सरकारों के विरुद्ध विज्ञापन देना बन्द करके समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के लिए खतरा होने की शिकायतों की प्रेस परिषद ने पुष्टि की। एक समाचार एजेंसी की टेलीप्रिन्टर सेवा लेना सामान्य तरीके से बन्द न करके अन्य ढंग से बन्द करने की एक राज्य सरकार के विरुद्ध अन्य शिकायत की भी परिषद द्वारा पुष्टि की गई। सेवा को बनाये रखने की समाचार एजेन्सी की बाद की प्रार्थना राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई।

(ख) दो मामलों में, सम्बन्धित सरकार ने शिकायत करने वाले समाचारपत्रों को अपने विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करना पुनः प्रारम्भ कर दिया। अन्य दो सरकारों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरों और तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की केन्द्रीय राज सहायता योजना

1292. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और रोजगार देने की केन्द्रीय राजसहायता योजना राज्यों में अधिकांश लघु उद्योगों में अधिक से अधिक लोकप्रिय होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) किन राज्यों में पहले ही जोर पकड़ लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम) का नवाभिमुखीकरण औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जो राजसहायता या अनुदान पाते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोजित करके 1972-73 में किया गया था । इस समय इतनी जल्दी योजना की लोकप्रियता या अलोकप्रियता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

(ग) विभिन्न राज्यों में दिए गए प्रशिक्षुत्ता प्रशिक्षण की स्थिति निम्नलिखित हैं :—

राज्य/संघ राज्य का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या (31-1-73 तक)
आन्ध्र प्रदेश	3
मैसूर	146
पश्चिम बंगाल	20
बिहार	31
उड़ीसा	54
आसाम	50
उत्तर प्रदेश	109
राजस्थान	21
हरियाणा	25
पंजाब	14
जम्मू तथा कश्मीर	2
दिल्ली	29
चण्डीगढ़	10
महाराष्ट्र	47
गुजरात	2

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और पौलिश प्रेस एजेन्सी के बीच समझौता

1293. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और पौलिश प्रेस एजेन्सी के बीच समाचारों के आदान प्रदान और सहयोग के लिए नई दिल्ली में 12 जनवरी, 1973 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा पौलिश प्रेस एजेन्सी के बीच व्यवस्था व्यापारिक प्रकार की है, अतएव उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट करना उपयुक्त न होगा ।

मूल प्रशासनिक सुधार सुझाने के लिये अनुसचिवीय समिति का गठन

1294. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी निर्णयों की शीघ्र क्रियान्विति के लिये मूल प्रशासनिक सुधारों के बारे में सुझाव देने हेतु एक अनुसचिवीय समिति बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार की समिति कब तक गठित की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार ने योजना की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासनिक कामकाज में सुधार हेतु यथापेक्षित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों का एक दल पहले ही गठित कर दिया है । इस सम्बन्ध में लोक सभा में 21 फरवरी 1973 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 294 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

मैसूर के पिछड़े क्षेत्र के मिलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1295. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य के तीन पिछड़े जिलों में से प्रत्येक के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैसूर राज्य सार समन्वय समिति ने अब तक 10 प्रतिशत केन्द्रीय एक मुश्त अनुदान या राज सहायता योजना, 1971 के अन्तर्गत रायचूर जिले में स्थित 21 औद्योगिक एककों को 5,07,360 रुपये की राशि स्वीकृत की है । राज्य सरकार ने अभी तक अन्य दो पिछड़े जिलों अर्थात् धारवाड़ और मैसूर

से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया है। केन्द्रीय सहायता जिला-वार मंजूर नहीं की जाती है।

राज्यों में सीमेंट कारखानों को स्थापना

1296. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट निगम ने अधिक सीमेंट के उत्पादन के उद्देश्य से और अधिक कारखाने स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है और इन कारखानों की स्थापना किन-किन राज्यों में की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय सीमेंट निगम ने आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के तीन संयंत्र जिनमें से तन्दूर, येरगुन्तला और अदिलाबाद में एक एक, मध्य प्रदेश में दो संयंत्र एक अकलतारा और एक नीमच में तथा उत्तर प्रदेश में बारूवाला में सीमेंट का एक संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

आसाम में सिगरेट कारखाने की स्थापना

1298. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में आसाम में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सिगरेट का एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) आसाम औद्योगिक विकास निगम, गौहाटी को आसाम राज्य में 30,000 लाख प्रतिवर्ष की क्षमता में सिगरेट उत्पादन करने के लिए एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 29 जुलाई, 1971 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत 450 लाख रु० है। मशीनों के आयात के बारे में उनके आवेदन पत्र पर सरकार विचार कर रही है।

टेलीविजन और रेडियो सैट दोनों रखने वालों के लिए लाइसेंस फीस में कमी

1299. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियो और ट्रांजिस्टर दोनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को दी गई लाइसेंस फीस में कमी करने की भांति टेलीविजन और रेडियो सैट दोनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस फीस में कमी करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

करुणिक समुदाय का पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करना

1300. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर करुणिक सम्मेलन में राज्य के पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग को यह सुझाव दिया है कि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रगति के लिये करुणिका समुदाय को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाये ; और

(ख) क्या सरकार का संविधान में संशोधन करने का विचार है जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भांति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये भी नौकरी के अवसर सुरक्षित रखे जा सकें ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मैसूर तथा अन्य राज्यों के उद्योगों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश

1301. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित उद्योगों में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई कुल पूंजी में से केवल 2.3 प्रतिशत पूंजी ही लगाई गई है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी यह राशि कुल अनुमानित औद्योगिक निवेश के एक प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में किये गये केन्द्रीय निवेश के तुलनात्मक आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना में मैसूर में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर विनियोजन के लिए प्रस्तावित परिव्यय कुल परिव्यय का लगभग 1·1 प्रतिशत होने की आशा है ।

(ख) मूल और भारी उद्योगों पर बल देते हुए केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित औद्योगिक विकास के स्वरूप को दृष्टि में रखकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्थापना स्थलों के चुनाव में तकनीकी

आर्थिक विचार अत्यधिक निर्णायक होते हैं और व्यावहारिक रूप से केवल सीमांतिक परिवर्तन सम्भव होते हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रों के विकास में असंतुलन हैं और सरकार की घोषित नीति सम्भाव्य सीमा तक इस प्रकार के असन्तुलनों को ठीक करने की है।

(ख) मार्च, 1969, 1970 और 19 1 के अन्त में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की संपत्ति (कुल इकट्ठी) का मूल बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मार्च, 1969, 1970 और 1971 के अन्त में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों की संपत्ति (कुल इकट्ठी) का मूल्य :—

राज्य का नाम	31-3-1969 को	31-3-1970 को	31-3-71 को
आन्ध्र प्रदेश	87.9	97.9	113.8
आसाम	64.1	74.6	78.5
बिहार	621.2	775.3	928.9
दिल्ली	12.0	15.9	19.1
गुजरात	86.7	97.0	155.4
हरियाणा	7.1	7.1	7.8
हिमाचल प्रदेश	1.7	0.3	0.3
केरल	101.4	116.0	126.0
मध्य प्रदेश	543.2	556.6	579.9
महाराष्ट्र	100.9	120.1	130.8
मैसूर	79.6	89.9	100.7
उड़ीसा	423.2	152.8	470.8
पंजाब	32.6	33.9	34.7
राजस्थान	27.2	33.6	41.1
तमिलनाडु	262.2	311.6	329.5
उत्तर प्रदेश	137.0	153.6	161.6

(1)	(2)	(3)	(4)
पश्चिम बंगाल	411.4	454.4	473.7
अनावंटित	464.7*	494.8**	564.9***
योग	3463.1	3885.4	4317.5

बम्बई में टेलीविजन की लोकप्रियता

1303. **श्री भोला मांझी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में टेलीविजन सेटों की मांग आशा से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बम्बई में टेलीविजन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) इस प्रारम्भिक अवस्था में किसी निर्णय पर पहुंचना असामयिक होगा ।

(ग) दर्शकों की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम में विचित्रता तथा सतत् सुधार करने जैसे कदम कार्यक्रम की लोकप्रियता में योगदान करते हैं ।

प्रेसीजन बियरिंग इंडिया लिमिटेड को आशय पत्र जारी करना

1304. **श्री भोला मांझी :** क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

*में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 222 करोड़ रु० वायुयान, जलयान आदि का मूल्य जो किसी राज्य में निर्धार्य नहीं है ।

(2) 243 करोड़ रु० अन्य विविध परिसम्पत्तियों जैसे गवेषणा उपकरण, भण्डार का स्थापन आदि का मूल्य जिसके—

राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ;

**में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 259 करोड़ रु० जलयान, वायुयान आदि का मूल्य जो किसी राज्य के लिए निर्धार्य नहीं है ।

(2) 236 करोड़ रु० अन्य विविध परिसम्पत्तियों जैसे गवेषणा उपकरण, भण्डार का स्थापन आदि का मूल्य, जिनके राज्यवार आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

***में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है :—

(1) 345 करोड़ रु० जलयान, वायुयान आदि का मूल्य, जो किसी राज्य के लिए निर्धार्य नहीं है ।

(2) 212 करोड़ रु० अन्य विविध परिसंपत्तियों जैसे गवेषणा उपकरण, भंडार का स्थापन आदि का मूल्य, जिनके राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(क) क्या प्रेसीजन बियरिंग इंडिया लिमिटेड को सिलेंडरिकल और स्फिरिकल कालर बियरिंग की नई किस्मों का निर्माण करने के लिए आशय पत्र दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) उस पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री श्री (सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) आशय पत्र बाल और रौलर बियरिंग की 14·5 लाख की वर्तमान क्षमता का पर्याप्त विस्तार द्वारा 28,82,000 करने के लिये तथा वार्षिक 18,000 तक स्फैरिकल रॉलर बियरिंग के निर्माण करने हेतु है।

(ग) विस्तार के पूर्ण कार्यान्वयन पर उत्पादन की विक्रय मूल्य 511 लाख रुपये होने का अनुमान है। विस्तार के कार्यान्वियन से निहित इमारत पर अतिरिक्त लागत (देशी और आयातित) 113 लाख रुपये होने का अनुमान है।

त्रिपुरा के लिए जनजाति विकास निगम

1305. **श्री दशरथ देव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि में त्रिपुरा राज्य के लिए, जहां जनजाति के लोगों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत है, जनजाति विकास निगम गठित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवी योजना अवधि में त्रिपुरा के लिए आदिमजाति विकास निगम की स्थापना का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है, सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद ने पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण को अन्तिम रूप दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सहित राज्यों की पाँचवीं योजनायें तैयार की जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना करना

1306. **श्री दशरथ देव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी राशि उपलब्ध करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) प्रारम्भिक अध्ययनों से पता चलता है कि चीनी मिल, पटसन मिल इत्यादि जैसे मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित करने सम्भव हैं तथा त्रिपुरा सरकार से अनुरोध किया गया है कि आवश्यक पूर्व-निवेश अध्ययन पूरा करें। पांचवीं योजना की अंतिम रूप देते समय, संसाधनों की संभाव्यता और उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रमों और आवंटन पर अंतिम विचार किया जाएगा।

अगरतला में आटो-डायल प्रणाली

1307. **श्री दशरथ देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी में टेलीफोन को आटो-डायल प्रणाली कब से आरम्भ की जायेगी; और

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आटोमैटिक एक्सचेंज लगाने के लिए उचित जमीन का प्लाट अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा सरकार के साथ लिखा पढ़ी कर रही है। स्थान प्राप्त हो जाने के पश्चात ही आटोमैटिक एक्सचेंज की योजना बनाई जा सकेगी।

श्रीनगर टेलीविजन टावर का गिरना

1308. **श्री रामभगत पस्वान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में नवनिर्मित टेलीविजन टावर अचानक ही 20 जनवरी, 1973 को गिर गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में की गई जाँच का क्या परिणाम निकला और इसके गिरने से कितनी हानि हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। श्रीनगर में निर्माणाधीन टेलीविजन टावर का एक हिस्सा 19 जनवरी, 1973 को तेज़ आँधी के कारण गिर गया था।

(ख) कोई जांच नहीं की गई है, क्योंकि टावर निर्माणाधीन है और ठेकेदार ने टावर को अभी तक सरकार को नहीं सौंपा है। ठेकेदार टावर को सरकार को सौंपने के पहले उसके लगाने का कार्य पूरा करने तथा हानि के लिए पूर्ण जिम्मेदार है।

भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों की विदेशों से धन तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त होना

1309. **श्री एम० के० कृष्णनन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत में विभिन्न ईसाई धर्म प्रचारकों को विदेशों से कुल कितना धन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) दान देने वाले संगठनों के नाम क्या हैं और देश में उनको प्राप्त करने वाले गिरजों के नाम क्या हैं ; और

(ग) विदेशों में इस प्रकार धन भेजे जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केवल मिशनरी संगठनों द्वारा विदेशों से भेजे गये धन को प्राप्त करने के बारे में अलग से कोई आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। अतः जबकि विभिन्न ईसाई मिशनरी संगठनों तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा विदेशों से भेजे हुए धन को प्राप्त करने की कुल राशि के बारे में निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है पर सरकार के लिए यह विश्वास करने के कारण हैं कि 1970 और 1971 के दौरान मिशनरियों तथा मिशनरी संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों से लगभग 33,43 करोड़ रुपये तथा 47 66 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सामान के रूप में प्राप्त की गई सहायता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1972 वर्ष की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा रखी गई सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ग) देश में आने वाले धन पर कोई रोक नहीं है। किन्तु सामान्य तथा प्रमाणित लेनदेन के अतिरिक्त विदेशी संगठनों, एजन्सियों अथवा अन्यथा व्यक्तियों से धन प्राप्त करने पर रोक लगाने के प्रयोजन के लिए कानूनी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। शीघ्र ही संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना

1310. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग निगम ने देश के औद्योगिक वृद्धि से पिछड़े हुए जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(क) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के पास किराया खरीद के आधार पर मशीनों का संभरण करने का एक गहन अभियान कार्यक्रम है और इसमें पिछड़े जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अंततः लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। इन अभियानों में सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि मिल जुलकर लघु उद्योग स्थापित करने के प्रस्तावों की जांच करते हैं, भावी उद्योग कर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत योजना के गुणावगुणों पर विचार करके मौके पर निर्णय लेते हैं।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने के लिये अनुरोध

1311. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हां। यह विचाराधीन है।

पिछड़े जिलों की सहायता

1312. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 के दौरान विभिन्न राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई विशिष्ट सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन जिलों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक जिले में इस वित्तीय सहायता से जिन-जिन स्थानों की स्थापना की गई है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में सीधी 10% केन्द्रीय अनुदान या सहायता योजना 1971 के अधीन ग्राह्य औद्योगिक एककों को मंजूर की गई सहायता का 24-2-1973 तक का राज्य सरकार से प्राप्त विवरण।

क्रम संख्या राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र*	जिले जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया है	मंजूर की गई कुल राशि (रु० में)
1. आन्ध्र प्रदेश	त्रिचूर, कडप्पा, अनंतपुर और कुरनुल जिलों के 13 ब्लाकों की एक यूनिट तथा मेडक, करीमनगर, वारंगल, पमाम, नलगोण्डा तथा महबूबनगर जिलों के 16 ताल्लुकों की दूसरी यूनिट	2,09,459
2. गुजरात	पंचमहल	7,52,512

3.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम, मदुराई तथा तिरूचिरापल्ली जिलों के 10 ताल्लुकों का एक यूनिट क्षेत्र	15,11,396
4.	केरल	एलेप्पी	10,19,928
5.	मध्य प्रदेश	विलासपुर और रायपुर जिलों के 12 ब्लाकों से गठित 2 क्षेत्रों तथा देवास, शाजापुर, राजगढ़ तथा गुना जिलों के 10 ब्लाक	7,66,669
6.	उड़ीसा	कालाहण्डी और मयूरगंज	4,00,000 (एस्टी०) (अनुमानित)
7.	गोआ, दमन और दिव	राजधानी के नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण जिला	4,48,440
8.	महाराष्ट्र	रत्नगिरि	10,23,842**
9.	मैसूर	रायपुर	4,07360
10.	बिहार	दरभंगा और भागलपुर	27,569
11.	उत्तर प्रदेश	बलिया और झांसी	1,14,846
12.	राजस्थान	अलवर और जोधपुर	1,33,017
13.	पाण्डिचेरी	इसमें राजधानी के नगरपालिका क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण जिला	98,057
14.	मणिपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र	23,069
		योग :	69,36,164

*मंजूरियों का जिलेवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

**महाराष्ट्र के एक औद्योगिक एककों 1,00,396 रु० की राशि पहले ही आवंटित की गई है।

टिप्पणी : 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना के अधीन जिन औद्योगिक एककों को सहायता दी गई है उनमें से अधिकतर लघु और मध्यम क्षेत्र के हैं तथा इसमें प्रमुख रूप से हल्के इंजीनियरी उद्योग, विद्युत उपकरण और औजार, रबड़ और रबड़ का सामान, रिंग बीयर और पीनियन, साबुन चूरा, अल्मीनियम सर्किल, स्टील की वस्तुएं, चावल और तेल बनाने, आइसक्रीम विद्युत करघे लकड़ी, कृषि सम्बन्धी उद्योग और प्रक्रिया एकक आदि आते हैं।

टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का गठन

1313. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या हैं जिनके लिए, मंडल वार, टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की गई है ; और

(ख) क्या संबंधित राज्यों के संसद सदस्य भी इन समितियों के सदस्य हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : वांछित सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में टेलीफोन सलाहकार समिति में दो संसद सदस्य नामजद किए जाते हैं। अन्य स्थानों की टेलीफोन सलाहकार समितियों में एक संसद सदस्य नामजद किया जाता है। संसद सदस्यों को संसद-कार्य विभाग के परामर्श से नामजद किया जाता है।

विवरण

टेलीफोन जिले का नाम जहां टेलीफोन सलाहकार समितियां काम कर रही हैं।

1. बम्बई
2. पूना
3. नागपुर
4. कलकत्ता
5. दिल्ली
6. मद्रास
7. हैदराबाद
8. बंगलूर
9. अहमदाबाद
10. कानपुर
11. पटना
12. जयपुर

आन्ध्र प्रदेश की राजधानी का बदला जाना

1314. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की एकता बनाये रखने के लिये, जब तक मुल्की नियत चालू रहेंगे, वहां की राजधानी को तेलंगाना क्षेत्र से हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में विचार किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मुल्की नियमों के कारण राजधानी को तेलंगाना क्षेत्र से हटा किसी अन्य स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसके विपरीत हैदराबाद व सिकन्दराबाद नगर में

राज्य की राजधानी को वर्तमान स्थिति में जारी रखने के साथ इसकी एकता की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी क्षेत्र के बारे में मुल्की नियम अधिनियम, 1972 में विशेष उपबन्धों की व्यवस्था की गई है, जिनके अधीन :—

(1) जब अधिनियम 30 दिसम्बर 1972 को लागू हुआ तो नगर पुलिस पर ये नियम लागू नहीं रहे ;

(2) राज्य सरकार के सचिवालय, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों और सामान्य कार्यालयों व संस्थाओं में अराजपत्रित पदों में सीधी भर्ती वाले प्रत्येक तीन पदों में से दो को मुल्की नियमों से प्रचालन से अलग कर दिया है ; और

(3) मुल्की नियम राजधानी क्षेत्र में तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तीन वर्ष पूर्व समाप्त हो जायेंगे ।

औद्योगिक विकास

1315. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर कितनी रही और पिछले वर्षों की तुलना में यह अधिक है अथवा कम ;

(ख) किन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई और किन वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई ; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : 1972 के प्रथम दो महीनों में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक 197.8 रहा और जिसमें 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनवरी से सितम्बर 1971 में वृद्धि 2.3 प्रतिशत हुई थी ।

(क) चुने हुए उद्योगों में उत्पादन सम्बन्धी प्रारम्भिक आंकड़ों के आधार पर जनवरी से नवम्बर, 1972 के दौरान जिन उद्योगों में 10 प्रतिशत से अधिक उत्पादन हुआ वे चाय-मशीनें मोटर साइकलें, थ्री व्हीलर, मोपेड, टेलीवीजन सेट, बिजली के पंखे, वी० आई० आर० तथा पी० वी० सी० केबल, एच० टी० इन्सूलेटर, ट्रैक्टरों के टायर, सीसा, नमक, मशीनी औजार, बाल और रोलर बियरिंग्स, हैवी स्ट्रक्चरल्स, चीनी मिल मशीनें, अल्युमिनियम कन्डक्टर इस्पात की ढली हुई वस्तुएं, सूती धागा, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक ब्लीचिंग पाउडर, विसकोज स्टेपल फाइबर, नाइलोन फिलामेंट यार्न, बिजली के बल्ब, ड्राई सेल, जस्ता और साबुन हैं ।

जिन उद्योगों में उत्पादन की दर कम रही है उनमें कच्चा लोहा, ट्रैक्टर विद्युत चालित पम्प, मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबें, साइकलों के टायर और ट्यूबें, रबड़ रसायन, पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर, फास्फेट युक्त उर्वरक, सूती कपड़ा और कोयला सम्मिलित हैं।

जिन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है उनमें डीजल इंजन, विद्युत इस्पात शीटें, स्कूटर, रेडियो रिसीवर, सिलाई मशीनें, सल्फ्यूरिक एसिड, तरल क्लोरीन, कागज, गत्ता और चीनी सम्मिलित हैं।

(ग) विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि कम होने या उत्पादन में गिरावट के भिन्न-भिन्न कारण होते हैं ; जैसे मौसम संबधी स्थिति खराब होने से चीनी का उत्पादन गिरा है। तथा रेडियो रिसीवर, सिलाई मशीनों तथा कुछ अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सूखे के कारण कृषकों की आय गिर जाने के फलस्वरूप मांग कम हो जाने से गिरा है। क्षमता सम्बन्धी अवरोधों के कारण कुछ मामलों में विस्तार ढीला पड़ गया था जबकि और मामलों में विशेषकर इस्पात के विषय में आयातित कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं वो इस प्रकार हैं :—

(1) औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार तथा लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना ;

(2) जिन मामलों में लाइसेंस एक या दो पाली में कार्य करने के आधार पर दिये गये थे उनमें महत्वपूर्ण चुने हुए कुल 65 उद्योगों में अनेक पालियों में कार्य करने की अनुमति देना बशर्ते कि सम्बधित औद्योगिक एकक बड़े गृहों के अधीन हो अथवा अधिकांश विदेशी पूंजी वाली फर्म का न हो जिनकी क्षमता के उपयोग सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर विशेष रूप से गठित कृतिक बल (टास्कफोर्स) द्वारा गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाना है।

(3) विदेशी मुद्रा की आवश्यक्ताओं को देखते हुए कतिपय नियंत्रणों के अधीन बड़े गृहों अथवा अधिकांश विदेशी पूंजी वाली फर्मों को छोड़कर । करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यक्ता में छूट देना ;

(4) औद्योगिक उत्पादन की दर में तेजी लाने की दृष्टि से कच्चे माल विशेषकर इस्पात के विषय में जिसकी आपूर्ती कम रही है, आयात-नीति को उदार बनाना ;

(५) औद्योगिक लाइसेंस के लिये प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार करने तथा पूंजी-गत माल का आयात करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना ; और

(6) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में आने वाले अवरोधों को दूर करना जिनके लिये योजना आयोग के एक सदस्य के अधीन एक विशेष दल का गठन किया गया है।

औद्योगिक कारखानों का उत्पादन

1316. श्री एस० आर० दामाणी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में किन-किन नये कारखानों में पहली बार उत्पादन शुरू किया है और उन्होंने किन-किन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ किया है ;

(ख) किन-किन कारखानों में क्रियान्वयन कार्य चल रहा है और उनमें निर्माण की जाने वाली वस्तुओं, उनकी क्षमताओं और उनमें उत्पादन शुरू होने की तारीख का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन कारखानों में कार्य देशी और आयातित मशीनों अथवा सामान के अभाव में रुका पड़ा है ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1972 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के अभिलेखों में 77 ऐसे औद्योगिक एकक हैं जिनमें पहली बार उत्पादन प्रारम्भ अन्य वस्तुओं के साथ उनमें मुद्रण मशीने, साइकिलें मृदभाण्ड मशीनरी रसायन, रबर, पशुखाद्य एवं मुर्गीदाना, विलेय निस्सारण तेल, रेयन ग्रेड लुगदी, नाइलौन फिलामेंट यार्न, पोलीएस्टर यार्न, चमकीली टाइलें बोतलें जी आई वर्कट, मशीनी औजार, ट्रान्सफार्मर बिजली के पंखे, भोपे सीमेंट, रेजर ब्लेड बनाने की मशीन, कास्टिक सोडा, रोड रोलर,लोहा तथा इस्पात की ढली वस्तुएं सम्मिलित हैं ।

(ख) लगभग 500 एकक स्थापित किए जा रहे हैं वे रबर, कारबन बैक, आटोमोबाइल टायर और ट्यूब, साइकल के टायर ट्यूब, बनस्पति तेल, कागज और पोलिएस्टर स्टेपिल यार्न, नाइलौन फिलामेंट यार्न, कांच की बोतलें, स्टील ग्रेन्ट' एनेमेल, वारनिश, फैट्री, एसिड, ग्राइन्डिंग मीडिया, जी० आई वर्कट, मशीनी औजार, स्टोरेन बैट्रियां, टेलीफोन, केबल वाणिज्यिक गाड़ियां, रोड रोलर, औद्योगिक मशीनें, उर्वरक, औद्योगिक गैसे एल्युमीनियम इंगोट, डेरी और कृषि मशीनें, साइकल के हिस्से और रसायन के हैं ।

(ग) और (घ) इस बारे में तकनीकी विकास के महानिदेशालय को कोई खास शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं । सरकार का यह सतत प्रयत्न रहता है कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण के अधीन और देशी उपलब्धता से नए एककों को उनके परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है ।

सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता

1317. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में सीमेंट उद्योग अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सीमेंट की उपलब्धता तथा देश में उसकी आवश्यकता के बीच लगभग कितना अन्तर है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारणों से सीमेंट उद्योग अपनी इष्ट क्षमता का उपयोग नहीं कर सका है :—

(1) अगस्त 1972 की आम हड़ताल के कारण ;

(2) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा हरियाणा, गुजरात, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मैसूर राज्यों में की गई बिजली की बराबर कटौती के कारण ;

(3) रेल विभाग द्वारा अपर्याप्त मालगाड़ी के बन्द डिब्बों का उपलब्ध कराया जाना ;

(4) यांत्रिक खराबियां आदि तथा ;

(5) आन्ध्र प्रदेश की अशान्ति पूर्ण स्थिति के कारण कोयला ढोने में बाधा उपस्थित होने के कारण विद्युत के अधिक उपयोग पर रोक लगाई जाने के कारण ;

(ग) उक्त स्थिति में करीब 30 लाख मी० टन सीमेंट की आवश्यकता बनी हुई है।

भूतपूर्व नरेशों के महलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करना

1318. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल भी कुछ राज्यों में भूतपूर्व नरेशों के महलों की सुरक्षा के लिए उनके सामने पुलिस और सशस्त्र सेना के सिपाही तैनात रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भूतपूर्व नरेशों को अभी कोई विशेषाधिकार प्राप्त है और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ग्रह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जबकि 28 दिसम्बर, 1971 को संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के लागू होने पर भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं, राज्य सरकार में वास्तविक स्थिति का पता किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'इन्डिया-ए थेराप्यूटिक सेशन' शीर्षक के अन्तर्गत 'टाइम' पत्रिका में प्रकाशित समाचार

1319. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 जनवरी, 1973 की अमेरिकन साप्ताहिक पत्रिका 'टाइम' में इन्डिया-ए थेराप्यूटिक सेशन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा में तालचेर तापीय बिजलीघर और अपर कोलाबा पन-बिजली परियोजना का विस्तार करने के लिए धन के आवंटन के लिए माँग की गई

1320. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तालचेर तापीय बिजली घर और अपर कोलाबा पन-बिजली परियोजना के विस्तार के लिए चौथी योजना के दौरान अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधिक धनराशि आवंटन करने के लिए योजना आयोग से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने कितने धन की मांग की है और कितना धन दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने तालचेर थर्मल स्टेशन के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये तथा अपर कोलाबा हाइड्रोइलैक्ट्रिक स्टेशन के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। फिलहाल ये परीक्षाधीन हैं।

भारत-रूस संयुक्त आयोग

1322. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस संयुक्त आयोग के सम्बन्ध में नई दिल्ली में रूसी विशेषज्ञों के साथ कोई बातचीत हुई थी अथवा इस महीने में होने वाली संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई अथवा होने की संभावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

19 सितम्बर, 1972 को मास्को में भारत था रूस में हुए करार के अनुसार गठित अन्तर सरकारी भारत-रूस आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी आयोग ने अपनी पहली बैठक 9 फरवरी, 1973 से 17 फरवरी, 1973 तक नई दिल्ली में की। दोनों प्रतिनिधि मण्डलों की सहायता उनके विशेषज्ञों ने की। इन विशेषज्ञों की वार्ता 30 जनवरी, 1973 को प्रारम्भ हुई थी।

(ख) दोनों पक्षों में हुए विचार-विमर्शों के अन्त में एक परस्पर सहमत पूर्वलेख (प्रोटोकोल) तैयार किया गया। इस पूर्वलेख में भारत तथा रूस में इन क्षेत्रों में सतत सहयोग की परिकल्पना की गई है—लोहा तथा अलोह धातुकर्म, उत्पादन-सहयोग में वृद्धि, तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन और प्रोसेसिंग तथा अतिरिक्त तेल परिशोधन क्षमता का सर्जन,

इलैक्ट्रोनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र, भारत से रूस को गैर-वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि तथा कलकत्ता भूमिगत रेलवे का निर्माण।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सम्बद्ध परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आयु सम्बन्धी छूट

1323. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सम्बद्ध परीक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए आयु सम्बन्धी सीमा 24 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष कर देने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु सम्बन्धी और छूट दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी छूट दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्ध न रखने वाले उम्मीदवार के लिए निर्धारित की गई ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों के बारे में 5 वर्ष तक की अधिकतम छूट दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भुवनेश्वर और कटक के बीच सूक्ष्म तरंग कनेक्शन

1324. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भुवनेश्वर और कटक को सूक्ष्म तरंग स्वचालित-एक्सचेंज सेवा से जोड़ दिया गया है; और

(ख) क्या उड़ीसा को सूक्ष्म तरंग स्वचालित-एक्सचेंज सेवा के द्वारा सीधा नई दिल्ली से जोड़ा जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) भुवनेश्वर को कटक से जोड़ने वाली एक माईक्रोवेव प्रणाली अगस्त, 1972 में चालू की गई थी। आशा है कि कटक और भुवनेश्वर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सितम्बर, 1973 में चालू हो जाएगी।

(ख) आशा है कि उड़ीसा को दिल्ली के साथ सीधे डायल करने की व्यवस्था द्वारा 1975 में जोड़ दिया जाएगा। उड़ीसा और दिल्ली के बीच का कनेक्शन दिल्ली से कलकत्ता माइक्रोवेव प्रणाली पर और कलकत्ता से कटक कोएक्सियल केबल प्रणाली पर जोड़ा जाएगा।

कोरापुट उड़ीसा में सीमेन्ट का संयंत्र लगाया जाना

1325. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

उड़ीसा के कोरापुट जिले में सुन्की में सीमेंट का संयंत्र लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : भारतीय सीमेंट निगम द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है ।

डाकघर बचत बैंक की जमा राशि में वृद्धि

1326. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में डाक-घर बचत बैंक की जमा राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय बचत बैंक के खातों की कुल संख्या कितनी है और उन खातों में कुल कितनी राशि जमा है; और

(ग) क्या जमाकर्ताओं को और प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज की दर बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) 31-3-1972 को डाक-घर बचत बैंक खातों की कुल संख्या 2 करोड़ 18 लाख थी और खातों में जमा रकम 1026 करोड़ रुपये थी ।

(ग) डाक-घर बचत बैंक खातों में जमा रकम पर ब्याज की दर बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

योजना आयोग में उच्च स्तरीय निरीक्षण तथा मूल्यांकन संगठन (मोनीटीरंग एण्ड इवेल्यूएशन आर्गेनाइजेशन) की स्थापना

1327. **श्री हरि किशोर सिंह** :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार योजना आयोग में एक उच्च स्तरीय निरीक्षण तथा मूल्यांकन संगठन (मोनीटीरंग एण्ड इवेल्यूएशन आर्गेनाइजेशन) की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग में अप्रैल 1972 में एक प्रबोधन तथा सूचना प्रभाग की स्थापना की गई थी ।

(ख) प्रभाग की प्रबोधन शाखा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

(1) निर्माण से पूर्व तथा निर्माण-चरण में राष्ट्रीय महत्व की चुनी हुई परियोजनाओं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/स्कीमों की प्रगति एवं क्रियात्मकता की निगरानी करना तथा उनकी कमियां और विलम्ब इंगित करना, इनके लिए

उत्तरदायी घटकों का पता लगाना तथा योजना में अनुमानित समय और लागत के अन्तर्गत सम्बन्धित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकारियों को सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना;

(2) महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चुनी हुई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों। स्कीमों की प्रगति सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना।

(3) प्रबोधन सेलों अथवा अनुभागों की स्थापना के लिये यदि मंत्रालय/राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और परियोजना प्राधिकारी सहायता मांगे तो उन्हें इस प्रकार की सहायता देना।

देश में आत्म हत्या के मामले

1328. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितने आत्म हत्या के मामले हुए;

(ख) इनमें पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या क्या है;

(ग) आत्महत्या के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) प्रेम की असफलता के कारण कितनी आत्महत्याएं हुई ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1968-1971 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आत्महत्या की घटनाओं का एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक I)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०-4313/73.]

(ख) 1968-1971 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा की गई आत्महत्याओं की सूचना का एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक II)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4313/73.] बच्चों के लिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आत्महत्याओं के दो मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

1 परीक्षाओं में असफलता
2. सास-ससुर के साथ झगड़ा
3. पति-पत्नी में झगड़ा
4. गरीबी
5. प्रेम
6. पागलपन
7. सम्पत्ति पर विवाद
8. भयानक रोगों के कारण निराशा
9. अन्य कारण

(घ) 1968	1340
1969	1439
1970	1552

दिल्ली में क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

1329. **श्री सतपाल कपूर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में क्रास-बार टेलीफोन एसचेंज प्रणाली के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) क्रास-बार एक्सचेंज प्रणाली के बारे में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से प्रमुख शिकायतें ये है कि डायल टोन मिलने में विलम्ब होता है, ज्यादातर कालें लग नहीं पातीं, गलत टेलीफोन नम्बर मिल जाते हैं और टेलीफोन नम्बर खाली न होने की बिजी डायल-टोन प्राप्त होती है हालांकि जिस टेलीफोन नम्बर को काल की जाती है, वह नम्बर खाली होता है ।

क्रासबार एक्सचेंजों का कार्य-चालन सामूहिक नियंत्रण प्रणाली (कामन कंट्रोल सिस्टम) के सिद्धान्त पर आधारित होता है जिसमें कालें लगाने के लिए अत्यन्त जटिल उपस्कर इस्तेमाल में लाए जाते हैं । क्रास-बार एक्सचेंजों का असन्तोषजनक कार्य-चालन मुख्य रूप से सर्किट डिजाइनों में खराबियों, आवर्ती (रिकरेंट) सहायक उपकरणों के फेल हो जाने और मशीनी समायोजन टिकाऊ न होने के कारण होता है ।

भारतीय डाक-तार विभाग ने क्रास-बार एक्सचेंज उपस्कर में सुधार लाने के लिए अपने दूर संचार अनुसंधान केन्द्र के जरिए इन खराबियों का विश्लेषण किया है और इन्हें दूर करने के लिए विशेष तरीके निकाले हैं । खराबियां दूर करने के प्रस्तावित उपायों के बारे में उन देशों से जिन्होंने मूल-उपस्कर सप्लाई किए थे विचार-विमर्श किया गया था और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है । सर्किटों में खराबियां दूर करने और दोषपूर्ण सहायक उपकरणों को बदलने के लिए जिस साज-सामान की जरूरत है, वह साज-सामान वे ही देश सप्लाई कर रहे हैं । खराबियां दूर करने का कार्य काफी बड़ा और व्यापक है और इसे पूरा करने में कुछ महीने लग सकते हैं । अतः जब खराबियां दूर करने का कार्य पूरा हो जाएगा जिसमें अभी कुछ समय लगेगा तो इससे कार्य-चालन में सुधार होगा और तब क्रस-बार एक्सचेंजों से सेवा पाने वाले उपभोक्ताओं को अच्छे स्तर की टेलीफोन सेवा मिलने लगेगी ।

1972 में टेलीफन केन्द्रों का चालू किया जाना

1330. **श्री सतपाल कपूर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1972 के दौरान चालू किए गए टेलीफोन केन्द्रों और वर्ष 1973 के दौरान चालू किये जाने वाले टेलीफोन-केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) टेलीफोन केन्द्र वार उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या अभी तक चालू किए गए टेलीफोन-केन्द्रों से नए उपभोक्ताओं को नए फोन-कनेक्शन दिए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक नए टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे और इन नए केन्द्रों से दिए गए/दिये जाने वाले नए कनेक्शन की कुल संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) वर्ष 1972 में चालू किए गए टेलीफोन एक्सचेंज

एक्सचेंज का नाम	क्षमता
फरीदाबाद (विस्तार)	1,500
बदरपुर (विस्तार)	200
करोलबाग (विस्तार)	1,000
ईदगाह	5,000
जनपथ	3,000

वर्ष 1973 में चालू किए गए टेलीफोन एक्सचेंज और वे एक्सचेंज जिन के चालू किए जाने की सम्भावना है।

एक्सचेंज का नाम	क्षमता
ईदगाह (विस्तार)	4,000
दिल्ली कैंट (विस्तार)	600
जनपथ (विस्तार)	3,000
चाणक्यपुरी	4,000

(ग) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक विकास निगम का आशय-पत्र जारी किया जाना

1331. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास निगमों को राज्यवार कितने आशय-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) इन आशय-पत्रों के आधार पर, राज्यवार कितने उद्योग स्थापित किए गए;

(ग) राज्यवार इन आशय-पत्रों की अवधि कितनी बार बढ़ाई गई; और

(घ) जिन आशय-पत्रों के आधार पर अब तक उद्योग स्थापित नहीं किए गए है उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये आशय-पत्रों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०-4314/73] आशय-पत्रों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों पर है तथा इन आशय-पत्रों पर स्थापित किये गये उद्योगों की संख्या के बारे में सरकार को निश्चित जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) : आशय-पत्रों की अवधि बढ़ाने के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी, सरकार, आशय-पत्रों की अवधि बढ़ाने के आवेदनों पर विचार करते समय कार्यान्वयन के कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करती है और चेतावनी देने के बावजूद यदि पर्याप्त प्रगति नहीं होती है तो अवधि बढ़ाने से इन्कार करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी।

Removal of Backwardness of Bihar State

1332. **Shrj Ramavatar Shastri** : Will the Minister **Planning** pleased to state :

(a) whether Bihar is considered as one of the backward states ;

(b) if so, whether the Chief Minister of Bihar has presented a scheme to the Central Government for removing the backwardness of the State ; if so, the main features of the scheme ; and

(c) the Central Government's reaction thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes Sir.

(b) Planning Commission is not aware of any scheme sent by the Chief Minister for removing backwardness of the State of Bihar. However he has discussed the matter of backwardness and has indicated to send his scheme.

(c) Does not arise.

Suggestion made by Bihar Freedom Fighters Assistance Committee

1333. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any delegation on behalf on Bihar Freedom Fighters Assistance Committee had called on him during January last ;

(b) if so, whether any suggestion was made by the delegation ; and

(c) if so, the main points thereof and the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The discussions related to procedures for facilitating early disposal of pension cases. Every effort is being made for expediting issue of sanctions.

Proposal to Constitute a Board for the Development of Natural Wealth

1334. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Science and Technology be pleased to state :

(a) whether while inaugurating the Silver Jubilee of Natural Geophysical Research Institute held in Hyderabad during December last the Chairman of the Indian National plus Science Academy, Shri V. R. Shesachar stressed the need of constituting a Committee or Board for the development and increase of natural wealth ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) The development of natural resources in the country is within the province of several ministries and it would need a great deal of inter-ministerial consultations and discussions before any decision can be taken to form such a Board. The matter is under consideration.

1971-72 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी

1335. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास दर में कमी हुई है;

(ख) क्या चालू वर्ष में विकास दर में और कमी होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो विकास दर में कमी के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) हालांकि 1971-72 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 1970-71 की अपेक्षा कुछ अधिक थी, किन्तु देश के कुछ भागों में सूखे और बाढ़ की स्थिति के कारण कृषि की पैदावार में कमी आई। परिणामस्वरूप ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक वृद्धि की दर कुल मिला कर 1971-72 में 1970-71 से कम रहेगी।

चालू वर्ष में व्यापक सूखे की स्थिति के कारण खरीफ की फसल में गम्भीर कमी आयेगी। चालू वर्ष में सम्बन्धित औद्योगिक उत्पादन के अब तक प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि वृद्धि की दर में गत वर्ष की तुलना में सुधार है। किन्तु अभी से यह बतलाना जल्दबाजी होगी कि 1972-73 में कुल वृद्धि की दर क्या होगी ?

गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

1336. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में निकट भविष्य में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को किन-किन जिलों में स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1 जनवरी, 1973 तक गुजरात में नये उद्योग स्थापित करने के लिए आए हुए 175 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) जिलेवार सूचना नहीं रखी जाती है।

बम्बई में टेलीविजन कार्यक्रम

1337. **श्री डी० पी० जडेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 31 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा है, दोषपूर्ण कार्यक्रम बनाने के कारण बम्बई में टेलीविजन व्यापार पर बुरा असर पड़ा है ;

(ख) क्या बम्बई में टेलीविजन कार्यक्रम अधिकतर मराठी में दिखाये जाते हैं जबकि बम्बई में मुख्य रूप से सिन्धी, गुजराती और मराठी भाषी लोग रहते हैं ; और

(ग) सिन्धी, गुजराती और हिन्दी में टेलीविजन कार्यक्रम शुरु करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) बम्बई टेलीविजन केन्द्र की रेंज बम्बई के इर्द-गिर्द लगभग 95 किलोमीटर है और उसके अन्तर्गत लगभग 13,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में अधिकांशतया मराठी भाषी लोग रहते हैं। अतएव, बम्बई के टेलीविजन कार्यक्रम मुख्यतया मराठी में होते हैं। तथापि, बम्बई टेलीविजन केन्द्र से गुजराती, हिन्दी, सिन्धी तथा अन्य भाषाओं में भी कार्यक्रम टेलीकास्ट किये जाते हैं।

राय बरेली में स्विचिंग कारखाना

1338. **श्री डी० पी० जडेजा :**
श्री के० बलादंडायुतम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से राय बरेली में एक स्विचिंग कारखाना स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विदेशी सहयोग की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर बनाने के लिए राय बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है। इस प्रयोजना के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त न करने के प्रश्न पर, तभी विचार किया जाएगा जब

इस कारखाने में निर्मित होने वाले उपस्कर की किस्मों का चुनाव होगा। यह सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है।

T. V. Centres in Bihar

1339. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Jagannath Mishra :

Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time by which Government propose to set up Television Centres in Bihar and the locations thereof ; and

(b) the reasons for which Television centres have not been set up in Bihar so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The proposals for setting up TV stations in the Fifth Plan are still under consideration.

(b) Owing to limited resources, the establishment of TV stations in the country is being considered in a phased programme. During the current Plan, the establishment of TV stations at a few metropolitan centres and the border stations at Srinagar and Amritsar has been considered. The establishment of a TV Station in Bihar will be taken up in the next phase of TV development in the country.

Increase in the number of Council of Ministers

1340. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission had recommended in their report that the Council of Ministers should not have Ministers more than 11 per eent of the total number of the Members ;

(b) whether the strength of the present Council of Ministers in the Centre exceeds by more than five ; and

(c) the reasons for ignoring the recommendations of the Commission and the reasons necessitating the increase in the strength of the Council of Ministers by more than 11 per cent ?

The Minister of the State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) The ARC's recommendation regarding strength of the Council of Ministers, and Government's decision thereon. were *inter alia* laid on the Table of the House on 11th August 1971 and again on 17th November, 1971.

Rural Post Office in Bihar

1341. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether comparatively less number of Post Offices were opened in the villages in Bihar last year than in the villages of other States ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of Post Offices to be opened in Bihar during 1973-74 and the names of places where they would be opened ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Provision has been made to open 200 new post offices in Bihar in the budget year 1973-74. The exact places where these post offices will be opened shall however, depend upon the result of examination of specific proposals fulfilling the standards prescribed by the P and T Department.

केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को सूचित किए गए उच्च श्रेणी लिपिकों के खाली पद

1342. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को सूचित किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और स्टेनोग्राफर के खाली पदों के बारे में 31 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम जुलाई, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 की अवधि में (तिथिवार) किस-किस केन्द्रीय सरकारी कार्यालय/विभाग ने केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल को उच्च श्रेणी लिपिकों के कितने कितने खाली पदों की सूचना दी ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय विभाग ने किस तिथि (तिथियों) को उपरोक्त श्रेणी के आरक्षित तथा अनारक्षित खाली पदों की सूचना दी ;

(ग) 1 जुलाई, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 की अवधि में किन कार्यालयों को इस आशय के "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए गए कि केन्द्रीय पूल में नाम निदेशित किए जाने के लिए कोई उपयुक्त फालतू अधिकारी उपलब्ध नहीं है ; और

(घ) खाली पदों के ब्योरे सहित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने की तिथि (तिथियां) कौन-कौन सी हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

Number of Underground Pakistani Nationals from Punjab State during the last Three Years

1343. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of underground Pakistani nationals deported from the various districts of Punjab during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : The total number of underground Pakistani nationals deported during the last three years was 17, out of which 16 were from the Gurdaspur District and one from the Hoshiarpur District.

Deportation of Underground Pakistani Nationals from Kerala State

1344. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the district-wise number of pakistani nationals in Kerala State at present who came here on valid passports and visas from Pakistan but have gone underground in the various districts of the State after the expiry of the period of their passports and visas ; and

(b) the action taken by Government to deport them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली/नई दिल्ली में खजाने से पेंशन का भुगतान

1345. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी खजानों में पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण पेंशन लेने वालों लोगों को अपनी पेंशन लेने के लिए कई घन्टे तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है : और

(ख) यदि हाँ, तो पेंशन भोगियों की कठिनाइयों को दूर करने के विचार से उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान्। किन्तु महीने के अन्तिम दस महिनों के दौरान जब सामान्य भुगतान के बिल और अन्य क्लेम के लिए जाते हैं तो खजानों में पेंशनों के मामलों में देरी हो जाती है। महीने की 25 तारीख तक कार्य के लगभग सभी दिनों में पेंशन की अदायगी के लिए प्रबन्ध किये गये हैं। प्रत्येक पेंशन प्राप्त करने के लिए चार वैकल्पिक तिथियां होती हैं। ऐसे दिनों में जबकि कार्य की अधिकता होती है आन्तरिक समायोजन करके अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।

अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिये फिल्म वित्त निगम द्वारा सहायता

1346. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए 1972 तक कितने व्यक्ति फिल्म वित्त निगम से लाभान्वित हुए हैं ;

(ख) अच्छी फिल्मों के निर्माण हेतु फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों की तालिका बनाने की क्या पद्धति है ; और

(ग) किन व्यक्तियों को फिल्म वित्त निगम से सहायता प्राप्त हुई और किन व्यक्तियों ने सरकार को ऋण लौटा दिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फिल्म वित्त

निगम ने 31 दिसम्बर, 1972 तक 105 फिल्मों (24 वृत चित्रों समेत) के निर्माण के लिए ऋण दिये थे।

(ख) इस प्रकार का कोई पैनल नहीं है। निगम द्वारा ऋण प्रत्येक आवेदन पत्र की योग्यताओं के आधार पर दिये जाते है।

(ग) जिन 105 आवेदकों को निगम द्वारा ऋण दिये गये थे, उनमें से 46 (वृत चित्रों के 21 निर्माताओं सहित) ने सारा ऋण लौटा दिया है 18 मामलों में, निगम ने ऋण बट्टे खाते में डाले हैं, परन्तु उनमें से भी दो निर्माताओं ने समझौते के अनुसार परिशोधित राशि लौटा दीं है। अन्य मामलों में, ऋण की शर्तों के अनुसार ऋण वसूली की कार्रवाई जारी है। जिन 48 निर्माताओं ने ऋण लौटा दिये हैं या परिशोधित राशि वापिस कर दी है, उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-**4315/73]

"फाइव पास्ट फाइव" नामक फिल्म को सहायता

1347. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विमल आहुजा द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म "फाइव पास्ट फाइव" की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस फिल्म तथा ऐसी अन्य फिल्मों को सहायता देने का है जो युवकों को गांधी जी की वास्तविक विचारधारा से अवगत कराती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।
(क) जब कि सरकार गांधी जी की शिक्षाओं तथा उनके आदर्शों के प्रचार में सहायक होने वाले किसी भी कार्य का स्वागत करेगी, वर्तमान फिल्म की सहायता करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों और राज्य-भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों के सम्मेलन के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1348. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राज्य भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों के नई दिल्ली में हुए छठे संयुक्त सम्मेलन में लिए गये निर्णयों और सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्य भ्रष्टाचार निरोधी अधिकारियों के छठे संयुक्त सम्मेलन में की गई सिफारिशें प्रधानतः प्रशासनिक विषयों, संगठानात्मक सुधार तथा वर्तमान नियमों एवं विनियमों आदि के कुछ संशोधनों से सम्बन्धित थीं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सम्बन्धित सिफारिशें उनके पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। अन्य सिफारिशें कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में प्रक्रियागत हैं।

केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्त किये गये दिल्ली पुलिस अधिकारी

1349. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को सचिवों, उप सचिवों और अवर सचिवों के रूप में केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन मंत्रालयों और विभागों में उनकी नियुक्ति की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) भारतीय पुलिस सेवा के संघ शासित क्षेत्र सवर्ग से सम्बन्ध रखने वाले किसी अधिकारी को अभी तक केन्द्रीय सचिवालय में नहीं लिया गया है ।

सरकार द्वारा हाथ में लेने से पहले मिलों से मशीनें हटाना

1350. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए मिलों के पूर्व प्रबन्धकों ने ऋण के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है और अन्तिम क्षण में बहुत से व्यक्तियों को अत्याधिक वेतन पर रखा गया है ;

(ख) क्या बहुत से मामलों में मशीनों के मुख्य और मूल्यवान पुर्जों को निकाल लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धर्मनगर डाक घर की इमारत

1351. **श्री बोरेन दत्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर डाक घर की इमारत उनकी अपनी भूमि पर बनाई जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

सचांर मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) भवन निर्माण कार्य अप्रैल, 1973 में शुरू होने की सम्भावना है ।

पूर्वोत्तर परिषद के सचिव द्वारा त्रिपुरा का दौरा

1352. **श्री बिरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद के सचिव ने प्रादेशिक योजना के सम्बन्ध में त्रिपुरा का दौरा किया है ;

(ख) क्या रेलवे संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए लाइन का धर्मनगर से अगरतला तक विस्तार करने के सम्बन्ध में उन्होंने कोई सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रिय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

(घ) क्या त्रिपुरा को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए भी उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश

1353. **श्री सुरेन्द्र मेहन्ती :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय वकील परिषद ने भारत के राष्ट्रपति से राज्य सरकारों को भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्पष्ट और अनिवार्य आदेश जारी करने का अनुरोध किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस सम्बन्ध में ऐसा कोई पत्र न तो राष्ट्रपति सचिवालय में और न इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ प्रतीत होता है ।

औद्योगिक लाइसैंस देना

1354. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या औद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 और और 1972-73 में औद्योगिक लाइसेंस के लिए विभिन्न राज्य में कितने आवेदन पत्र आए तथा उन्हें कितने लाइसेंस दिए गए ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	
	1971	1972	1971	1972
1. आंध्र प्रदेश	117	105	39	29
2. अण्डमान और निकोबार	1	2	—	—
3. आसाम	33	37	5	12
4. अरुणाचल	—	1	—	—
5. बिहार	64	100	24	18
6. चण्डीगढ़	5	5	—	—
7. दादर नगर हवेली	3	1	—	—
8. दिल्ली	65	77	12	13
9. गोवा	21	15	—	2
10. गुजरात	318	288	67	61
11. हरियाणा	266	192	33	38
12. हिमाचल प्रदेश	10	23	1	—
13. जम्मू और कश्मीर	11	13	2	—
14. केरल	45	49	7	12
15. महाराष्ट्र	641	592	168	138
16. मध्य प्रदेश	105	63	20	12
17. मेघालय	2	8	—	1
18. मैसूर	145	152	22	42
19. नागालैंड	1	3	—	1
20. नेफा	1	—	—	—
21. उड़ीसा	35	36	8	3
22. पाण्डिचेरी	10	10	1	—
23. पंजाब	54	71	13	16
24. राजस्थान	87	92	16	18
25 तामिल नाडु	182	208	52	35
26. त्रिपुरा	1	1	—	2
27. उत्तर प्रदेश	334	341	49	52
28. पश्चिमी बंगाल	197	224	84	52
29. जिन राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया है	14	17	—	—
30. एक राज्य से अधिक	164	123	3	4

विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते को स्वीकृति देना

1355. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1972 में सरकार ने कितने विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौतों को स्वीकृति दी;

(ख) इनमें से कितने समझौतों में विदेशी पूँजी लगेगी;

(ग) इन समझौतों में कुल कितनी विदेशी पूँजी लगेगी; और

(घ) इन समझौतों के अन्तर्गत मुख्यतः कौन-कौन से उद्योग चालू होंगे ?

औद्योगिक और विकास तथा विज्ञान प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) वर्ष 1972 में सरकार द्वारा 256 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किये गये जिसमें से 36 में विदेशी पूँजी निवेश निहित है। इनमें होने वाली कुल विदेशी पूँजी निवेश की राशि 622.66 लाख रुपये है। इन प्रस्तावों में सम्मिलित किए गये प्रमुख उद्योग समुदायों में आद्योगिक मशीनें, कागज बनाने वाले संयंत्र, लुगदी मिल संयंत्र, बुटाडीन एक्सट्रेक्शन प्लान्ट, छपाई की मशीनें, सिन्थेटिक डिटरजेन्ट प्लान्ट, ग्रेन सिलोस एण्ड बल्क हैण्डलिंग प्लान्ट, हाइड्रालिक उपकरण, आटोमोबाइल सहायक उद्योग आटोमोबाइल टायर और टयूबे, पालिस्टर स्टैपल फाईवर, प्रेसट्रेण्ड कान्क्रीट पाइपे, कीटनाशक मिश्रण और अस्पताल के उपककरण जैसे इन्टेंसिव केयर यूनिटों में प्रयोग आने वाले मल्टी चैनल कार्डियों आफ आदि हैं।

सरकार और उद्योगों में परस्पर विश्वास

1356. **श्री डी० के० पंडा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार और उद्योग के बीच परस्पर सद्भाव कम हो गया है और निश्छल बातचीत से उनमें पुनः सद्भाव पैदा हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौयोगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) सरकार सलाहकार परिषद् की हाल ही में आयोजित एक बैठक में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि उन्होंने यह कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र भी जनता के लिए काम करना चाहता है लेकिन इस काम के लिए उसेकभी अपनत्व की भावमा नहीं मिली। वताया गया है कि उन्होंने अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र को अच्छी तरह से काम में लाना चाहिए क्योंकि आपसी सहयोग से बहुत कुछ किया जा सकता है।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यों में स्पष्टरूप से घोषित कर दिया है। सरकार ने औद्योगिक नीति के कुछ पहलुओं को भी हाल ही में इस आशा से स्पष्ट कर दिया है कि समाज के समावादी ढांचे के अन्तर्गत स्वीकृत आत्मनिर्भरता

के साथ विकास को बढ़ावा देने में समाज के सभी वर्ग अपनी यथोचित भूमिका निभाने के लिए आगे आयेंगे ।

मैसूर में दुर्भिक्ष

1357. **श्री के० लकप्पा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की दुर्भिक्ष दशाओं का सामना करने के लिए योजना आयोग के पास कोई विशेष कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) प्राकृतिक विपत्तियों से राहत के लिए होने वाले खर्च हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता के अनुदान (बशर्ते कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की गई चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 108 में जितने व्यय की अनुमति दी गई है उससे 75 प्रतिशत अधिक तक हो) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में यह तय किया गया है कि यह अनुदान प्रभावित राज्यों को वित्त मन्त्रालय की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारियों के दल की सिफारिशों के आधार पर राहत सम्बन्धी व्यय की निम्नलिखित मदों पर दिया जाएगा :

1. खाद्य की निःशुल्क अथवा रियायती आपूर्ति ।
2. गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए धन प्रदान करना ।
3. विकलांगों को धन बांटना ।
4. निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर कपड़े तथा कम्बल देना ।
5. बीजों की निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर आपूर्ति ।
6. निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर चारा देना ।
7. मुफ्त अथवा रियायती दरों पर दवाइयां देना ।
8. पशु-महामारियों के निराकरण के उपाय ।
9. पेय जल की व्यवस्था
10. राहत कार्यों के लिए वस्तुओं के आवागमन हेतु यातायात सुविधाओं की व्यवस्था ।
11. विपत्ति के कारण टूट-फूट गए मकानों की मरम्मत ।
12. राहत कार्य ।

जहां राज्य सरकारों की संसाधनों की दशा को देखते हुए आवश्यकता हो, वहां भारत सरकार तदर्थ ऋण भी देती है ।

मैसूर राज्य में सूखा पड़ने की दशा में केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी गई :

1. ऊपर बताई गई नीति तथा प्रक्रिया के अनुसार एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में मैसूर राज्य में दौरा किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से व्यय की सीमा 7.75 करोड़ रुपए निश्चित की गई थी। इसके बाद मैसूर सरकार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में एक दूसरे केन्द्रीय दल ने स्थिति के पुनरावलोकन के लिए अभी हाल ही में राज्य का दौरा किया तथा इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी बीच व्यय की प्रगति के आधार पर तथा राज्य सरकार की संशाधनों की दशा पर विचार करते हुए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 14.5 करोड़ रुपये की धनराशि (12.5 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 2 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में) राज्य सरकार को दी जा चुकी है। और आगे सहायता, किए गए व्यय को देखते हुए तथा व्यय की पुनरीक्षित सीमा, जो कि सम्भवतः दूसरे दल की सिफारिशों के आधार पर निश्चित की जाय, के आधार पर दी जाएगी।

(2) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने विशेष रबी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को हल्का करने के लिए 3.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

(3) कृषि निदेश क्रय करने और वितरण करने के लिए राज्य सरकार को दो करोड़ रुपये की राशि विशेष लघु अवधि ऋण के रूप में स्वीकार की गई है।

(4) घाट प्रभा और भालप्रभा परियोजनाओं के कार्य को 1972-73 की वार्षिक योजना में प्रारम्भिक परिकल्पित स्तर से ऊपर करने के लिए 1972-73 में 2.72 करोड़ रुपये की अग्रिम केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है। इसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 1.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(5) विभिन्न मन्त्रालयों की निम्नलिखित विशेष स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकार को निम्नांकित व्यवस्थाएं और उपलब्ध होंगी। (इनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता से राज्य सरकार को सूखे की स्थिति से मुकाबला करने में सहायता मिलेगी):

(क) मैसूर राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति तीव्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 1972-73 में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

(ख) 1972-73 में राज्य को विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 143 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार को 7.5 लाख रुपये दो किस्तों में दिए जा चुके हैं तथा शेष राशि चालू वर्ष के समाप्त होने से पहले ही दे दी जाएगी।

(ग) खाद्य और कृषि मंत्रालय के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972-73 के दौरान राज्य सरकार को क्रमशः 2.28 करोड़ रुपये (नवम्बर 1972 तक) तथा 1.19 करोड़ रुपये (दिसम्बर 1972 तक) दिए गए।

यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि मिलने से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर करने में और रोजगार उपलब्ध करने में बहुत सहायता मिलेगी।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें

1358. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध 'जनरल पूल' आवास की तुलना में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आवास सुविधाएं अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए उत्तरोत्तर ज्यादा निधि अलाट की जा रही है । चौथी योजना की अवधि के लिए क्वार्टरों के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित है, वे सभी क्वार्टर तैयार कराने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं । बल्कि, इस योजना अवधि में कुछ और ज्यादा क्वार्टरों के तैयार करने की कोशिश की जा रही है । पांचवीं योजना अवधि 1974-79 के दौरान क्वार्टरों के निर्माण के लिए और ज्यादा निधि अलाट करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाना अभी बाकी है

Telephones Disconnected at Nangachhiya Telephone Exchange, Bihar

1359. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone subscribers of Narayanpur centre under Nangachhiya Exchange in Bihar State who have got their telephones disconnected recently ; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N Bahuguna) : (a) Two

(b) Non-payment of annual rental and other telephone dues.

Sale of Raw Materials by owners of Small Scale Industries in Bihar

1360. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance and the quantity of raw material provided to Bihar State for small scale industries by the Central Government during 1970-71 and 1971-72 ;

(b) whether the owners of small scale industries are reported to be selling, the raw material received by them, in black market and not using it in their industries; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) 1. **Financial assistance :**

(Rs. in lakhs)

	1970-71	1971-72
(i) Small Scale Industies.	60.78	78.79
(ii) Industrial estate.	3.01	5.29

		1970-71	1971-72 (Rs. in lakhs)
2.	**Raw materials :**		
	(i) Imported raw materials.	156.00*	201.00*

3. **Indigenous raw materials :**

		1970-71	1971-72 (in tonnes)
(i)	E. C. Grade Aluminium	1723	2259
(ii)	Commercial Grade Aluminium	Nil	69
(iii)	Zinc	Nil	94.78
(iv)	Antimony	1.7	1.9
(v)	Mutton Tallow	1000	1000
(vi)	Soda Ash	Nil	140
(vii)	Parafin wax	1249	1484

Allocation and despatches of Steel Bihar State for Small Scale Industries Units has of late improved as may be seen from the table below :

(In metric tonnes)

Period	Total allocation to SSI Sector	Allocation to Bihar
January-March 1971	51,421	1693
April-June 1971	40,461	719
July-September 1971	44,238	1138
October-December 1971	32,277	1039
January-March 1972	45,959	901
April-June 1972	66,579	1943
July-Steptember 1972	—	—
October-December 1972	75,428	1761

Despatches :

	(In tonnes)
1970-71	4,000
1971-72	4,900

(b) and (c). Occasional allegations of misuse of Raw material are looked into whenever they are received. Actual distribution of raw materials among individual small scale units is done by the State Directors of Industries who are required to ensure proper utilisation of the material allotted to the individual units. They have been requested to tighten up their supervision over the utilisation of the quotas of raw materials allotted to the small scale industries units.

Appointment of a States Reorganisation Commission

1361. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minisier of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider the question of reorganisation of States afresh by appointing a State Reorganisation Commission ; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

*Value of import licences issued to SSI Units in Bihar State.

The Deputy Minister in the Ministry of home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Government do not consider that the need for a fresh reorganisation of States exists.

आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता की छत का क्रिकेट मैच देखने के लिये उपयोग

1362. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हाल में हुए क्रिकेट टैस्ट मैच को देखने के लिए आकाशवाणी, कलकत्ता की इमारत की छत का प्रयोग किया गया था और आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक के हस्ताक्षरयुक्त प्रवेश-पत्र पैसे लेकर जारी किये गये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किसकी अनुमति से किया गया था और इस प्रचार एकत्र किये गये धन का निपटारा किस प्रकार किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) आकाशवाणी के कर्मचारियों के परिवारों के कुछ सदस्यों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के कुछ अन्य कार्यालयों के अधिकारियों को टेस्ट मैच के प्रथम दो दिन प्रवेश पास जारी किये गये थे। क्योंकि इससे भवन की छत पर बहुत भीड़ हो गई, अतः ये सब पास बाद में रद्द कर दिये गये। पास पैसे लेकर जारी नहीं किये गये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में धोखेबाजों द्वारा अपने को डाकघर के कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी के मामले

1363. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दिल्ली में ऐसे मामले हुए हैं जिसमें धोखेबाज अपने को डाकघर के कर्मचारी बता कर डाकघरों के सार्वजनिक हाल में घूमते हैं और लोगों को बिना बारी के डाक कार्य जैसे मनीआर्डर भेजना, बीमा वस्तुओं की बुकिंग, बचत बैंकों में धन जमा कराने और रेडियो लाइसेंस आदि प्राप्त कराने का वचन देते हैं और वे डाकघर के अन्दर जाते हुए दिखाई देते हैं और इसके पश्चात् गायब हो जाते हैं; और

(ख) डाकघरों में इस प्रकार की धोखा-धड़ी को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है और क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। इस तरह के पांच मामले सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ख) डाकघरों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखने के तरीकों को मजबूत कर दिया गया है। साथ ही जन सामान्य को सावधान करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का ब्यौरा देते हुए, एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया था।

इस बारे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

फतहपुरी, दिल्ली स्थित वायदा बाजार चेम्बर से काटे गये टेलीफोन

1364. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतहपुरी, दिल्ली स्थित वायदा बाजार चेम्बर के कितने टेलीफोन अब तक काटे जा चुके हैं;

(ख) क्या वे सभी टेलीफोन काटे जा चुके हैं जिनको काटने की प्रार्थना पुलिस ने टेलीफोन विभाग से की थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं; और

(घ) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि उन लोगों को किसी भी अवस्था में टेलीफोन नहीं दिए जाएंगे जो अवैध वायदा बाजार का धन्धा करते हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) फारवर्ड ट्रेनिंग चेम्बर, कोरोनेशन होटल, दिल्ली में काम कर रहे 171 टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए हैं।

(ख) जी हाँ, केवल तीन कनेक्शनों को छोड़ कर।

(ग) तीन टेलीफोन कनेक्शन इसलिए नहीं काटे गए क्योंकि दिल्ली प्रशासन के आदेश में बताए गए टेलीफोन नम्बर फारवर्ड ट्रेडिंग चेम्बर, कोरोनेशन होटल के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये कनेक्शन आदेश में बताए गए उपभोक्ताओं के अलावा दूसरे उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहे थे।

(घ) विधायी भारतीय तार नियमावली के अधीन गैर कानूनी कार्य के लिए टेलीफोन का उपयोग वर्जित है। इसलिए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पर उसके गुणावगुणा के आधार पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा टेलीफोनों की मंजूरी

1366. **श्री शशि भूषण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सलाहकार समिति ने वर्ष 1972 के दौरान दिल्ली में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों से सामान्य और विशेष श्रेणी के अन्तर्गत अलग-अलग कितने टेलीफोन लगाने के लिए मंजूरी दी है;

(ख) इन में से अब तक कितने टेलीफोन लगाये जा चुके हैं और टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा काफी समय पहले टेलीफोन मंजूर करने के बाद भी प्रयोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पहले ही मंजूर किये जा चुके टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा चुके हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) टेलीफोन सलाहकार समिति ने वर्ष 1972 में दिल्ली के विभिन्न अन्तर्गत एक्सचेंजों में विशेष श्रेणी के अन्तर्गत 383 नए टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश की थी। सामान्य श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही दिए जाते हैं और ये टेलीफोन सलाहकार समिति के दायरे में नहीं आते।

(ख) अभी तक 265 कनेक्शन लगाए गए हैं। बकाया 118 कनेक्शनों में से 111 कनेक्शन तकनीकी दृष्टि से देना सम्भव नहीं है और 7 कनेक्शन विवादास्पद होने के कारण नहीं लगाए जा सके।

(ग) केबल डालने का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है और जो कनेक्शन तकनीकी दृष्टि से खोलना सम्भव नहीं हैं, आशा है कि उन्हें लगभग 3 महीने की अवधि में खोलना सम्भव हो जाएगा।

Assistance to Engineers in Rajasthan

1367. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the amount of funds utilised out of the amount given by the Centre to Rajasthan during the last year for the development of industries and for providing employment to the technicians holding Engineering Degrees or Diplomas:

(b) the number of unemployed engineers and technicians to whom the monetary assistance was given out of the aforesaid amount indicating the names of the industries for which such assistance was given; and

(c) whether Central Government propose to provide such monetary assistance to Rajasthan this year also and if so, the extent thoreof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri G. Subramaniam) : (a) With the commencement of the Fourth Five Year Plan, central assistance to the State Governments for State Plan schemes are in the form of block loans and block grants and is not tied to individual heads of development. The state Government are at liberty to utilise the block loans and grants among the various heads of development as exigencies warrant. During the year 1971-72, the Government of Rajasthan had incurred expenditure of Rs. 14.24 lakhs on small scale industries and Rs. 1.79 lakh on industrial estates. Under the scheme of assistance to the educated unemployed, the Government of Rajasthan were allocated a sumof Rs. 47 lakhs during the year 1971-72. The State Government have utilised the entire allocation of Rs. 47 lakhs during the year 1971-72.

(b) Information is being collected and will be laid on the table of the house.

(c) The central assistance for State plans in the form of block loans and grants and also under the scheme of assistance to the educated unemployed will be made available to the Government of Rajasthan at the end of the financial year 1972-73 on the basis of expenditure to be intimated by the state Government.

Inclusion of Rajasthan in Eighth Schedule of Constitution

1368. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be bleased to state :

(a) the number of Rajasthani speaking persons in Rajasthan and whether Rajasthani is a language or a dialect;

(b) the number each of Marwari, Panjabi,, Brij, chaste Hindi and Gujrati speaking people in Rajasthan; and

(c) whether Government propose to include Rajasthani in the Eighth Schedule of Constitution?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. L.T.-4316/73]

(c) No, Sir.

पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग में संकट

1369. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग में संकट के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के फिल्म उद्योग की शिकायतों के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये है और उन सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : केन्द्रीय सरकार से मुख्य रुप से सम्बन्धित मामलों अर्थात फिल्म प्रभाग का फिल्म विधायन सम्बन्धी कुछ कार्य कलकत्ता में स्थानान्तरित करने के बारे में कार्यवाही की जा चुकी है। इसी प्रकार कुछ वृत चित्रों और न्यूजरीलों के प्रादेशिक संस्करण का निर्माण कार्य स्थानान्तरित करने की योजना सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

कलकत्ता में तकनीकी सुविधाओं का आधुनीकरण करने सम्बन्धी अध्ययन दल की अन्य सिफारिशों पर उपयुक्त कदम पश्चिम बंगाल सरकार, जिसकी रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी गई थी, के परामर्श से उठाने का प्रस्ताव है ।

आसाम में भाषायी आन्दोलन

1370. **श्री समर गुह :**
श्री पीलू मोदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कछार में भाषायी आन्दोलन बराबर चल रहा है; और

(ख) आसाम के कछार जिले में भाषायी आन्दोलन के आधारभूत कारणों के समाधान हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ख) आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार असम की स्थिति के सम्बन्ध में निकट सम्पर्क रखे हुए है और भाषा समस्या का एक सौहार्दपूर्ण हल ढूँढने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों और उन नौसैनिकों को, जिन्होंने 1946 के नौसैनिक विद्रोह में भाग लिया था, ताम्र पत्र देना

1371. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के किसी कर्मचारी और उन नौसैनिकों में से किसी को, जिन्होंने 1946 के नौसैनिक विद्रोह में भाग लिया था, अब तक ताम्र पत्र दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार उनकी संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जहां तक भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उत्तर स्वीकारात्मक है। उन नौसैनिकों के बारे में उन्होंने नौसैनिक विद्रोह में भाग लिया था, सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

कतिपय पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई अतिरिक्त परियोजनाएं

1372. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कतिपय पिछड़े हुए और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए हाल ही में कुछ अतिरिक्त परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) हरियाणा राज्य में मंजूर की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहाँ कहां स्थित होंगी; और

(ग) इनसे रोजगार के कितने अवसर बनेंगे और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हाल में पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में अप्रयुक्त पड़े उपकरण

1373. **श्री वयालार रवि** : क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में पिछले कई वर्षों से लाखों रुपये के मूल्य के बहुत से उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । खरादों तथा इलैक्ट्रानिकी उपकरणों जैसे कुछ उपकरणों का लगाया जाना शेष है ।

(ख) इन्हें लगाने में विलम्ब होने का कारण यह है कि प्रयोगशाला का भवन अभी तैयार नहीं हुआ है । थुम्बा में भवनों के निर्माण में अत्यधिक बिलम्ब होने का कारण यह है कि उनका निर्माण करने वाले ठेकेदारों को श्रम-सम्बन्धी संकटों का सामना करना पड़ा । उपकरणों को शीघ्रतापूर्वक काम में लाने के उद्देश्य से, अस्थायी रूप से भवन बनाये जा रहे हैं तथा जहां आवश्यक है वहाँ किराये पर भी भवन लिये जा रहे हैं । कठिनाइयों के बावजूद उपलब्ध स्थानों पर उपकरण लगाये जा रहे हैं और उन्हें अधिक से अधिक काम में लाया जाना है ।

मैसूर में गरीबी के स्तर से भी नीचे रहने वाले लोग

1374. **श्री के० मालन्ना** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु केन्द्र ने इस राज्य को कितनी राशि मन्जूर की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) गरीबी के स्तर से निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने वाले व्यापक दृष्टिकोण 'पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण' जो कि पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है, में बताया गया है । मैसूर के सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव, मैसूर राज्य की पाँचवीं योजना में तैयार किए जाएंगे जो कि अभी तैयार की जा रही है ।

बेरोजगार इन्जीनियरिंग स्नातकों के लिए स्वतः रोजगार की व्यवस्था करने हेतु मैसूर राज्य को वित्तीय सहायता

1375. **श्री के० मालन्ना** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में बेरोजगार इन्जीनियरिंग स्नातकों के लिए स्वतः रोजगार व्यवस्था करने हेतु मैसूर राज्य को वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी राशि की सहायता मंजूर कर रही है; और

(ग) इस योजना के कितने इन्जीनियरी स्नातकों को लाभ पहुंचने की आशा है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) 1971-72 में औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने इन्जीनियर उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिए एक स्कीम तैयार की थी। इस स्कीम के लिए मैसूर राज्य को 33 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। 1972-73 में उस स्कीम को जारी रखने के लिए मैसूर राज्य को 70 लाख रुपए की राशि आवन्टित की गई है। किन्तु इससे स्वत: रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न होंगे, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

राज्य के विशेष रोजगार कार्यक्रम 1972-73 के अन्तर्गत, जिसके लिए 143 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे, राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के काम तलाश करने वाले व्यक्तियों, जिनमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति भी शामिल हैं, को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्कीमें तैयार की हैं। ऐसी सम्भावना है कि इन स्कीमों से लगभग 1000 इन्जीनियरों तथा अन्य वर्गों के तकनीकी व्यक्तियों को नौकरी तथा स्वत: रोजगार की व्यवस्था होगी। यह आशा की जाती है कि वृत्तिभोगी प्रशिक्षण स्कीम से इन्जीनियरों को अपना स्वयं का धन्धा स्थापित करने में अथवा उपयुक्त संगठनों में रोजगार तलाश करने में सहायता मिलेगी।

इन स्कीमों के 1973-74 में भी जारी रहने की सम्भावना है, किन्तु 1973-74 के लिए अभी तक वित्तीय आवन्टन नहीं किया गया है। परन्तु यह आवन्टन चालू वर्ष के आवन्टन से काफी अधिक होगा।

भारत-पोलैंड करार

1376. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पोलेंड के साथ नये ढंग के आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस करार से दोनों देशों के बीच किस प्रकार के नये आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) भारत तथा पोलैंड हाल ही में इस बात पर सहमत हुए हैं कि, दोनों देश एक नियोजित आधार पर अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं अतएव यह वांछनीय होगा कि इनके योजना आयोगों में निकट का

सम्पर्क हो ताकि दोनों देशों में आर्थिक विकास के क्षेत्र में अधिक जागरूकता पैदा हो और दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक सहयोग बढ़े, विशेषकर खनन उद्योग व्यापार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के योजना आयोग दोनों देशों में भविष्य में व्यापार में त्वरित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए परस्पर आर्थिक सहयोग तथा व्यापार की दिशाएं तथा अवसर निर्धारित करने और उनकी रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से दोनों देशों में समझौते के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने में समन्वय स्थापित करेंगे तथा उसका पर्यवेक्षण करेंगे।

पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के साथ बेहतर सम्पर्क हेतु संचार साधन

1377. **श्री भागवत झा आजाद : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के लोगों के साथ प्रभावी सम्पर्क स्थापित करने के लिये बेहतर संचार साधन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) क्या पांचवी योजना में ऐसी योजना को शामिल किया गया है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) जी हां।

(ख) जब कि विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए गये हैं, सभी सीमा क्षेत्रों में प्रचार की समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है इस रिपोर्ट के आधार पर, और बातों के साथ साथ, पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में प्रचार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव पंच वर्षीय योजना में शामिल किए जाने की सम्भावना है।

पांचवी योजना में लघु उद्योगों की स्थापना

1378. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान सारे देश में बहुत से लघु उद्योगों की स्थापना की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उन्हें किस प्रकार आसान और सस्ती वित्तीय सहायता देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) लघु उद्योग के कुतिक बल द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव मे पंचम पंच वर्षीय योजना की अवधि में 2 लाख नए उद्योग खुलने की सम्भावनाएं हैं जिसमें लगभग 1,750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करना होगा। लघु औद्योगिक एकक पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य एजेंसियों से रियायती वित्त, मध्यम तथा अल्प कालिक ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार है। इन सुविधाओं के मिलते रहने की आशा है।

हैदराबाद में दीक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लाभार्थ उद्योग समूह

1379. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में हाल ही में शिक्षित बेरोजगारों के लाभ के लिए एक उद्योग समूह की आधार शिला रखी गई है जिसमें 1700 छोटे औद्योगिक एकक होंगे तथा जिसमें कम से कम 11,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योग समूह देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) क्या इस प्रकार के उद्योग समूह पूर्णरुपेण राज्य सरकारों की परियोजनाएं होंगी अथवा केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग पर आधारित होंगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में हैदराबाद के समीप कटेघन में एक उद्योग समूह में तकनीशियनों के स्वनियोजन के एक कार्यक्रम का प्रारम्भ किया है । इस उद्योग समूह में 13,344 लोगों के स्वयं नियोजन द्वारा लाभान्वित होने की आशा है ।

(ख) और (ग) यह सम्बन्धित राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर स्वनियोजन के कार्यक्रम की योजनाएं बनायें । केन्द्रीय सरकार ऐसी योजनाओं का आमतौर से समर्थन करती है किन्तु राज्य सरकार से इस विषय में कोई औपचारिक साझेदारी नहीं करती ।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, पिलानी द्वारा सिलिकोन ट्रांजिस्टरों और डायोड्ज की 'कोर टेक्नोलोजी' का विकास

1380. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्ट्रीच्यूट, पिलानी को सिलिकोन ट्रांजिस्टरों और डायोड्ज की कोर टेक्नोलोजी के विकास में भारी सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपलब्धि से शतप्रतिशत देशी तकनीकी जानकारी के साथ ट्रांजिस्टर उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी ;

(ग) क्या इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में और आगे विकास के लिये भी इससे नये रास्ते खुलते हैं ; और

(घ) क्या इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ, परन्तु कुछ उपकरण एवं कच्ची सामग्री आयातित करनी ही होगी ।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, इससे काफी विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलने की आशा है।

प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी

1381. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे प्लास्टिक निर्माताओं को एच० डी० पोलिथीन मोल्डिंग पाउडर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या इसका वितरण खुले बाजार में 10.50 रु० प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है जबकि कम्पनी का मूल्य 7.70 रु० प्रति किलोग्राम है ;

(ग) क्या सरकार को स्माल स्केल प्लास्टिक मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन दिल्ली से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एच० डी० पोलीथीन मोल्डिंग पावडर की कुछ कमी है।

(ख) और (ग) सरकार को स्माल स्केल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें ऐसे आरोप लगाये गये हैं।

(घ) सरकार बाजार में आयातित कच्चे माल को उपलब्ध कराकर कठिनाइयों को कम करने की कोशिश कर रही है। उपयोक्ताओं की सहायता करने के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं सम्बन्धी आयात नीति संशोधित की गई है।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि की मांग

1382. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के निर्माताओं न सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कच्चे माल के लाने ले जाने पर रेल भाड़े में बजट में वृद्धि हो जाने के कारण, स्टोर तथा फालतू पुर्जों विद्युत शुल्क तथा कोयला आदि के मूल्य में तथा वेतन और मजदूरी में बद्धि हो जाने के कारण उत्पादन लागत बढ़ी है।

(ग) मामले पर फिलहाल प्रशुल्क आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

बंगलौर के लिए टेलीविजन केन्द्र

1383. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए एक स्थान का अधिग्रहण किया था, ताकि राज्य की 27-30 प्रतिशत जनता को टेलीविजन की सुविधा प्रदान की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि कितनी है और यह केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी ने बंगलौर में स्थान अधिग्रहण कर लिया है । इस स्थान को रेडियो स्टेशन के लिए स्थायी स्टुडियो स्थापित करने तथा भावी टेलीविजन परियोजना दोनों के लिए प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है ।

(ख) पांचवी योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं ।

Draft Fifth Plan for Bihar and other States

1385. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether all States have submitted their respective draft Fifth Five Year Plans; and

(b) if so, the main features of the draft plan of Bihar and the reaction of the Central Government there to ?

The Minister of State in the Ministry Of Planning Shri (Mohan Dharia) : (a) and (b) No, Sir. The draft plans of the State Governments are still under preparation.

टेलीविजन पर फिल्म वित्त निगम की सहायता से बनी फिल्में दिखाना

1386. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चलचित्रों का वित्तपोषण फिल्म वित्त निगम द्वारा किया जाता है उन्हें टेलीविजन पर न दिखाने के क्या कारण हैं; और

(ख) टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले चलचित्रों के निर्माताओं को किस दर पर अदायगियां की जाती हैं और टेलिविजन पर "चित्रहार" कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखाए जा रहे चलचित्रों के निर्माताओं को किस दर से अदायगियां की जाती हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फ़िल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित फीचर फिल्मे टेलीविजन केन्द्रों को उनके दिखाने के अधिकार उपलब्ध हो जाने पर टेलीकास्ट की जाती हैं।

(ख) "चित्रहार" (दिल्ली टेलीविजन) तथा "छायागीत" (बम्बई टेलीविजन) के लिये फीचर फिल्मों तथा उनके अंशों के लिये निम्नलिखित दरों से भुगतान किया जाता है :

हिन्दी की फीचर फिल्में :

10 वर्ष से अधिक पुरानी	1750/- रुपये
7 वर्ष से 10 वर्ष तक पुरानी	2250/- रुपये
5 वर्ष से 7 वर्ष तक पुरानी	3000/- रुपये
3 वर्ष से 5 वर्ष तक पुरानी	3500/- रुपये
तीन वर्ष से कम पुरानी	5000/- रुपये

(बम्बई टेलिविजन केन्द्र द्वारा दिखाई जाने वाली मराठी तथा गुजराती फीचर फिल्मों की दरें वही हैं जो हिन्दी फीचर फिल्मों की दरें हैं)।

प्रादेशिक फीचर फिल्में—	1000/- रुपये
"चित्रहार" तथा "छाया गीत" के लिये फीचर फिल्मों से लिये गये अंश 15 मिनट की अवधि तक के—	250/- रुपये ।

समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का वितरण

1387. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान 15,000 प्रतियां, 15,001 और 30,000 के बीच प्रतियां 30,001 और 50,000 के बीच प्रतियां, 50,001 और 1,00,000 के बीच प्रतियां और 1,00,000 प्रतियां और इससे अधिक प्रतियों का परिचालन करने वाले दैनिक समाचार-पत्रों को भारत में निर्मित अखबारी कागज और आयातित अखबारी कागज कितना-कितना वितरित किया गया; और

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन कुल कितना है और 1971-72 में कितना कागज आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1971-72 के दौरान दैनिक समाचारपत्रों के बारे में अखबारी कागज (देशी तथा आयातित) का वास्तविक वितरण नीचे दिया गया है :

खपत संख्या की रेन्ज (प्रतियों में)	दैनिक समाचारपत्रों की संख्या	मीटरी टनों में मात्रा
15000 तक	244	13,973.47
15001—50,000	93	52,543.53
50001—1,00,000	31	55,489.77
1,00,000 से ऊपर	17	67,317.06
	385	1,89,323.83

(उपलब्ध अखबारी कागज की शेष मात्रा पत्रिका में वितरित की गई)

(ख) 1971-72 के लिए समाचारपत्रों को भारत में निर्मित 36,262,58 मीटरी टन अखबारी कागज उपलब्ध किया गया। 1971-72 की लाइसेन्स अवधि के दौरान 1,95,000 टन अखबारी कागज आयात करने के लिए अधिकृत किया गया।

फिल्म एण्ड टी० वी० इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के फिल्म सेक्शन सम्बन्धी खोसला जांच समिति

1388. श्री **सी० चित्तिबाबू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म एण्ड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट आफ इन्डिया के फिल्म सेक्शन के कार्यकरण के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त खोसला जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : समिति की सिफारिशें सरकार के सक्रिय रुप से विचाराधीन है।

भारतीय मानक संस्थान (इण्डियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन) द्वारा नमूनों का परीक्षण

1389. श्री **सी० चित्तिबाबू :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्थान की प्रयोगशालाओं द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक जिन 30818 नमूनों का परीक्षण किया गया है उनमें से कितने नमूनों को भारतीय मानकों के अनुसार नहीं पाया गया है; और

(ख) इण्डियन स्टैंडर्ड इन्स्टीट्यूशन सरटीफिकेशन मार्क्स एक्ट के अन्तर्गत उत्पादकों के विरुद्ध अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री **सी० सुब्रह्मण्यम**) : (क) 30,818 ऐसी सख्या है, जो भारतीय मानक संस्था के मुख्यालय की प्रयोगशाला में 31 अक्तूबर, 1971 तक परीक्षण किये गये नमूनों की कुल संख्या 31 मार्च, 1972 को भारतीय मानक संस्था के मुख्यालय की प्रयोगशाला में 33,528 नमूनों का परीक्षण किया गया था। ये नमूने

9 वर्ष से अधिक अवधि के हैं । अतः इतनी लम्बी अवधि में परीक्षण न किये गये नमूनों की संख्या उपलब्ध नहीं है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय मानक संस्था के मुख्यालय की प्रयोगशाला में 1971-72 की अवधि में 6147 नमूनों का परीक्षण किया गया था और उनमें से लगभग 900 नमूने मानक की एक अथवा अन्य प्रमुख आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाये गये थे ।

(ख) उपयुक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुरूप न पाये जाने के प्रत्येक मामले की भारतीय मानक संस्था द्वारा विशद रूप से जांच की गई थी । जिससे उसके मानक के अनुरूप न होने के कारण का पता लगाया जा सके । अनुरूप न होने का कारण तो लाइसेन्सधारी द्वारा निर्मित उत्पादों की घटिया किस्म होना था या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ठीक तरह से लाने ले जाने में असावधानी बरतने से बाद में खराब हो जाने अथवा काफी समय तक स्टोर में रखे रहने के कारण उत्पाद में गिरावट का आ जाना था । ऐसे मामलों में जहां इस बात की पुष्टि हो गई थी कि घटिया किस्म के उत्पाद का निर्माण से वह मानक के अनुरूप नहीं था, निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कार्यवाइयां की गई थीं :

(1) लाइसेन्स रोक दिया गया था ।

(2) निर्माताओं से कहा गया था कि वे बाजार से घटिया किस्म के माल को वापस ले लें ।

(3) घटिया किस्म के माल से आई० एस० आई० का चिन्ह मिटा दिया गया था ।

(4) जब तक मानक के अनुरूप न होने में सुधार नहीं कर लिया गया था तब तक लाइसेन्सधारी को चिन्हांकन करने से रोक दिया गया था ।

(5) लाइसेन्स का नवीकरण अस्थगित कर दिया गया था ।

(6) चरम अवस्था वाले मामलों में लाइसेन्स रद्द कर दिया गया था ।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि वर्ष 1971-72 की अवधि में, असन्तोषजनक कार्य होने के कारण 65 लाइसेन्सों का नवीकरण आस्थगित कर दिया गया था और 16 लाइसेन्स रद्द कर दिये गये थे ।

कागज उत्पादन करने वाली परियोजना

1390. **श्री सीं० चित्तिबाबू : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड कागज । लुग्दी परियोजना । केरल अखबारी कागज परियोजना और आसाम लुग्दी कागज परियोजना में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक कागज परियोजना को पनपने में लगभग 5 वर्ष लगते हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है और पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनमें उत्पादन शुरू होने की आशा है।

आन्ध्र प्रदेश के विभाजन की माँग

1391. **श्री पीलू मोदी :**
श्री वी० के० दासचौधरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र क्षेत्र के बहुत से संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को लिखे एक संयुक्त पत्र में अनुरोध किया है कि राज्य का विभाजन किया जायें; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य में अव्यवस्था तथा तनाव की वर्तमान स्थिति में किसी मामले पर कोई गम्भीर विचार-विमर्श करना सम्भव नहीं है। इस जटिल समस्या के लिए कोई प्रजातांत्रिक हल ढूंढने के प्रयत्न किये जाने से पूर्व शान्ति व व्यवस्था तथा सामान्य स्थिति का होना जरूरी है। स्थानीय नेताओं के सहयोग से यह प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गंगानगर में टेलीविजन केन्द्र

1392. **श्री लालजी भाई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार का विचार सीमावर्ती नगर, श्रीगंगानगर में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) क्या इस परियोजना में सहायता देने के लिये राजस्थान सरकार ने उनके मंत्रालय को लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश के विभिन्न भागों में रेडियो तथा टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है।

चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के कोटे में वृद्धि

1393. **श्री धर्मराव श्रफजलपुरकर :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 श्रौर 1972 में चतुर्थ श्रेणी के कितने व्यक्तियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति की गई;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं से तृतीय श्रेणी की सेवाओं में पदोन्नति के कोटे में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी; श्रौर

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) तृतीय श्रेणी के पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नत पद नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों पदों के कार्यों की प्रकृति एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं श्रौर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्राप्त श्रनुभव का तृतीय श्रेणी के पदों के लिए कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में पदोन्नति के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं किया गया है। तथापि शैक्षिक दृष्टि से श्रर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों में प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से श्रनेक रियायतें दी गई हैं जिनके अधीन ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोजगार कार्यालय में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए अपने नाम दर्ज करा सकते हैं श्रौर रोजगार कार्यालय द्वारा नामांकित किये जाने पर, चतुथ श्रेणी में की गई उसकी सेवा की सीमा तक आयु में छूट देते हुए उन पर इस प्रकार के पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है। उनके नामों पर जिस कार्यालय में वे कार्य कर रहे हैं श्रेणी III के पदों में नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकता है, चाहे उनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में हो या न हो। इसके अतिरिक्त, निम्न श्रेणी लिपिकों (जो कि तृतीय श्रेणी के पद हैं) के पदों की रिक्तियों के 10 प्रतिशत स्थान चतुर्थ श्रेणी के शैक्षिक दृष्टि से श्रर्हता प्राप्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो कि केवल चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों में से परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी के पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो श्रौर जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 50 वर्ष) है। यह योजना रेलवे, डाक व तार श्रौर भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग में लागू नहीं है। इनकी इस सम्बन्ध में अपनी योजना है।

चूंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी के पदों में पदोन्नति का कोई प्रश्न नहीं है, अतः वर्ष 1971-72 के दौरान ऐसी पदोन्नतियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है। तथापि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कार्यालयों के शैक्षिक दृष्टि से श्रर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्न श्रेणी लिपिकों के 10 प्रतिशत आरक्षित पदों के लिए वर्ष 1971 तथा 1972 में क्रमशः 65 तथा 107 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निम्न श्रेणी लिपिकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

शैक्षिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण कोटे को पर्याप्त समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि विभिन्न आरक्षणों का योग, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के आरक्षण भी शामिल हैं, पहले ही 50 प्रतिशत की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक पहुंच गया, है, अतः इस कोटे में आगे कोई वृद्धि करना वैधानिक रूप से भी सम्भव नहीं हो सकेगा।

आयातित कागज का कोटा चोर बाजारी में बेचा जाना

1394. **श्री धर्मराव आफजलपुरकर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज की कमी को पूरा करने के लिए कितना कागज आयात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें आयातित कागज का बहुत सा कोटा चोर बाजारी में बेच दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) साधारण ग्रेड कागज का आयात नहीं किया जाता। 1971-72 में 14,300 मी० टन औद्योगिक कागजों जैसे क्रैफ्ट पेपर, टिस पेपर, इन्सुलेशन पेपर, फिल्टर पेपर, ग्लेसिन पेपर आदि का आयात किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में विवाहित तथा अविवाहित व्यस्क

1395. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में विवाहित तथा अविवाहित व्यस्कों की राज्यवार, संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने अविवाहित लोगों की संख्या में वृद्धि के कारणों का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जन-संख्या की वैवाहित स्थिति का राज्यवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़ों पर अभी कार्य किया जा रहा है। किन्तु, एक प्रतिशत नमूना आँकड़ों के अग्रिम सारणीकरण के आधार पर सम्पूर्ण देश की 19 वर्ष से अधिक आयु के वैवाहित वयस्कों की अनुमानित संख्या 216,111,405 (इसमें विधवायें, तलाक शुदा महिलायें अथवा सम्बन्ध-विच्छेद किए गये

व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं) और अविवाहित वयस्कों की संख्या 21,901,554 थी। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार यह संख्या क्रमशः 173,049,023 और 16,774,023 थी।

(ख) और (ग) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। किन्तु विवाह की आयु की सामान्य बढ़ोत्तरी "कभी विवाह न करने वाले" व्यक्तियों की 1971 में पाई जाने वाली संख्या के कारण हुई है जो 10 वर्ष पूर्व नहीं थी।

अन्तरिक्ष अनुसंधान में विकास

1396. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष अनुसन्धान की दिशा में किए गए नवीनतम विकास क्या क्या हैं;

(ख) इस समय संगठन के हाथ में क्या कार्यक्रम अथवा गतिविधि हैं और उनकी भावी योजनाएं क्या हैं; और

(ग) आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के विकास के परिणाम कब तक निकलने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) चालू दशाब्दि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम तथा उसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित समय का विवरण "परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष अनुसन्धान -- 1970-80 के दशाब्द के कार्यक्रम की रूपरेखा" शीर्षक पुस्तिका में, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दी गई हैं। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति क उल्लेख परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है। कार्यक्रम की पूर्ति के लिए निर्धारित समय का पुनर्निर्धारित अर्जित अनुभव के आधार पर किया जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किये जाने वाले कार्य का विवरण तैयार किया जा रहा है।

Training in Hindi Typing and Stenography Imparted to Employees

1397. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Confidential Assistants, Private Assistants, Stenographers and Typists working in Central Government Offices, who had been imparted training in Hindi Stenography and Typing upto 1st January, 1973;

(b) whether Hindi typewriters have been provided to all of these trained persons; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The total number of Stenographers/Steno-typists and Lower Division Clerks/typists who have passed the Hindi Stenography and Hindi Typewriting examinations respectively upto 1st January, 1973 is as under :—

Hindi Stenography	...	2,994
Hindi Typewriting	...	15,383

Separate category-wise figures are not maintained.

(b) & (c) Hindi typewriters are not provided to the staff trained in Hindi typewriting/Hindi Stenography on individual basis. Instructions have, however, been issued by now to all the Ministries/Departments of Government of India to equip themselves and their Attached and Subordinate Offices with adequate number of Hindi typewriters to meet their requirement subject to the condition that every Central Governmen office will be provided with atleast one typewriter.

Issue of licences to Madhya Pradesh Government for setting up Industries

1398. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of the new industries for the setting up of which Madhya Pradesh Government have applied for licences indicating the names of the places where these industries are proposed to be set up; and

(b) the number of licences issued to the State Government during the last two years?

The Minister of Industrial Davelopment and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) 11 applications for industrial licences have been received from various Madhya Pradesh State Government undertakings. Details of applications are normally not disclosed. However, these applications relate to the manufacture of beer, enamelled strips, enamelled winding wires, a Almunium ingots, electrolytic copper stripts, flats, sponge iron, explosives, oxygen & acetylene gases, polypropylene and toilet soaps & glycerine etc.

(b) No licence has been issued to any Government undertaking during 1971 and 1972.

Direct Dialling System between Delhi and State Capitals

1399. **Dr. Laxminarayan Pandeya** :
Shri E.V. Vikhe Patil :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Capitals of all States are linked with Delhi by Direct Dialling System' at present; and

(b) if not, the reasons therefor and the time likely to be taken in making such arrangements ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No. Sir. Only the following State Capitals are linked with Delhi by "Direct Dialling System" at present :—

1. Patna
2. Chandigarh
3. Simla
4. Srinagar
5. Bombay
6. Jaipur
7. Lucknow.

Ahmedabad was also connected to Delhi when it was the Capital of Gujarat. It is proposed to connect Gandhinagar, the present Capital shortly.

(b) Subscriber Trunk Dialling Programmes are long range schemes calling for microwave/coaxial systems, automatic exchange with sophisticated switching systems, junction networks etc. The Programmes are being implemented progressively. It is expected that all State Capitals with the exception of a few like Pondicherry, Port Blair, Silvasa, Zero, Aijal and Kavarathi which have very little traffic at present to Delhi, will be linked by S.T.D. to Delhi as part of the Fifty Five Year Plan.

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों की प्रतिक्रिया

1400. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए दिए गए प्रोत्साहनों के प्रति उद्यमियों ने उत्साह नहीं दिखाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उद्योगों की प्रतिक्रिया को आंकना समय से पूर्व होगा क्योंकि 25 औद्योगिक एककों को 27569 रु० की कुल राशि की 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता स्वीकृति की गई है और 15 औद्योगिक एककों को उनके सामान्य ऋण के अलावा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगभग 2.40 करोड़ रुपये की रियायती वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों पर गोली चलाना

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि सभा 4.30 म० प० आधे घन्टे के लिये स्थगित रहेगी तथा बजट के लिये 5 बजे म० प० पर पुन: समवेत होगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I have tabled a adjournment motion regarding firing on workers of South-Eastern Railway on 26th of the' month. 1 request that you should allow a discussion on it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : चार श्रमिक मारे गये किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया । यह गम्भीर मामला है क्या आप उनसे वक्तव्य देने के लिये कहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दे दी है । अब आप इस पर मंत्री महोदय का वक्तव्य चाहते हैं । अथवा मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार करूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप स्थगन प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार करते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह परसों की ही घटना है और सरकार इस सम्बन्ध में हमें तथ्यों से अवगत करा सकती थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मन्त्री महोदय से आप आज वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : जी हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण हार्बर) : कलकत्ता में सरस्वती प्रेस के बन्द होने के बारे में मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : When will Government make a statement on the hunger strike staged by the students of madical College ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Under Rule 377 I have drawn your attention to the Hindi Stenographers Examination held by U. P. S. C. which made English a compulsory subject for them.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सचिव से कहा था कि वह आपको यह बतादें कि आप इस पर अल्प सूचना प्रश्न दे सकते हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : It is cantradictory to rules a to make English compulsory Subjects for the Hindi stenographers. Short notice question and call attention motion have already been tabled on it kindly admit it.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वित्त मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन 31 मार्च तक आ जाएगा। आज हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर 200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब समाचार पत्रों को ऐसी जानकारी हो जा सकती है तो संसद को उससे क्यों वंचित रखा जाता है ?

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER ON URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के समस्त भागों में बिजली की कमी के कारण संकट

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement there on "crisis due to shortage of power throughout the country resulting in large scale closure of industries and appreciable fall in agricultural production and steps taken to improve the situation."

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : 1. इस वर्ष के अधिकांश भागों में विद्युत की व्यापक कमी है। देश में विद्युत स्थिति पर एक विस्तृत विवरण

13 नवम्बर, 1972 को लोकसभा के पटल पर रखा गया था। इस वर्ष विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं :

(क) जलाशयों में जल की कमी के कारण जल विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उत्पादन।

(ख) परमाणु विद्युत केन्द्रों से विद्युत में कमी।

(ग) विद्युत की मांग में निरन्तर वृद्धि और उत्पादन क्षमता में कम वृद्धि।

2. इस समय विद्युत प्रदाय स्थिति के पुनरीक्षण से पता चलता है कि :

(क) दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल में केवल थोड़ी विद्युत फालतू है और बिहार में व्यस्ततम समय के पश्चात् कुछ विद्युत फालतू है।

(ख) अन्य अधिकांश राज्यों में विद्युत की कमी है जो कि कुल 35 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के लगभग है।

3. इस समय देश में विद्युत की कुल मांग 201 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है जिसके प्रति विद्युत की अनुमानित उपलब्धता 166 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के लगभग है। साधारणतया देश के अधिकांश राज्यों में विद्युत की मांग फरवरी और मार्च के महीनों में पहले के महीनों की अपेक्षा मुख्यतया कृषि पम्पों के लिए विद्युत की मांग में वृद्धि हो जाने के कारण बढ़ जाती है।

और भी; निम्नलिखित कारणों से विद्युत की उपलब्धता में और कमी आ गई है :

(क) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जल विद्युत उत्पादन में कमी, परवर्ती में उत्तर-पूर्व मानसूनों में कमी के कारण; और

(ख) तारापुर परमाणु केन्द्र से 2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक की कम उपलब्धि के कारण।

4. इससे उन अधिकांश राज्यों में जो कि विद्युत की कमी का अनुभव कर रहे हैं, विभिन्न मात्रा में विद्युत कटौती और सीमित सप्लाई करना आवश्यक हो गया है। बहरहाल, कृषि आवश्यकताओं के लिए विद्युत की सप्लाई में प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कृषि उत्पादन को गम्भीर हानि न उठानी पड़े। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी, 1973 से नंगल उर्वरक कारखाने को विद्युत की सप्लाई 98 मेगावाट से कम करके 60 मेगावाट कर दी गई है और इस प्रकार बचाई गई विद्युत पंजाब और हरियाणा को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जा रही है।

5. कमी को समाप्त करने के लिए उपायों में जो जारी है ये निम्नलिखित हैं :

(क) वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में अधिकतम सम्भाव्य तीव्रता लाई गई है।

(ख) पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वृद्धि ताप केन्द्रों में किए कोयले की सप्लाई और परिवहन व्यवस्था का संतत प्रबोधन किया जा रहा है।

(ग) ताप यूनिटों के लिए जिन की मरम्मत की जा रही है; फालतू पुर्जों का प्राथमिकता के आधार पर प्रबन्ध किया जा रहा है।

(घ) डीजल के कैप्टिव संयन्त्रों के प्रतिष्ठापन के लिए निजी उद्योगों को अनुमति दी जा रही है।

(ङ) विविध विद्युत जनन स्कीमों, जो कि निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं के प्रचालन में तेजी लाई जा रही है।

(च) परियोजनाओं की प्रगति के प्रबोधन तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्यों से कार्यान्वयन कक्ष स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

Shri Shashi Bhushan : It is a travesty of planning that after spending a heaay amount of Rs. five thousand crores on the schemes of water and power during the last ten years we could not be able to have control over nature. Due to the heavy loss caused to our Indiustries and agriculture we have to import wheat worth Rs. 200 crores The hon. Minister has correctly stated that drought conditions prevailed in the country this year following shortage of water in hydel reservoirs. In this context I would like to suggest that Government should setup big Thermal Power stations in the coal mine areas. We should be prond of our rich coal deposits and Government should fully utilise our natural resources. It is said that there is acute shortage of power in the country but I Think it has not affecting cinema houses, air conditioners and room heaters used in the big cities like Delhi.

I also suggest that the production of fo odgrains can be considerably increased if Rs. 50 crores are provided to Punjab and Hariyana for using Diesel pumping sets. In the way we will not have to import foodgrain. I also suggest that Government should ban the use of 70 percent cars which are used as luxury item. With this step large quantity of diesel can be saved and it can be used for generating power. Steps should also be taken to check leakage of electricity with the help of computers. I would like to know the percentage of leakage of power. The problem of under Billing should also be solved. May I know our power generating capacity and the actual production of is ? I would also like to know the member of projects of the vaious state lying uncompleted. May I also know the member of projects for which licences are not granted by the Department of Industries for 5-6 years ? I suggest that Government should ask the big industrialiste to generate their own electricity.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं माननीय सदस्य के सुभावों के के लिए धन्यवाद देता हूं। जहाँ तक बिजली के अपव्यय का प्रश्न है हमें यह ज्ञात नहीं है कि वास्तव में कितनी बिजली का अपव्यय होता है। हाल ही में बिजली का वास्तविक सप्लाई के बारे में पता लगाने के लिए अधिकारियों का एक अनुसंधान अनुभागों खोला है। बड़े उद्योगों को हमने स्वयं बिजली बनाने की अनुमति दे दी है। ग्वालियर रेयन फैक्ट्री को 15 मैगावाट का बिजली उत्पादन सैट लगाने की अनुमति दी गई है। हिन्डालकों एल्यूमिनियम को भी ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है। इस सम्बन्ध में केवल यही शर्त है कि वे बिजली का अपने उपयोग के लिए उत्पादन कर सकते हैं बेचने के लिए नहीं।

जहां तक अन्डर बिलिंग का प्रश्न है बिजली का वितरण विभिन्न रांज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है तथा हमारा कार्य बिजली के अपव्यय को रोकना है। देश में कुल बिजली

उत्पादन क्षमता 1.8 करोड़ किलोवाट है जिसमें से पन बिजली की प्रतिशतता 40 है और तापीय बिजली की क्षमता 60 प्रतिशत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिजली की भारी कमी के कारण उद्योगों में स्थिरता आ गई है। मन्त्री महोदय के अनुसार लगभग 150 मैगावाट बिजली की कमी है तथा वितरण में 20 प्रतिशत बिजली का अपव्यय होता है। भाखड़ा-नांगल में बिजली का उत्पादन 1.25 करोड़ यूनिटो से घट कर 1.026 करोड़ यूनिट रह गया है जहां से लगभग आधे देश को बिजली की सप्लाई होती है। बिजली की कमी के कारण कारखानों में केवल एक ही पारी काम कर रही है। इसका कारण यह कि प्रस्तावित तापीय बिजली घरों को तथा राजस्थान आणविक बिजली परियोजना को चालू नहीं किया गया जिनके बारे में भारी चर्चा की गई थी। पांचवीं योजना में केवल 5,600 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है।

पंजाब को राजस्थान द्वारा बिजली सप्लाई करने से इंकार किए जाने के बारे में समाचार पत्रों में बड़ा रोचक समाचार प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार पंजाब के सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यह शिकायत की है कि राजस्थान के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण पंजाब के उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी समझ में यह नहीं आता कि दोनों राज्यों की सरकार की नीतियों में इतना अन्तर क्यों है।

आंध्र के मन्त्री का कहना है कि वहां की बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत कटौती की गई थी और अब कटौती 90 प्रतिशत हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता कि यह सरकार क्या काट रही है। वहां 650 मैगावाट बिजली की आवश्यकता है जबकि वर्तमान क्षमता 400 मैगावाट है किन्तु वास्तविक उत्पादन बहुत कम है।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है दुर्गापुर की क्षमता 245 मैगावाट है किन्तु इसमें 150 मैगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन नहीं होता। इसी प्रकार बंडेल तापीय बिजली में वास्तविक उत्पादन 220 मैगावाट है जबकि उसकी क्षमता 330 मैगावाट है। यद्यपि पश्चिम बंगाल में देश के एक तिहाई कोयला और इस्पात का उत्पादन होता है तथापि वहां यह स्थिति है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां के पटसन उद्योग को बिजली की कमी के कारण दो महीनों से 5.6 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। तथा इंजिनियरिंग उद्योग में 4 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ हैं। यह अमरीका जैसे देशों पर बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए निर्भर रहने का परिणाम है।

यह स्थिति दोषपूर्ण योजना और अकार्यकुशल प्रबन्ध के कारण भी उत्पन्न हुई है। सरकार की वर्गभेद की नीति के कारण सिनेमाघरों और वातानुकुल मशीनों अदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने बिजली उत्पादन की क्षमता से सम्बन्धित लक्ष्य बहुत कम निर्धारित किये हैं। डा० राव ने स्वयं स्वीकार किया है कि बड़ी बिजली परियोजनाओं में 34 करोड़ रुपयों से 38 करोड़ रुपयों के मूल्य के उपकरण बेकार पड़े हैं। कितने खेद की बात है कि एक ओर तो सरकार के पास धनराशि नहीं है और दूसरी ओर करोड़ों रुपयों के उपकरण

बेकार पड़े हैं। हमारे देश के विकास पर कुठाराघात करने वाला व्यक्ति सरकार में ही हो सकता है। कितने आश्चर्य की बात है कि कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन जो ब्रिटेन की एकाधिकार प्राप्त फर्म है डी० वी० सी० से बिजली खरीद कर इसे 300 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचती है तथा अधिक लाभ कमा रही है। 1970-71 में उसे लगभग 79.2 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ था जब कि 1971-72 में उसे 142.4 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ। इस बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने छोटे कारखानों के राष्ट्रीकरण की सिफारिश की किन्तु उसे इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका नियंत्रण उनके गौडफादरों के हाथों में है। तामिलनाडु सरकार ने 500 बिजली उत्पादन सैटों के आयात की मांग की है। मैं मंत्री महोदय से इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि हम समस्या को हल करने के लिए वह क्या तात्कालिक और क्या दीर्घकालिक उपाय करना चाहते हैं। उन बिजली उत्पादन सैटों के नाम क्या हैं जिनके लिए फालतू कल पुर्जों की आवश्यकता है। उनका मूल्य क्या है तथा हमारा बिजली उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने उपयोगी सुझाव दिये हैं। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर पंजाब को कुछ फालतू बिजली सप्लाई करता रहा है किन्तु अब राजस्थान में भी बिजली की कमी है अतः राजस्थान पंजाब को बिजली देने में असमर्थ है। मैंने वहां के सम्बद्ध मन्त्री से बातचीत की है तथा उनसे कहा है कि कम से कम मध्य प्रदेश से प्राप्त बिजली में से दोनों राज्य आधी-आधी बिजली का उपयोग कर लें। अब उनके उर्वरक संयन्त्रों को दी जाने वाली बिजली को कृषि कार्यों के लिए पंजाब और हरियाना को देना आरम्भ कर दिया है। राणा प्रताप सागर की पहली यूनिट अच्छी स्थिति में नहीं है किन्तु अप्रैल में इसका लोड 100 मैगावाट हो जायेगा तथा जून से यह अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगी।

हमें यह आशा थी कि देश में बिजली की मांग में 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी किन्तु वास्तव में यह वृद्धि 20 प्रतिशत की हुई। इस समय हमारे देश में प्रतिदिन 540 लाख यूनिट की कमी है। 300 लाख यूनिट की कमी का कारण बिजली की अतिरिक्त मांग है तथा 240 लाख यूनिट बिजली की कमी का कारण यह है कि सब बिजली घरों में 220 लाख यूनिट तथा तापीय बिजली घरों में 20 लाख यूनिट बिजली कम उत्पन्न हो रही है। इस कमी में से 190 लाख यूनिट की कमी को दूर कर दिया गया है। अगली योजना में बिजली उत्पादन के लक्ष्य अधिक निर्धारित करने होंगे तथा विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। वर्षा हो जाए तो बिजली की कुछ कमी दूर की जा सकती है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि देश में अधिक से अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएं तथा तापीय बिजली घरों के कार्य में सुधार किया जाए। पश्चिम बंगाल में चन्द्रपुर बिजली परियोजना के पूरे होने में देरी हो गई है। यदि यह इस वर्ष पूरी हो जाए तो कुछ कमी को दूर किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने सैट फालतू पुर्जों की कमी के कारण बेकार पड़े हैं? वे किन देशों में बने थे तथा उनका मूल्य कितना है।

डा० के० एल० राव : हम यथाशीघ्र पुर्जे मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये मशीनें मुख्य रूप से अमरीका तथा पश्चिमी जर्मनी से मंगाई गई थी। कुछ मशीनों के कल पुर्जे प्राप्त हो गये हैं। इन मशीनों के लिए लगभग 5-6 महीनों से कल पुर्जों का इंतजार किया जा रहा था। दुर्गापुर तथा बोकारों में पश्चिम जर्मनी की दो मशीनें थी। इसके लिए आवश्यक पुर्जों के बारे में हमें देर में बताया गया था। किन्तु जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली तैसे ही हमने कार्यवाही की। जहां तक मुझे पता है सतपुड़ा में भी एक ऐसी मशीन थी तथा उस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी मशीन नहीं है।

Shri Jagannath rao Joshi (Shajapur) : Sir the problem of shortage of Electricity was discussed in November, 1972 when it was evident that production of hydel power projects could not be increased till the arrival of next monsoon. Thus Government should have tried to increase the production of theremal power stations and Atomic power stations. The hon. Minister has states that the production of Tarapur Atomic power station has been much less than its capacity. May I know the seasons there of? May I also know the steps taken by the Government to remove the defects from the said power station and the south achieved so far.

Secondry, I would like to know the reasons for which Rama Pratap sagar projects would not be completed in time? thirdly Kalpakkam Project was proposed to be completed in 1971, But it has not been eompleted by now. May I know the action taken by the Government in this regard?

In view of the fact that almost all the states are facing shortage of electricity may I know the reasions for which the demand of Tamilnadu Government for a thermal power plant could not be acceded by the Governments? What are the reasons for depriving them of the power supply from Kerala? Why has Iddiki project been deleyed ?

May I also know whether Government have permitted private sector to produce diesel Generating sets and if not the reasons thereof?

In view of the crisis of power shortage in the Country may I know whether the President. Governors and the Ministers have cut their power consumption? Have all of us taken any initiative to cut our power consumption?

I would also like to know whether Government have issued any guidelines to the states in regard to fixing priority to the industries about power supply.

डा० के० एल० राव : जहां तक परमाणु बिजली घरों का सम्बन्ध है वे अन्य मंत्रालय के अधीन हैं तथा माननीय सदस्य इस बारे अधिक जानकारी सम्बद्ध मत्रालय से ज्ञात कर सकते हैं।

तारापुर बिजली घर में हर दूसरे-तीसरे वर्ष ईंधन नलियों को बदलना पड़ता है। उसकी दो यूनिटों में से केवल एक में ही काम हो रहा है। आगामी दो-तीन महीनों में उसमें उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

राणा प्रताप सागर परियोजना के निर्माण कार्य में देरी हो गई। उनमें एक यूनिट का अभी निर्माण होना है। इस परियोजना से अभी हमें लगभग 40 मेगवाट बिजली मिल रही है। अप्रैल महीने तक इसमें 100 मेगावाट बिजली बनने लगेगी तथा मई-जून में इसकी पूरी क्षमता का उपयोग होने की आशा है।

कलपक्कम के बारे में कुछ इंजीनियरी सम्बन्धी कठिनाइयां है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इसके लिये विदेशी तकनीकी जानकारी न लेनी पड़े। इस कारण से भी इसमें देरी हुई है।

केरल सरकार साधारणतया तमिलनाडु को बिजली देती है। किन्तु उनके पास इस वर्ष बिजली की कमी है। फिर भी दो या तीन दिन पहले ही केरल सरकार तमिलनाडु को 3 लाख यूनिट बिजली देन के लिए सहमत हो गई है। जितने बिजली घर तमिलनाडु बनाना चाहता था उन सब के लिये स्वीकृति दे दी गइ है। दो या तीन परियोजनाओं जिन पर कि सोच विचार करना आवश्यक है, के अतिरिक्त और कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है। जैसे कि एक परि-योजना के बारे में तमिलनाडु और केरल मे मतभेद है, क्योंकि पानी केरल में चला जाता है और तमिलनाडु उस पानी क बहाव को बदलना चाहता है। यह एक अन्तर-राज्यीय समस्या है और इसकी जांच करना आवश्यक है। तूती कोरिन के बिजली घर का मामला भी सक्रिय रूप से विचाराधीन हे। वास्तविकता यह ह कि जो स्वीकृति दी गई है उनसे कठिनाई हल नहीं होगी, और किसी भी बिजली घर में बिजली लगभग पांच या छः वर्ष के बाद उत्पन्न होनी आरम्भ होती है। यह बात ठीक है कि तमिलनाडु बिजली का ठीक उपयोग करता है। उसकी आवश्यकता को देखते हुए उनकी सहायता करने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे।

दिल्ली म मंत्रियों के लिए बिजली में कमी करने की बात की गई है। दिल्ली में पर्याप्त बिजली है। दिल्ली म 10 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली प्रतिदिन तैयार की जाती है यह सारी बिजली हरियाणा का दे दी जाती है। दिल्ली में बिजली की बचत करने के लिए मैंने उप-राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की ओर ध्यान दें।

नांगल उर्वरक कारखाने का उत्पादन कम करने का निर्णय किया गया है क्योंकि इस कारखाने को दी जाने वाली बिजली में कमी कर इसे कृषि उत्पादन के लिए पानी की सप्लाई करने हेतु उपयोग मं लाया जायेगा। पंजाब म पानी पम्पों के द्वारा कुओं से निकाला जाता है!

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या तमिलनाडु मे इस समय बिजली का भयंकर संकट है, और वहा राज्य सरकार ने 20 मेगावाट बिजली तैयार करने वाले तापीय बिजली घर को जंक और रद्दी घोषित कर, उसे बेच दिया है ? क्या नये बिजली घर की केन्द्रीय सरकार ने अभी स्वीकृति नहीं दी है ? क्या कोहायर में पन बिजली योजना, जो पूरी हो गई है अभी तक उत्पादन के लिए चालू नहीं हुई है ? क्या एन्नौर तापीय बिजली घर और बेसिन ब्रिज में उनकी क्षमता की केवल एक तिहाई बिजली तैयार हो रही है। सरकार को इन सब योजनाओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करनी चाहिए।

बिहार में मुजफ्फरपुर मे तापीय बिजली घर की स्वीकृति दी जानी चाहिए। इससे बिहार के जिलों की स्थिति सुधरेगी।

मंत्री महोदय को पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक बिजली की कमी है। इससे वहां उद्योगों को बहुत हानि हो रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो कमी है वह कृत्रिम है और इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योगों में बिजली की कमी के कारण वहां आधा उत्पादन हो रहा है।

बड़ी विचित्र बात है कि बिड़लाओं के "हिन्डालको" को बिजली की कमी नहीं की गई है जबकि उत्तर प्रदेश में सारे आयुध कारखानों, जो देश के लिये रक्षा सामग्री बनाते हैं, को बिजली की कमी की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार को जेनेरेटिंग सेंटो और टरबाइनों का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे 400 मेगावाट बिजली तैयार की जायेगी। बिहार, राजस्थान और बदरपुर की फालतू बिजली उत्तर प्रदेश को दी जानी चाहिए।

राज्य में रक्षा सामग्री बनाने वाले आयुध कारखानों को पूरी बिजली देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को शीघ्र अनुदेश देने चाहिए। हिंडालको को दी जाने वाली बिजली में कमी करनी चाहिए। और हिंडालको का सरकारीकरण किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में व्याप्त बिजली के गम्भीर संकट को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की तुरन्त सहायता करनी चाहिए।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि एनौर बिजली घर में कम बिजली तैयार हो रही है क्योंकि वहां उसको ठण्डा करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। वहां की कुछ समस्याओं को तो बहुत पहले ही सुलझाया जा सकता था। मैं उस क्षेत्र में गया था और वहां मैंने कुछ सुझाव भी दिए थे। राज्य सरकार ने उन सुझावों का पालन किया है और वहां अब पूरी मात्रा में बिजली तैयार हो रही है।

बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर बिजली घर के सम्बन्ध में यह सच है कि सलाहकार समिति ने इसकी स्वीकृति तो दे दी है किन्तु योजना आयोग ने अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दी है। इस सम्बन्ध में मैंने योजना आयोग से अनुरोध किया है और मुझे बताया गया है यह स्वीकृति धन की कमी के कारण नहीं दी जा रही है। मैं फिर योजना आयोग से अनुरोध करूंगा कि इसे शीघ्र स्वीकृति दी जाए क्योंकि इससे बहुत अधिक बिजली तैयार होगी और उत्तर-बिहार को बहुत सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले से यह संकट चला आ रहा है। हम अभी तक यह कमी पूरी नहीं कर पा रहे है क्योंकि दिल्ली से जो बिजली तैयार होती है उसे हरियाणा को दिया जाता है। दामोदर घाटी निगम से बिजली मिलने की सम्भावता थी किन्तु वहां भी कम बिजली तैयार हो रही है। अतः उत्तर प्रदेश को दामोदर घाटी निगम से भी हम बिजली नहीं दे सकते हैं।

अतः उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक ही उपाय है कि वह यथाशीघ्र अपने बिजली घर बनाये। हमें आशा थी कि ओबरा बिजली घर का 120 मेगावाट का प्रथम यूनिट तैयार हो जायेगा। किन्तु मुझे बताया गया है कि इस बिजली घर के बनने मे अभी दो महीने और लगेंगे। यदि ओबरा यूनिटों को शीघ्र तैयार किया जाए तो उत्तर प्रदेश काफी सीमा तक बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो जायेगा।

जहां तक जेनेरेटिंग सेटों के आयात का सम्बन्ध है यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार

200 मैगावाट वाले 2 जेनेरेटिंग यूनिटों का आयात करने के लिए काफी समय से दबाव डाल रही है। उनकी यह मांग उचित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्षों में 20 लाख किलो वाट से 30 लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उन्हें इन जेनेरेटिंग सेटों का आयात करना होगा। इस विषय पर कल चर्चा होगी और मुझे आशा है कि इनको खरीदने की उन्हें अनुमति मिल जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने कहा है कि हिंडालको को बिजली उपयोग करने की छूट मिल गई है किन्तु रक्षा प्रतिष्ठानों को यह छूट अभी तक नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें।

डा० के० एल० राव : मुझे इस सम्बन्ध में कोई पता नहीं है कि हिंडालकों को बिजली की कमी की गई है। यह कारखाना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एलमुनियम का उत्पादन होता है जो बिजली पारेषण लाइनों का निर्माण करने के काम में लाया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा यह प्रश्न था कि आयुक्त कारखानों में बिजली की कमी करने से शस्त्रास्त्रों के उत्पादन में भारी कमी हुई है।

डा० के० एल० राव : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यही जानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कृषि को प्राथमिकता दे रही है और कृषि के लिए उच्चतम प्राथमिकता देकर बिजली देने का प्रयत्न कर रही है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1973 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 318 के अधीन जारी किये गये संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी, 1973 में, अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 39 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०** टी०-4298/73]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 87 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 88 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 65 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या 66 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4299/73]

भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत में समाचार पत्रों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, 1971

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(3) भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत में समाचार पत्रों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन 1971, (भाग 2) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०-4300/73]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTION

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 23 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौबीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से, जो 27 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से, जो 27 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश के बारे में सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेंगे रेल मंत्री महोदय 4 बजे म० प० पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत करें।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा यदि आप अपना प्रस्ताव कल पेश करें।

[इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteenth of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर 5 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen hours of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
[Mr. Deputy speaker *in the chair*]]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैंने एक अत्यन्त गम्भीर मामले के बारे में नोटिस दिया है। मोदी फ्लोर मिल में छापा पड़ा था और अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध दो आरोप हैं। किन्तु एक राजनीतिक दल को चन्दा देने के पश्चात उन्हें छोड़ दिया गया है!

उपाध्यक्ष महोदय : किसी मामले को इस सदन में उठाने का तरीका होता है यदि आपने लिख कर दिया होता तो अध्यक्ष महोदय उसका विचार करते । मैं कुछ नहीं बता सकता कि उसका क्या हुआ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि उन्होंने राजनीतिक दान लिया है तो आप उन्से वक्तव्य देने के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री एस० एम० बनर्जी : आज हिन्दुस्तान टाइम्स में जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह सही प्रतीत होता है । यदि वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है तो सरकार को इस वर्ष में यहां एक वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला प्रातः भी उठाया था अब आपने फिर उठाया है ।

आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उदघोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF ANDHRA PRADSH

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा सविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

17 जनवरी, 1973 की आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को बताया कि मुख्य मंत्री श्री नरसिम्हा राव ने अपना और अपने सहयोगियों का त्यागपत्र मंत्री परिषद में पेश कर दिया है । त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं । राज्य विधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों की पारस्परिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी विरोधी दल के नेता के लिए कोई वैकल्पिक सरकार बनाना सम्भव नहीं है और राज्यपाल ने सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन किया जाए । राज्यपाल ने आगे सिफारिश की है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधान सभा को भंग न किया जाए बल्कि उसे निलम्बित किया जाए । राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 18 जनवरी 1973 को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा कर दी गई है । राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में जो सभा पटल पर रखी है । यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत तत्काल जारी की जानी चाहिए और आशा की है कि इससे राज्य में तनाव कम होगा और आम दिनों जैसी स्थिति आयेगी ।

आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं का सदस्यों को भली प्रकार पता है ' 3 अक्तूबर, 1972 को उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मुल्की नियमों की वैधता की उद्घोषणा के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र में कुछ आन्दोलन भड़क उठते हैं। कुछ भागों में हिंसक घटनाएं हुई हैं जिनसे कुछ व्यक्ति मारे गए है और सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति हुई थी। दुर्भाग्य से राज्य के नेता बात-चीत के दौरान किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके, फिर मुख्य मन्त्री, उनके अन्य मन्त्रियों और आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्यों और अन्य नेताओं ने यह मत व्यक्त किया कि मुल्की नियमों के मामले में केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेना चाहिए। केन्द्रीय नेताओं द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नेताओं तथा जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बात चीत के पश्चात् सब क्षेत्रों के सन्तोष और आकांक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए 27 नवम्बर, 1972 को संसद में एक पांचसूत्रीय निर्णय की घोषणा की गई और तत्पश्चात् मुल्की नियम अधिनियम 1972, पारित हुआ। अधिनियम के उपबन्धों में 1956 में पारस्परिक रूप में स्वीकृत किए गए अनुरक्षणों की योजना के अतिरिक्त कुछ मामूली सा संशोधन किया गया है। नवम्बर 1956 से आन्ध्र क्षेत्र से और तेलंगाना क्षेत्र में पदों पर तेलंगाना से बा र के लोगों की नियुक्ति को नियमित करना तथा नोकरियां देना है। इसमें दोनों नगरों में सभी पदों पर दिसम्बर 1977 के अन्त तक आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने और दिसम्बर 1980 तक तेलगाना के अन्य भागों में सभी पदों के सम्बन्ध में आरक्षण समाप्त करने का उपबन्ध है।

राज्य में तुरन्त कानून ल गू करना इसलिए आवश्यक था कि आन्ध्र प्रदेश में लोगों की भावनावों को शान्त किया जाए, किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य के विभिन्न भागों, विशेषकर आन्ध्र क्षेत्र में शीघ्र आन्दोलन भड़क उठा और राज्य में बहुत शीघ्र हिंसा और अराजकता फैल गई। राज्य में कानून और व्यवस्था तथा बढ़ता हुआ राजनीतिक संकट दूर करने के लिए मुख्य मंत्री ने अपने मंत्री मण्डल का त्याग पत्र पेश कर दिया और उसके उपरान्त राज्य में राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया गया। वहां ऐसा कदम उठाना अत्यावश्यक हो गया था किन्तु यह कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का मुख्य उद्देश्य अर्थात् राज्य में तीव्रता से कानून और व्यवस्था तथा सामान्य जन-जीवन पुनः स्थापित करना है और इस सम्बन्ध में लोगों को ईमानदारी से ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति और हिंसा का कोई समाधान नहीं निकल सकता है इससे देश में लोकतन्त्र और राजनीतिक गतिविधि अवरुद्ध होगी। प्रधान मन्त्री ने राज्य में सामान्य स्थिति पैदा करने की पहले ही अपील की है। आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक सम्पत्ति को बहुत हानि हुई है। राज्य की अर्थ व्यवस्था बहुत गम्भीर रूप से बिगड़ी है। संचार व्यवस्था आदि बिल्कुल ठप्प हो गई है। वहां सब वर्ग के लोगों को गम्भीर हानि उठानी पड़ी है।

मेरी सब नेताओं मे अपील है कि वे आन्ध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था और सामान्य स्थिति लाने में योगदान दें जिससे कि राज्य के विभिन्न भागों के लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक कठिनाइयों पर शान्तिपूर्ण और सापेक्षिक रूप से विचार किया जा सके। सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य श्रेणियों के लोगों को तुरन्त अपने कार्य में लग जाना चाहिए ताकि लोगों की कठिनाइयां और उत्पीड़न समाप्त किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि यह सभा आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 18 जनवरी 1973 को जारी की गयी उदघोषणा का अनुमोदन करती है ।"

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम मेरे पास है । जब आप को बोलने के लिए कहा जाये तब आप ये सब मामले उठा सकते हैं ।

श्री बी० एन० रेड्डी* (निरबालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात समझ में नहीं आती है । आंध्र प्रदेश की सरकार दक्षिण में सबसे स्थायी सरकार थी और वहां कांग्रेस का पूर्ण बहुत था । राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व सरकार को इन बातों के बारे में अच्छी तरह विचार करना चाहिये था ।

सरकार द्वारा पिछड़ेपन, बेरोजगारी, और क्षेत्रीय असतुलन की समस्याएं हल करने में असफल होने के परिणामस्वरूप ही ऐसा हुआ है । सरकार इन समस्यों को शीघ्र हल करने का हमेशा आश्वासन देती रही है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से उक्त समस्याएं हल नहीं होंगी । अतः राज्य द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुरोध करना शर्मनाक बात है ।

राष्ट्रपति का शासन विभिन्न समस्याओं का राजनीतिक हल नहीं है ।

राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सैनिक सरकार कार्य कर रही है जो जनता की समस्यों से अनभिज्ञ है ।

राष्ट्रपति शासन में राज्य में खून की नदियाँ बह रही हैं । राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है । आंध्र राज्य को, जो किसी समय दक्षिण का चावल भण्डार था, अब अनाज के लिये भीख मांगनी पड़ रही है । संचार व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने और रबी की फसल के लिये उर्वरकों के वितरण में 15 प्रतिशत की कमी हो जाने के कारण चावल के उत्पादन में 9 लाख टन की कमी हुई है । नालगोंडा जिले में 600 गांवों को बिजली की कमी के कारण पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

सड़क परिवहन प्रणाली के असफल रहने के कारण आवश्यक क्षेत्रों में धान के न भेजे जाने से मूल्यों में वृद्धि हो रही है । सामान्य व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद जैसे नगरों को भी पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

---

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*English translation of the speech delivered in Telgu.

ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार स्वयं दोषी है। उक्त स्थिति उनकी गलत नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है।

प्रधान मंत्री द्वारा राज्य की अखंडता की हर कीमत पर रक्षा करने की बात कहने मात्र से ही समस्या हल नहीं हो जाती। राज्य की स्थिति का सही अनुमान लगाने की बजाये अपने दल के सदस्यों से अलग राज्य की मांग न करने पर बल देना उचित नहीं है। मुल्की नियम को बनाये रखने की केन्द्रीय सरकार की नीति और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को आंध्र राज्य में तैनात करने से राज्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। प्रधान मन्त्री अपने भाषणों द्वारा पृथकवादी प्रवृतियों को बढ़ावा दे रही हैं। वह ऐसा अपने दल के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कर रही हैं।

राज्य की बेरोजगारी की समस्या को 2 : 1 की जन संख्या के अनुपात के आधार पर हल किया जाना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से प्रशासक अपने को शक्ति में रखने के लिये समस्या को हल करने की बजाये मोल भाव करने में संलग्न हैं।

प्रधान मन्त्री की नीति से राज्य की अखंडता को बल मिलने की बजाये विघटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री के० हनुमन्तैय्या (बंगलौर) : आंध्र राज्य के गठन में मैं आरम्भ से ही रुचि लेता रहा हूं। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने का मैं विरोधी रहा हूं। इस बारे में हैदराबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारणी की बैठक में मैंने एक संकल्प रखा था : आन्दोलन, प्रदर्शन और हिंसा के आधार पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई बुरी प्रक्रिया पहले अपना ली गई है तो हमें उसका पुनरीक्षण करना चाहिये।

सरकार को यह सिद्ध करना चाहिये कि हिंसा और प्रदर्शनों से कोई समस्या हल नहीं की जा सकती।

संसद को इन प्रदर्शनों और हिंसात्मक गतिविधियों के प्रभाव में नहीं आना चाहिये। हम क्षेत्रवादी अथवा भाषावादी प्रवृतियों को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हैं।

यदि श्री बी० एन० रेड्डी की बेरोजगार सम्बन्धी दलील को ठीक मान लिया जाये तो भारत के सब भागों में आन्दोलन होने चाहिये। लोकतंत्र में समस्याओं का हल आपसी विचार-विमर्श और लोकतन्त्रात्मक प्रणाली से किया जा सकता है। उग्रवादी हिंसात्मक तरीकों प्रदर्शनों और गालियां आदि से नहीं। मुझे आशा है कि आंध्रवासी हिंसा से काम न लेकर समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे।

सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाई है और प्रत्येक मृतक के सम्बन्धी को 1000 रुपये और घायल और विकलांग व्यक्ति को 200 से 500 रुपये अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सैनिक पुलिस का राज्य से हटा लेने पर तानाशाही का राज्य हो जायेगा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सैनिक पुलिस ही वहां हिंसा को रोक रही है और कानून और व्यवस्था स्थापित करने में सहायता कर रही है।

राज्य में सर्वप्रथम हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए। सरकार राज्य की समस्या के बारे में कैसे निर्णय ले सकती है जबकि राज्य में लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों के घर और रेलवे सम्पत्ति जलाई जा रही है। राज्य में पहले शान्ति का वातावरण पैदा किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री अथवा अन्य राज्य मंत्री अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कहना उचित ही है।

लोगों को वहां लोकतांत्रिक प्रणाली अपनानी चाहिए और सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगर में शान्ति स्थापित हो जिससे आंध्र के प्रतिनिधि यहां अथवा राज्य विधान सभा में इस समस्या पर बिना पक्षपात के निर्णय ले सकें। अतः उचित निर्णय लेने के लिए राज्य में शान्ति तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। इसकी बजाये राज्य की बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि की समस्याएं उठाना असंगत-पूर्ण होगा।

इस विषय पर जनता की राय लेने पर मुझे आपत्ति नहीं है बशर्ते वहां इसके लिए उचित वातावरण तैयार किया जाये। मैं जनसंघ से अनुरोध करूंगा कि वह वहां प्रदर्शनों और आन्दोलनों को प्रोत्साहन न दे। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मैं उनकी देश भक्ति पर संदेह नहीं करता।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The President's rule is no solution to Andhra's problem.

We also believe in democratic system, but the responsibility of running democracy rests on the ruling party.

The state of Andhra Pradesh was formed in 1953. But it was formed not on the basis of any principle or language or any administrative convenience.

No democratic way has been followed in the formation of states after the recommendations of the States Reorganisation Commission.

The Goverament have neither ready to accept the expression of the people nor the recommendations of the various Commissions such as Mahajan Commission or Shah Commission, have been accepted.

The Krishna—Godawari dispute has been pending since 1951. Kaveri—Narmada dispute is also pending. In fact the Government has no intention to solve these problems and it has no solid principle in this regard.

The present situation in Andhra has been created by the ruling party. The Government talks of integrity but there cannot be piecemeal integrity. When the Mulki Rules Act was passed, we had opposed it and told that the five point formula would satisfy none. The demand for separate Telengana has been made in 1969 and the people of Telengana have pressed their demands in a peaceful manner but the final decision taken by the Government was the status-quo.

The people expressed their will in a peacefull manner but the Government ignored their will and thus they were compelled to resort to violent methods, to solve the problem. Therefore, the ruling party to mainly responsible for violence in Andhra Pradesh.

Imposition of President's rule in Andhra Pradesh in not the proper solution of Andhra's problem. An opinion poll should be taken or the State Assembly should be summoned to give its verdict on the issue of Andhra Pradesh. The problem of Andhra Pradesh should be solved peacefully.

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : गत दो और तीन महीनों में आंध्र में घटी घटनाओं से मैं बहुत चिन्तित हूं । आंध्र के लोग हर प्रकार के त्याग के लिये हमेशा तैयार रहें हैं । जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि वह हृदय से देश भक्त हैं । इस घरेलू मामले पर संसद् सदस्यों में भी मतभेद है ।

आंध्र प्रदेश के एक वर्ग के क्रोध के कारण आंध्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है । आंध्र के लोगों के अधिकारों से इन्कार नहीं किया जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश के मामले में किसी जगह कोई त्रुटि रह गई है और इसके कारण आंध्र के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

एक पृथकवादी नेता का कथन है कि अखंड़तावादी नेता दिल्ली में क्यों ठहरे हुए हैं ? उन्हें आंध्र में जाना चाहिए । लेकिन यदि हम आंध्र में जाते हैं तो वहां दोनों वर्गों के बीच रक्तपात हो जाता । अतः हम आंध्र प्रदेश नहीं गए । आप यह क्यों सोचते हैं कि हिंसा के बिना आपकी सुनवाई नहीं होगी ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि सब संसद सदस्य राज्य में शान्ति स्थापित करवाने का प्रयास करें । आंध्र आज देश के एक बहुत बडे र ज्यों में से एक है और उसका रिकार्ड कभी भी खराब नहीं रहा है । वहां के लोगों ने अपने निकटवर्ती राज्य को कभी भी परेशान नहीं किया है ।

प्रधान मंत्री का पांच सूत्री फार्मूला आन्ध्र मंत्री मंडल ने स्वीकार कर लिया था और उसे आंध्र वासियों से स्वीकार कराने का अनुरोध किया था । इस सम्बन्ध में एक बैठक विजयवाड़ा में हुई थी । वहां सब मंत्री एकत्र हुए और प्रधान मंत्री के फार्मूले को स्वीकार करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया तब तक उक्त बैठक का रूख कांग्रेसियों के हाथ में नहीं रहा था बाइबल में भी कहा गया है कि अपने पड़ौसी से प्यार करो और हमारा तो कहना है कि जो आपसे घृणा करता है आप उससे भी प्यार करो ।

मैं इस सभा से और उन लोगों से, जो अपने लिये पृथक आंध्र बनाना चाहते हैं, अपील करता हूं कि वे दिल्ली आकर हमसे स्वीकार कराएं और हमें भी अपने साथ लें, ताकि यह एक राज्य बने जिसमें तेलंगाना आन्ध्र और रायलसीमा अर्थात् सभी आंध्रवासी शान्तिपूर्ण ढंग से रह सकें ।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मुल्की नियमों के बनाए जाने के समय तथा पांच सूत्रीय फार्मूला सभा पटल पर रखने के समय मैंने इस सदन में कहा था कि इस प्रकार से दोनों

क्षेत्रों को संतुष्ट रखना अत्यंत असम्भव कार्य है। पृथक तेलंगाना राज्य की मांग जरूर उठेगी। आन्ध्र को बलपूर्वक तेलंगाना की जनता पर लादा गया है। आंध्र प्रदेश के निर्माण से पूर्व ही तेलंगाना की जनता ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि हम आंध्र प्रदेश में मिलना नहीं चाहते और एक पृथक राज्य बनाना चाहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने तदनुसार पृथक तेलंगाना राज्य बनाए जाने की सिफारिश की थी। क्योंकि हम जानते हैं कि विधायकों के सम्बन्ध में आंध्र क्षेत्र का बहुमत है। आंध्र से 183 विधायक चुने जाते हैं जबकि तेलंगाना से केवल 100 अतः आंध्र का मुख्य मन्त्री भी —आंध्र का होना स्वाभाविक ही है। प्रधानमन्त्री ने तेलंगाना की जनता को तेलंगाना से मुख्य मंत्री चुनने का अवसर दिया था परन्तु श्री ब्रह्मानंद रेड्डी के स्थान पर श्री नरसिम्हा राव को मुख्य मंत्री बनाए जाने की बात को आंध्रवासी सहन नहीं कर पाए और श्री नरसिम्हा राव की सरकार नौ महीने भी नहीं चल सकी। इसलिए यह संकट उत्पन्न हुआ है आंध्र प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन थोपने और करोड़ों रुपयों की हानि तथा अनेक निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने के लिये केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी भी विलम्ब नहीं हुआ है और सरकार को पृथक तेलंगाना राज्य की माग स्वीकार कर लेनी चाहिये। और यही समस्या का एक मात्र हल है।

मैंने एक स्पष्टीकरण मांगा था पर अध्यक्षपीठ ने इसकी अनुमति नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व विधान सभा की बैठक बुलाई थी। क्या यह अप्रजातांत्रिक ढंग नहीं है। यदि वहां हिंसा हो रही है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? भारत सरकार ही इसके लिए उत्तरदायी है। तेलंगाना और आंध्र के लोगों पर जबर्दस्ती पांच सूत्रीय फार्मूला थोपा गया है जबकि इन दोनों ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था।

भारत सरकार को जनता की इच्छाओं और भावनाओं के अनुकूल कार्यवाही करनी चाहिए। राष्ट्रपति के शासन से समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके विपरीत समस्या और अधिक उलझी है। पिछले 4 वर्षों से तेलगांना में कोई राजनीतिक प्रशासन नहीं है। तेलगांना क्षेत्र में लोग कष्ट सह रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से वर्षा के अभाव और सूखे के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से वे जूझ रहे हैं। उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है। वहां पीने को जल नहीं खाने को चावल नहीं और जब कलक्टर ने चावल और गेहूं का न्यूनतम कोटा देने के लिए कहा तो वह भी सप्लाई नहीं किया गया और लोगों को भूखा मरने की नौबत आ रही है।

भारत सरकार को बिना कोई विलम्ब किए पृथक तेलगांना राज्य का निर्माण कर देना चाहिए ताकि कम से कम अब वे इस स्वतंत्रता का लाभ उठा सकें जो इन्हें पिछले 16 वर्षों से प्राप्त नहीं हुई है और वे अपना अलग राजनीतिक व्यक्तित्व बना सकें तथा वास्तविक रूप में भारत के अन्तर्गत समाजवादी तेलगांना राज्य की स्थापना की जा सके।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि आंध्र में बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल को अपदस्थ होना पड़ा है क्योंकि यह दल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सका है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 3 अक्तूबर, 1972 को दिये गये गए निर्णय में 1957 अधिनियम के खण्ड 2 को वैध

ठहराया जिसके परिणामस्वरूप मुल्की नियमों पर पुनः विचार किया गया। आंध्र की मंत्रि-परिषद इस मामले पर एकमत नहीं हो सकते हैं। आंध्र के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्री दिल्ली आए और इन्होंने प्रधान मंत्री से भेंट की। प्रधान मंत्री ने दोनों क्षेत्रों के लोगों के हितों पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय दिया। आंध्र के मंत्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे समस्या का उचित समाधान बताया है। वे पुनः वापस आंध्र प्रदेश गए और वहां वे आन्ध्र प्रदेश के लोगों को न मना सके और इस प्रकार वहां पृथक राज्य के लिए आन्दोलन आरम्भ हो गया। डाक्टर और इंजिनियर भी इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। पहले यह दोनों वर्ग के लोग मुल्की नियमों के अन्तर्गत नहीं आते थे किन्तु इन्हें भी शामिल कर लिया गया है। आन्ध्र और तेलगांना के अराजपत्रित अधिकारियों का कहना है कि तरक्की के सम्बन्ध में सरकार ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। चूंकि इस समय इस राज्य का प्रशासन सीधे भारत सरकार के अधीन है इसलिए यह उचित समय है कि भारत सरकार लोगों की भांति तथा आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ प्रारम्भिक कदम उठाए तथा उनकी जो भी शिकायतें हैं उन्हें दूर करे। चिकित्सकों तथा इंजिनियरों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए यदि ये सभी बातें कर दी जाएंगी तो वहां पुनः शान्ति स्थापित की जा सकती है।

चूंकि वहां बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्यवाहियां की गई हैं, सर्वत्र हिंसा व्याप्त है सरकारी सम्पत्ति जला दी गई है अथवा नष्ट की गई है. आगजनी की घटनाएं घटी हैं और यहां तक कि कई व्यक्ति मारे भी गए हैं अतः यह स्वभाविक था कि इसका विरोध किया जाता और इसके पश्चात वहां केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सेना को बुलाया जाता। इस मामले में ज्यादती जरूर हुई है पर ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हुआ ही करता है। 1956 में विशाल आन्ध्र प्रदेश के निर्माण हेतु आन्ध्र के नेताओं ने तेलंगाना के नेताओं से कुछ शर्तों पर एक समझौता किया जिसमें से एक शर्त तो मुल्की नियमों के सम्बन्ध में थी और दूसरी तेलंगाना के विकास के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाने के बारे में थी। इन शर्तों पर तेलगाना के लोगों ने उनका सहयोग देना स्वीकार कर लिया पर बाद में यह शर्तें पूरी नहीं की गई। आन्ध्र के नेताओं ने अपने बचनों का पालन नहीं किया। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने 1957 अधिनियम के खण्ड 3 को अवैध घोषित कर दिया और तेलंगाना के लोगों ने फिर आन्दोलन शुरु कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चूंकि इन्हें दिए गए वचनों को पूरा नहीं किया गया वह आन्ध्र के साथ नहीं रहेंगे। 3 अक्तूबर, 1972 को उच्चतम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में एक और निर्णय दिया जिसके फलस्वरूप आन्ध्र के लोगों ने अपने को दूसरी श्रेणी के नागरिक कहना शुरु कर दिया था। इसमें संदेह नहीं है कि आन्ध्र क्षेत्र के लोगों के बच्चों को मैडिकल और इंजिनियरी कालेजों में दाखिला नहीं मिलता है। वहां एक मैडिकल कालेज खोल कर उनकी यह कठिनाई दूर कर दी जानी चाहिए और दोनों क्षेत्रों के छात्रों को दाखिला दिया जाना चाहिए। यदि एक इंजिनियरिंग कालेज की स्थापना करके और दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए इस कालेज में प्रवेश पाने की छूट दे दी जाए तो यह समस्या भी दूर हो सकती है। यह तो मानी हुई बात है कि तेलंगाना के लोग आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से बुरी तरह

पिछड़े हुए हैं और यही कारण है कि 1919 में निजाम ने मुल्की नियमों को लागू करने की बात सोची थी। प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की सुरक्षा विद्यमान है जैसे उड़िसा के आवास नियम।

ऐसे नियमों को लागू करने के लिए शुरु के वर्षों में अवश्य कुछ दिक्कत होती है पर 10-15 वर्ष के बाद लोग इस बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। किन्तु पिछड़े हुए लोगों के हितों की सुरक्षा हेतु ऐसा कदम उठाना नितान्त आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह नियम वर्ष 1974 को समाप्त हो जाने थे किन्तु अब इनकी अवधि बढ़ा दी गई है। ये नियम हैदराबाद और सिकन्दराबाद में 1977 तक लागू रहेंगे और तेलंगाना में 1980 तक लागू रहेंगे।

आन्ध्र के लोग मुल्की नियमों की अवधि बढ़ाने के विरोधी नहीं है पर उनकी चिन्ता हैदराबाद और सिकन्दराबाद के बारे में है। एक तो पहले वहां के डाक्टर इंजीनियर इनमें शामिल नहीं थे पर अब उन्हें शामिल कर लिया गया है। दूसरे 1977 तक इन तीन-चार वर्षों में जो भी नियुक्तियां की जायेंगी वह 30 साल तक खाली नहीं होगी क्योंकि नया भर्त्ती किया गया व्यक्ति 30 वर्ष के बाद ही सेवा निवृत होगा।

यही कुछ समस्यायें हैं जिन्हें सरकार को दूर करना है। मेरा विचार है कि यह घोषणा उचित समय पर की गई है तथा मैं समझता हूँ कि इसे 6 महीने तक और यदि आवश्यक हो तो और भी लम्बी अवधि के लिए इस राष्ट्रपति शासन को लागू रखा जाना चाहिए ताकि सरकार द्वारा प्रारम्भिक उपाय किये जा सकें और लोगों की प्रतिक्रिया भी मालूम हो सके। क्योंकि आन्ध्र के लोगों को तेलंगाना के लोगों में विश्वास नहीं है और तेलंगाना के लोगों को आन्ध्र के लोगों में विश्वास नहीं है।

दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और अब राष्ट्रपति शासन का लाभ उठाकर वहां सन्तोषजनक हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जो रायलसीमा एवं अन्य क्षेत्रों को संतुष्ट कर सकें। इस बीच तेलंगाना एवं रायलसीमा के पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़ी एजेन्सियों के जिलों और उत्तरी सरकार के पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास किया जाना चाहिए। चूंकि मार्च में आन्ध्र प्रदेश का बजट भी सभा में प्रस्तुत किया जाना था। अतः इस कार्य के लिए विशेष आवंटन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

यद्यपि पिछले 15-16 वर्षों से आन्ध्र सरकार कह रही है कि हम पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं परन्तु फिर भी तेलंगाना के लोगों को शिकायत है कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अतः इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि सम्भव हो तो प्रान्त की एकता बनाई रखी जानी चाहिये और यदि बिल्कुल असम्भव हो तो पृथक राज्य बनाया जाना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्र गढ़) : यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि सरकार ने जान-बूझकर आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया है। सरकार वास्तविकता को देखने में असफल रही है गत चुनावों के दौरान तेलंगाना की जनता ने अपनी इच्छा पूरी तरह से व्यक्त करदी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि तेलंगाना और आन्ध्र के लोग किस तरह कहें कि हमें पृथक राज्य चाहिए। दुर्भाग्यवश तेलंगाना प्रजा समिति के टिकट पर चुने गए सदस्यों ने जनता का साथ नहीं दिया है। आज इस गड़बड़ का यही मुख्य कारण है। आन्ध्र के लोगों ने आज अपने लोकप्रिय प्रतिनिधियों द्वारा अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है। उनमें से अधिकांश खुले आम कह रहे हैं कि वे एक पृथक आन्ध्र बनाना चाहते हैं। आन्ध्र में हिंसा व्याप्त है। मैं हिंसा की भर्त्सना करता हूं लेकिन हमें लोगों की भावनाओं के बारे में ठंडे मन से विचार करना होगा। जल्दी से निर्णय दे देने से समस्या का निदान नहीं होगा। इन मामलों को जनता की इच्छानुसार उनके प्रतिनिधियों से परामर्श द्वारा निपटाया जाना चाहिये। यदि इस बारे में एक आयोग की नियुक्ति की जाती तो बहुत अच्छी बात होती। जैसाकि आप जानते हैं कि पंजाब के बारे में एक समिति नियुक्ति की गई थी अतः कोई समस्या नहीं उठी और पंजाब का शांतिपूर्वक विभाजन हो गया। इस बात से कि आन्ध्र प्रदेश में सांविधानिक सरकार नहीं चलाई जा सकती, लोगों की लोकप्रिय भावना का पता चलता है। राज्य के विभाजन के पीछे एक तीव्र भावना काम कर रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि और अधिक राज्यों की स्थापना की जाए और यदि लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाये और लोकप्रियभावनाओं का सम्मान किया जाए तो इससे केन्द्र अवश्यमेव शक्तिशाली बनेगा। केवल राज्यों की संख्या अधिक होने से केन्द्र कमजोर नहीं होता। आज अमरीका में 50 से ऊपर राज्य हैं और इसी प्रकार सोवियत संघ में भी अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों के अलग-अलग राज्य हैं। अतः राज्यों की संख्या अधिक होने से भी केन्द्र उतना ही शक्तिशाली रहेगा।

लोगों की इच्छाओं को जानने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि आन्ध्र प्रदेश में लोकमत संग्रह कराया जाए। अतः यदि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों से बचना है तो मैं सुझाव दूंगा कि ऐसी मांगों पर विचार करने के लिये एक स्थायी आयोग बनाया जाना चाहिये। सरकार को आन्ध्र प्रदेश के लोगों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए और राज्य के विभाजन की शीघ्र घोषणा करनी चाहिए।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : आन्ध्र प्रदेश में लागू राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा में कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता से भाग नहीं ले सकता है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस दल का पिछले 50 वर्षों से सदस्य हूं। ऐसा राज्य जहां बहुमत की सरकार हो वहां राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाए तो आसानी से समझा जा सकता है कि निश्चय ही मामला गम्भीर है। गत तीस वर्षों से तेलंगाना के लोग प्रायः दुखी है। 1942-48 तक वहां सामन्तशाही चलती रही, रजाकारों का बोलवाला रहा 1956 के बाद से आज तक आपको कोई ऐसा निवासी मिले जिसने तनिक सा भी सुखी-जीवन वहां पर व्यतीत किया हो। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह जानने का प्रयत्न करे कि वहां क्या हो रहा है। 1957-59 तक हम अपने अभ्यावेदन भेजते रहे हैं। गृह मन्त्रालय के पास कई शिष्ट मण्डल लेकर जाते रहे हैं

और इन सबको बताते रहे है कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। उनसे कहते रहे हैं कि स्थिति को सुधारिये परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया है।

तेलंगाना के लोग आन्ध्र में नहीं मिलना चाहते। इस सम्बन्ध में हमारे दिवंगत प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने तेलंगाना के नेताओं से बातचीत की थी। तेलंगाना के नेता स्वर्गीय श्री रंगा रेड्डी ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि तेलंगाना के 90 प्रतिशत लोग आन्ध्र से मिलने के हक में नहीं है और यदि चुनाव कराया जाए तो यह प्रतिशतता और भी अधिक निकलेगी और तब प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि वह नहीं चाहते तो मुझे पहले जनता की प्रजातांत्रिक भावनाओं का ध्यान रखना है। मैं उन्हें इसके विरुद्ध परामर्श कैसे दे सकता हूं और इसके बाद आन्ध्र और तेलंगाना के लोगों का कुछ शर्तों पर समझौता हुआ। यदि आन्ध्र और तेलंगाना के बीच हुए समझौते का ठीक तरह से पालन किया जाता तो आज स्थिति भिन्न होती। हमें विवश होकर न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है और हमारे पक्ष में निर्णय हो जाने के बाद कुछ नहीं किया जाता है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है। क्या सरकार ने इसे कार्यान्वित करने का उत्तर-दायित्व लेना स्वीकार किया है।

1969 में हमें अत्यधिक गड़बड़ का सामना करना पड़ा। पुलिस ने 350 लोगों को मार दिया और हजारों व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। हमारा क्षेत्र लगभग 44,000 वर्ग मील के लगभग है। हमने तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की मांग की थी। किन्तु अब जब तेलंगाना क्षेत्र से वहां के मुख्यमन्त्री हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है क्योंकि ऐसा आंध्र के लोग चाहते हैं।

भारत सरकार हिंसा के विरुद्ध है लेकिन यह हर कोई जानता है कि किस प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र तथा हरियाणा और पंजाब पृथक-पृथक राज्य बने। सरकार को अवश्य ही इस पर पुनः विचार करके कुछ ऐसे तरीके ढूंढ निकालने चाहिये जिनसे इन बातों को लोकतान्त्रिक और अहिंसापूर्ण ढग से हल किया जा सके। हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं किन्तु यदि शान्तिपूर्ण ढंग से कोई मांग की जाए तो सरकार मानती ही नहीं है।

अब प्रधानमंत्री के रवैये में सुखद परिवर्तन आया है। आज राज्य-सभा में उन्होंने हमारे हित की बात कही है। यदि यह बात ठीक है तो हम प्रसन्न हैं। तेलंगाना के लोगों ने यह निर्णय लिया कि विभाजन किया जाना चाहिये। आन्ध्र के पृथकतावादियों ने निर्णय लिया कि विभाजन होना चाहिए सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। हमें जनता की प्रजातांत्रिक भावनाओं की रक्षा करनी है। हमें ऐसा उपाय खोजना है जिससे अहिंसा द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करलें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का समर्थन करता हूं। कांग्रेस दल आन्ध्र में भारी बहुमत के बावजूद भी लोकप्रिय आन्दोलन के समक्ष टिक न सका और शायद वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के अतिरिक्त कोई विकल्प रह ही नहीं गया था।

हिंसा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम सब हिंसा की निन्दा करते हैं लेकिन हिंसा के दमन हेतु सेनाओं की सेवाएं ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। सेना का हम सम्मान करते हैं और यदि लोगों को कुचलने के लिए सेना बुलाई जाएगी तो लोगों की सेना के प्रति आस्था उठ जाएगी और वह उसके विरोधी बन जायेंगे। यदि स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय आरक्षण पुलिस और सीमा सुरक्षा पुलिस को वहां तैनात किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु वहां सेना को तैनात नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार को लोकप्रिय आन्दोलनों का दमन करने के लिए सेना को तैनात करने से आन्ध्र में पैदा हुई स्थिति से सबक सीखना चाहिए। यदि सरकार अपनी सही जिम्मेदारी निभाती तो आज जो स्थिति उत्पादन हो गई है वह कभी उत्पन्न नहीं होती। मैं गृह मन्त्री का ध्यान पुनर्गठन आयोग के 1955 के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि 1961 के चुनावों तक तेलगाना एक पृथक यूनिट रहेगा और उसके बाद यदि दोनों विधान सभाएं दो तिहाई बहुमत से मिलकर रहने का प्रस्ताव पास करेंगी तभी तेलंगाना और आन्ध्र एक समेकित राज्य बन सकेगा। उसके बाद आन्ध्र और तेलंगाना के बीच एक समझौता हुआ जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि कोई भी समझौता तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता जब तक भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती है। इसी वर्ष मुझे तेलंगाना क्षेत्र होकर गुजरने का अवसर मिला। वहां गरीबी उड़ीसा से भी अधिक है। हर जगह मैंने मायूसी तथा निराशा देखी जिसे हिंसा में बदलने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार को ही दोषी ठहराऊंगा।

अभी समय है कि आप जनता के बीच द्वेष फैलाये बिना राज्य का शान्तिपूर्ण ढंग से विभाजन करदें।

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरु) : राष्ट्रपति राज में आन्ध्र में लोगों को हो रहे कष्ट का मुझे भी बहुत दुख है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल जारी रखें।

दक्षिण-पूर्व रेल के हिंगिर स्टेशन पर गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FIRING AT HINGIR STATION OF SOUTH EASTERN RAILWAY

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कुरेशी दक्षिण-पूर्व रेल के हिंगिर स्टेशन पर गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य देंगे।

***तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर**

Summarised translated version based on english translation of the Speech delivered in Telgu.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Where is Railway Minister ? (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री किसी विशेष कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं और श्री कुरेशी उनकी ओर से वक्तव्य देंगे (**व्यवधान**)

श्री कुरेशी ।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद कुरेशी) : दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक को इसी महीने की 26 तारीख को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे के विलासपुर मण्डल के एक खण्ड का निरीक्षण करना था । निरीक्षण गाड़ी मगरसुगुडा और बिलासपुर के बीच चलनी थी । इसे हेमगिरि स्टेशन पर नहीं ठहरना था जो झारसुगुडा से कुछ ही स्टेशन बाद पड़ता है । किन्तु महाप्रबन्धक को बताया गया कि हेमगिरि स्टेशन पर कुछ कर्मचारी एकत्र हैं और वे कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे । अतः उन्होंने गाड़ी को कुछ मिनट के लिए हेमगिरि पर ठहराने का विनिश्चय किया ।

2. जब गाड़ी 9.45 बजे हेमगिरि स्टेशन पर पहुंची तो लगभग 150 रेलकर्मचारी और अन्य लोग रेल पथ पर घरना देते हुए पाये गये । दक्षिण पूर्व रेलवेमैन्स यूनियन की रायगढ़ शाखा के मन्त्री ने महाप्रबन्धक से भेंट की और उन्हें एक मांग पत्र दिया । महाप्रबन्धक ने उससे कहा कि वे 3 मार्च को विलासपुर मण्डल के यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ कुछ विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे और यह वचन दिया कि वे उस अवसर पर प्रस्तुत मांग पत्र पर भी विचार-विमर्श करेंगे । लेकिन यूनियन का मंत्री इस बात पर जोर देने लगा कि महाप्रबन्धक उन मांगों में से एक मांग पर तुरन्त निर्णय दें, अर्थात रायगढ़ के सहायक स्टेशन मास्टर श्री जान फिलिप्स का स्थानान्तरण रद्द कर दें । महाप्रबन्धक ने मौके पर ही निर्णय देने में अपनी असमर्थता पर खेद प्रगट किया । तब यूनियन के एक अन्य नेता ने घरना देने वालों के सम्मुख एक उतेजक भाषण दिया और निरीक्षण गाड़ी को अनिश्चित काल तक रोक रखने के लिए उन्हें उकसाया ।

3. महाप्रबन्धक के साथ चलने वाले अधिकारियों के प्रयास करने के बाद भी जब वे रेल पथ से नहीं हटे, तो जिला मजिस्ट्रेट, सुन्दरगढ़ (उड़ीसा राज्य), कार्यप्रभारी, पुलिस थाना, हेमगिरि और झारसुगुडा सरकारी रेलवे पुलिस के कार्यप्रभारी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया गया । सरकारी रेलवे पुलिस, झारसुगुडा के कमांडिग अधिकारी, 6 सिपाहियों के साथ एक मालगाड़ी से 11.45 बजे हेमगिरि पहुंचे और उन्होंने धरना देने वालों को रेलपथ से हटने के लिए राजी करने की चेष्टा की, किन्तु प्रयास निष्फल रहा । उसके बाद उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे स्वेच्छा से रेलपथ से नहीं हटेंगे तो बल प्रयोग किया जायेगा । इस पर भी जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने कुछ घरना देने वालों को हाथ पकड़ कर हटाने की कोशिश की । इस कोशिश का उग्र प्रतिरोध हुआ और तब कमांडिग अधिकारी ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिस पर घरना देने वालों ने सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये । रिपोर्ट मिली है कि पत्थर फैंकने के फलस्वरूप सरकारी रेलवे पुलिस के 2 सिपाही और रेलवे सुरक्षा दल के तीन रक्षक घायल हो गये ।

4. ऐसी स्थिति में सरकारी रेलवे पुलिस के कमांडिग अधिकारी ने, जिसकी सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा दल के 4 सशस्त्र रक्षक दिये गये थे, हवाई फायर करने का आदेश दिया। चार बार हवाई फायर किये गये लेकिन कोई असर नहीं हुआ; उलटे, भीड़ और भी अधिक हिंसात्मक हो गयी। सरकारी रेलवे पुलिस के कमांडिग अधिकारी ने, अपना और अपने दल के लोगों का जीवन खतरे में देखकर, भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। आठ राउन्ड गोली चलायी गयी जिसके फलस्वरूप एक आदमी मर गया और सात घायल हो गये। घायलों में से एक व्यक्ति बाद में मर गया।

5. दोनों मृत व्यक्ति गैंगमैन थे। घायल हुए 6 व्यक्तियों में चार गैंगमैन, एक कीमैन और एक पाइन्ट्समैन है।

मृतकों की लाशों और घायल व्यक्तियों को (जिनकी प्राथमिक चिकित्सा मंडल चिकित्सा अधिकारी और उनके कर्मचारियों ने पहले ही कर दी थी) सुन्दरगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिक्षक ने अपने कब्जे में ले लिया। घायल व्यक्तियों की राउरकेला के इस्पात कारखाने के अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है।

6. जब इस घटना का समाचार बिलासपुर पहुंचा तो दक्षिण पूर्व रेलवे मैंन्स यूनियन की स्थानीय शाखा ने आन्दोलन करने का निश्चय किया और यह घोषणा की कि जब तक उनकी निम्नलिखित मांगें पूरी नहीं कर दी जातीं तब तक वे किसी भी गाड़ी को नहीं चलने देंगे :

(क) गोली कांड की अदालती जांच।

(ख) मृतकों और घायलों के परिवारों को मुआवजा।

(ग) गोली चलाने का आदेश देने वाले सरकारी रेलवे पुलिस के आफीसर कमांडिग का निलम्बन।

(घ) रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न न करने का आश्वासन।

(ङ) दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक का स्थानान्तरण।

7. 27 फरवरी के अपरान्ह में उड़ीसा सरकार ने अदालती जांच करना स्वीकार कर लिया। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने तथा जो कर्मचारी हिंसा और तोड़-फोड़ की गम्भीर घटनाओं से सम्बन्धित नहीं है उनका उत्पीड़न न करने की बात भी रेलवे बोर्ड ने पहले ही मान ली है।

8. उपर्युक्त विनिश्चयों की सूचना बिलासपुर की स्थानीय यूनियन के नेताओं को कल अपरान्ह में दे दी गयी थी और वे 27 फरवरी को रात 8 बजे से हड़ताल समाप्त करने के लिए सहमत हो गये थे। बिलासपुर मण्डल में यातायात लगभग 24 घन्टे तक ठप्प रहा।

9. प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 500 रुपये अनुग्रह राशि के रूप में तथा 100 रुपये अन्तिम संस्कार के खर्च के लिए दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे महिला संगठन ने प्रत्येक परिवार के लिए 500 रुपये दिये हैं।

घायलों में प्रत्येक को 300 रुपये की अनुग्रह राशि दी गयी है तथा महिला संगठन ने भी प्रत्येक को 100 रुपये दिये हैं।

अनेक माननीय सदस्य **खड़े हुये—**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) हमने सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार...(**व्यवधान**) मैं प्रत्येक को पूरा अवसर दूंगा। मैं सभा की कार्यवाही को नियमित करने का प्रयत्न कर रहा हूं...(**व्यवधान**) कृपया एक दो मिनट के लिये मेरी बात सुनें।

नियम के अनुसार जब कोई वक्तव्य दिया जाता है, तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा...

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : लेकिन...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव दूंगा कि नियमों को तोड़ने के बजाय हम उनका पालन करें। आप नियम 342 के अधीन इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप उचित सूचना दे सकते हैं (**व्यवधान**) हम नियमों का उल्लंघन क्यों करें?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे तो सारी बात समाप्त हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा के हाथ में हूं। मैं सभा के निर्णय का पालन करूंगा...(**व्यवधान**) कृपया बैठ जायें। आपने मुझे पूरी तरह से नहीं सुना।

नियमों का पालन होना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : समय 4.15 से 4 बजे के लिये क्यों बदला गया था?...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे चार बजे आयेंगे और सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक स्थगित होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी किसी भी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी जाये (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्थान पर मैं भी वाजपेयी के स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने के पक्ष में हूं।

श्री सेझियान : अध्यक्ष महोदय को मालूम था कि सभा आज 4.30 म० प० स्थगित हो जायेगी। परन्तु फिर भी उन्होंने इस वक्तव्य को 4.00 बजे लेने की अनुमति दी जिससे इस पर चर्चा का अवसर मिल सके।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : एक सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिये छः आदमियों की जानें ली गयी हैं। मैं अपील करता हूं कि इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We want that Adjournment Motion should be accepted so that we could have the opportunity to discuss the firing on railway employees.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव दूंगा कि अध्यक्ष महोदय ही इस बात का निर्णय करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें सूचना मिली है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति दी जा चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है वह रिकार्ड पर है। सभी बातें अध्यक्ष महोदय को बता दी जायेंगी और तभी वह निर्णय लेंगे। इसलिये 4.30 म० प० के बजाये सभा अभी ही 5 म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा 5 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then Adjourned till Seventeen of the Clock

लोक सभा 5 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

(Mr. speaker *in the chair*)

सामान्य बजट 1973-74

GENERAL BUDGET 1973-74

अध्यक्ष महोदय : मानरीय वित्त मन्त्री :

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त-राव चव्हाण)

महोदय,

मैं 1972-73 के संशोधित अनुमान और 1973-74 के बजट अनुमान पेश करता हूं।

2. केन्द्रीय सरकार के बजट का उद्देश्य केवल राजस्व और व्यय की राशियों को संतुलित कर देना ही नहीं है। अब उसकी प्राथमिक भूमिका यह है कि वह हमारे मूल सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक बड़ा साधन हो। यह सरकार अधिक सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भता के साथ तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। मैं आपने भाषण में आगे जो बजट प्रस्ताव पेश करूंगा उनका लक्ष्य इन मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति के व्यापक संदर्भ में, इन बजट प्रस्तावों को भली भांति समझने के लिए, पृष्ठभूमि के रूप में, 1972-73 की आर्थिक स्थिति और 1973-74 की आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ दिन पहले संसद में प्रस्तुत की गई

'आर्थिक समीक्षा' में इस विषय पर काफी विस्तार से विचार किया गया है। अतः मैं वर्तमान आर्थिक स्थिति की मुख्य बातों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा।

आर्थिक स्थिति

3. शरणार्थियों के अपने घर वापस चले जाने और एक स्वाधीन प्रभुतासम्पन्न मित्र देश के रूप में बंगला देश का उद्भव हो जाने के बाद, हमने आशा की थी कि 1972-73 का वर्ष एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें हम अपनी सारी शक्ति और साधनों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण और विकास के अपूर्ण कार्य में लगा देंगे। हमने शुरू से ही यह समझ लिया था कि 1972-73 का वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक आसान वर्ष नहीं होगा। पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने बताया था कि 1971-72 में देश की अर्थव्यवस्था ने जो लोच और मजबूती दिखाई उससे हम में विश्वास की भावना पैदा हुई फिर भी संतुष्ट होकर बैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस समय मैंने यह चेतावनी दी थी कि 1971-72 की घटनाएं 1972-73 में भी अपने परिणाम दिखाती रहेंगी। किन्तु चालू वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था को जिन तनावों और दबावों के बीच से गुजरना पड़ा है उनका उस समय पूरी तरह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था।

4. एक बार फिर 1972 की गर्मियों में वर्षा की कमी रही जिसके कारण देश के अनेक भागों में सूखे और अभाव की कठिन स्थिति पैदा हो गई। इसके परिणामस्वरूप फसलों की भारी हानि हुई, चारे की कमी रही और पीने का पानी दुर्लभ हो गया जिससे देश के अनेक भागों में गंभीर कठिनाइयाँ और तकलीफें पैदा हो गईं। इन अभूतपूर्व प्रतिकूल स्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए मानव कष्टों के लिए सरकार बहुत चिन्तित रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, सूखे और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराने के लिए भारी प्रयत्न किये गये हैं और हम इन प्रत्यनों को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी जरूरत रहेगी। दुर्भाग्य की बात है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कि खरीफ के मौसम में अनाज के उत्पादन को गंभीर धक्का लगा है। सरकार द्वारा वितरण के लिए अनाज की प्राप्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सूखे ने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों जैसे तेलहन और बच्चे जूट के उत्पादन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जीवन की बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असंतुलन बढ़ गए हैं।

5. चालू वर्ष के दौरान मूल्यों में जो असाधारण वृद्धि हुई है उसका मूल कारण ये असंतुलन ही हैं। अप्रैल 1972 से जनवरी 1973 के अंत तक की अवधि में थोक मूल्यों के सूचक अंक में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि 1971-72 की इसी अवधि में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। थोक मूल्यों के सूचक अंक में जो वृद्धि हुई है उसका प्रमुख कारण खाद्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि है। मैं इस तथ्य को भली भांति जानता हूं कि चालू वर्ष के दौरान मूल्यों में वृद्धि होने से हमारे समाज के ज्यादा कमजोर और अधिक जरूरतमंद वर्गों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस सरकार की नीति का अधिक जोर इन मुसीबतों को कम करने पर ही है।

6. मूल्य वृद्धि को रोकने और सूखे के कारण पैदा हुई विपत्ति में राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं उनका में विस्तार से वर्णन करना नहीं चाहूंगा। सूखे से प्रभावित लोगों को सहारा देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दृढ़तापूर्वक जो प्रयत्न किए गए हैं वे सम्मानित सदस्यों को मालूम है। धन राशि के रूप में जो भी साधन जरूरी हैं, वे उपलब्ध किए जा रहे हैं। अनाज आदि के वितरण की सार्वजनिक प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। खरीफ के उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए रबी के चालू मौसम में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक देशव्यापी आपाती कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए राज्यों को 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई थी। वर्तमान संकेतों को देखते हुए, रबी के मौसम में अनाज की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, और मुझे विश्वास है कि इसके फलस्वरूप, मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव में कमी हो जायेगी। एहतियात के तौर पर, सरकार ने 160 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत से 1973 के पहले भाग में 20 लाख टन अनाज का आयात करने की व्यवस्था की है। फिर भी संतुष्ट होकर बैठने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मूल्यों की नई प्रवृत्तियों पर बराबर नजर रखने की जरूरत होगी। अनाज आदि की प्राप्ति और उसके वितरण की प्रणाली को और अधिक मजबूत और सुचारू बनाना होगा।

7. चालू वर्ष की घटनाओं ने इस तथ्य को पूरी तरह उभार कर सामने ला दिया है कि भारत में खेती वर्षा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती है। यह तथ्य हमें फिर याद दिलाता है कि सिचाई के क्षेत्र को तत्परता से बढ़ाना और बारानी खेती की उपयुक्त तकनीकों का शीघ्र विकास करना बहुत जरूरी है। ये प्रत्यन फसलों की पैदावार की घटाबढ़ी को कम करने के लिए बनाई गई कृषि नीति के प्रमुख तत्व हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में जो महान विपत्ति आई है उसने एक बार फिर इस बात पर बल दिया है कि प्रादेशिक संतुलन को बेहतर बनाना और विकास के स्तर में समानता लाना नितान्त आवश्यक है।

8. इस पृष्ठभूमि में, चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर में जो तीव्र वृद्धि हुई है यह उत्साहबर्द्धक हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में, गतवर्ष की 4 5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, इस वर्ष 7 प्रतिशत के आसपास वृद्धि होगी। यदि बिजली की कमी न रहती तो प्रतिफल और भी अच्छा निकलता। यों तो बहुत से उद्योगों ने औद्योगिक पुनरुत्थान में अपना योगदान दिया है परन्तु पिछले वर्ष में हुई गिरावट के बाद वस्त्र उद्योग ने जो तेजी से विकास किया है वह सबसे अधिक अनुकूल बात है। आगामी वर्ष में औद्योगिक उत्पादन के सतत विकास के लिए, पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक प्रयत्न करने की जरूरत होगी।

9. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि निर्यात की स्थिति उत्साहबर्द्धक दिखाई देती है। 1972-73 के पहले आठ महीनों में निर्यातों में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अच्छी सफलता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि चालू वर्ष के अधिकांश भाग में मुद्रा बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति रही हो। किन्तु स्मरण रहे कि हमारे निर्यातों को कुछ ऐसी परिस्थितियों से सहायता मिली जिनके बारे में हम पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि वे आगे भी बनी रहेंगी। हमारे

इन्जीनियरी सामान के निर्यातों पर हमने बड़ी आशाएं लगा रखी थीं परन्तु उनमें अब पहले जितनी तेजी नहीं रही है। विदेशी सहायता का कम उपयोग और अनाज तथा लोहा और इस्पात जैसी उद्योग उपयोगी वस्तुओं, तेल एवं उर्वरकों के आयात के लिए अधिक भुगतान आदि कुछ प्रमुख कारणों से हमारी विदेशी मुद्रा की निधियों पर अधिक दबाव बढ़ने की संभावना है। स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की तंगी अब भी हमारे विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। आत्मनिर्भरता वास्तव में तभी प्राप्त हो सकेगी जब कि हमारे निर्यात में भारी वृद्धि होगी और उसके साथ ही लोहा तथा इस्पात और उर्वरकों जैसी आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन देश में काफी पैमाने पर होने लगेगा और देश में तेल की उपलब्धि के स्रोतों को ढूंढने के लिए अधिक प्रयत्न किए जाएंगे। कृषि-उत्पादन यानी अनाज और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन भी हमारे शोधन शेष (बैलेंस ऑफ पेमेंट्स) की स्थिति का एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व होगा।

10. औद्योगिक उत्पादन और निर्यात की तीव्र वृद्धि के बावजूद, चालू वर्ष के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में बहुत थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है; इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। स्थिति का सही चित्र सामने रखने के लिए, यह याद रखना जरूरी है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले देशों में, राष्ट्रीय आय में घटा-बढ़ी होना कोई असामान्य बात नहीं है, ऐसी घटा-बढ़ी से देश की मूल आर्थिक स्वस्थता या उसके विकास की शक्ति और संभावनाओं के बारे में जो कि स्पष्ट और सुदृढ़ हैं, हमें कोई निराशावादी निष्कर्ष नहीं निकाल लेने चाहिए।

11. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, सरकार ने, सभी संगत बातों का भली भांति जायजा लेने के बाद, पांचवीं आयोजना के लिए विकास की दर का लक्ष्य 5.5 प्रतिशत प्रति-वर्ष रखा है। इसके बारे में यह आलोचना की जाती है कि पिछली प्रवृत्तियों को देखते हुए यह बहुत ऊंचा है। परन्तु मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह लक्ष्य वास्तविकता-वादी नहीं है। सोद्देश्य आयोजन आखिरकार, पिछली प्रवृत्तियों का विस्तार मात्र ही नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास ने कई सुप्रतिष्ठित आलोचकों की निराशाजनक भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है। अनेक बार यह साबित हो चुका है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था में तेज झटके सहने और उनके कारण पहले से अधिक मजबूत हो जाने की शक्ति है। 1971 की घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि सामूहिक संकल्प-शक्ति को उचित दिशा देने से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अब देश को फिर वैसी ही अनुशासन-भावना और संकल्प-शक्ति का परिचय देना है और वैसा ही कठोर परिश्रम करना है जिससे जनसाधारण का जीवन स्तर सुधरे और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने।

12. अर्थव्यवस्था के लिए तत्काल करने योग्य कार्य संक्षेप में ये हैं; पहला; मांग का उचित प्रबन्ध करके, बुनियादी वेतन-वस्तुओं (वेज गुड्स) का उत्पादन बढ़ाकर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके मूल्यवृद्धिकारी दबावों को काबू में रखना है। दूसरा, विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्यों से बचत और पूंजी निवेश की दर को बढ़ाने के लिए सबल प्रयत्न

करने होंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम बाहरी मोर्चे पर अधिक सक्षमता प्राप्त करना है जो कि निर्यात बढ़ाकर और आयात कम करके प्राप्त की जा सकती है। चौथा, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करनी है ताकि बेरोजगारी की समस्या को समुचित सीमा तक सुलझाया जा सके। आय और उपभोग के मामले में व्याप्त असमानताओं को कम करने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न करना जरूरी है। अन्त में अधिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने के लिए, सभी नागरिकों को न्यूनतम बुनियादी सुखसुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से बनाये गए कार्यक्रमों के विषय एवं व्याप्ति-क्षेत्र का विस्तार करना है। ये ही मुख्य कार्य हैं जिनको मैंने 1973-74 के बजट-प्रस्ताव तैयार करते समय अपने ध्यान में रखा है।

संशोधित अनुमान : 1972-73

13. वर्षा की कमी के कारण कृषि के क्षेत्र में जो धक्का लगा उसका अनिवार्य प्रभाव चालू वर्ष के दौरान सरकार की बजट संबन्धी स्थिति पर पड़ा। कृषि उत्पादन के आपाती कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छोटी सिंचाई के विकास के उद्देश्य से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी। इसके अलावा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के लिए दिए जाने वाले अल्पावधिक ऋणों के लिए जो 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना पड़ा। देवी विपत्तियो से प्रभावित सभी इलाकों में भारी पैमाने पर राहत कार्य शुरू करने पड़े। देवी विपत्तियों में राहत हेतु राज्यों को दी जाने वाली सहायता के लिए की गई व्यवस्था की राशि को 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 220 करोड़ रुपये करना पड़ा। मेरे विचार से सूखे और देवी विपत्तियों में राहत देने के लिए अधिक प्रभावोत्पादक योजनाएं बनाना उपयोगी होगा क्योंकि ये विपत्तियां इस समय दुर्भाग्यवश भारतीय आर्थिक स्थिति का एक अंग बनी हुई हैं।

14. बजट में राज्यों की आयोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। कुछ सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं के कार्य को तेज करने के लिए और आयोजना के साधनों में रही कमी को पूरा करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि इस सहायता की राशि में 55 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी जाए। इसके अलावा कुछ राज्यों को उनके आयोजना-भिन्न खातों के अनिवार्य घाटे को पूरा करने के लिए और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋणों के रूप में विशेष सहायता दी जाती रही। चालू वर्ष में, इस खाते में केन्द्रीय बजट पर 153 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने की सम्भावना है। इस विशेष सहायता की राशि को बढ़ाना जरूरी था, नहीं तो ऐसे राज्यों को उनकी आयोजना कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध साधन कम पड़ जाते।

15. मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में कहा था कि राज्यों के द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट साफ करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, एक योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्टों का इस्तेमाल न किया जाए। यह योजना पहली मई 1972 से चालू की गई थी और वह इस वर्ष सफलता के साथ चलती रही। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि ओवरड्राफ्टों के मामले में राज्य

सरकारों से सहयोग नहीं मिलता तो हम राज्यों के ओवरड्राफ्ट की समस्या को नहीं सुलझा सकते थे। किन्तु हमें इस सफलता के लिए भी कीमत चुकानी पड़ी है। अप्रैल 1972 के अंत में राज्यों के ओवरड्राफ्ट की राशि कुल मिलाकर 642 करोड़ रुपये थी जिसे अर्थोपाय अग्रिम देकर और राज्यों को देय राशियों की समय से पहले अदायगी करके साफ किया गया। इन अर्थोपाय अग्रिमों का एक छोटा भाग इस वर्ष वसूल किया गया और शेष 421 करोड़ रुपये की राशि को अगले कुछ वर्षों में फैलाकर वसूल किया जाएगा। इस व्यवस्था का मतलब वस्तुतः यह होगा कि राज्य सरकारों के पिछले घाटों को केन्द्रीय सरकार के बही-खातों में रखा जाए और राज्य सरकारों के बही-खातों में तदनुसार समायोजन किया जाए। इस व्यवस्था के कारण केन्द्रीय बजट के घाटे में इन 421 करोड़ रुपयों की काल्पनिक वृद्धि होगी।

16. अब अनुमान है कि चालू वर्ष के लिए रक्षा व्यय 1600 करोड़ रुपये होगा जो कि 1408 करोड़ रुपये की मूल बजट व्यवस्था की तुलना में 192 करोड़ रुपये अधिक हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में अनुमानित राशि से अधिक व्यब होने के अन्य कारण ये हैं: लगभग 17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सम्बन्धी राजसहायता (सब्सिडी), ग्राम बीमा, कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला-खानों और भारतीय तांबा निगम (इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन) को हाथ में लेने के लिए 56 करोड़ रुपये तक की अदायगियां, और पाकिस्तान के साथ दिसम्बर 1971 में हुए युद्ध के कारण पश्चिमी मोर्चे पर प्रभावित लगभग 8 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए 18 करोड़ रुपये की सहायता।

17. तथापि, सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने सूखाराहत और आपाती उत्पादन कार्यक्रमों पर होने वाले अप्रत्याशित और भारी खर्चों के कारण, आयोजन व्यय में कोई कमी नहीं आने दी है। 1972-73 के बजट में आयोजना परिव्यय में बहुत वृद्धि करने की व्यवस्था गई थी। केन्द्रीय आयोजना और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं तथा राज्य सरकारों की आयोजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के लिए कुल मिलाकर, 2624 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जो 1971-72 की आयोजना व्यवस्था से लगभग 500 करोड़ रुपये अधिक थी मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि इस बर्ष आयोजना व्यय में कोई खास कमी नहीं होगी। दूसरी ओर इस वर्ष रेलों के आयोजना व्यय में बजट अनुमानों की अपेक्षा 34 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

18. जनता के कमजोर वर्गों को अनुपूरक पोशाहार देने के लिए 1970-71 में शुरू की गई विशेष पोषाहार योजनाओं में गति आ गई है और इस समय, शहरी गंदी बस्तियों और जनजातीय क्षेत्रों तथा देहाती इलाकों के शालापूर्व स्तर के 32 लाख बच्चे, गर्भवती स्त्रियां और प्रसूता माताएं इनसे लाभ उठा रही हैं।

19. गावों में कामगारों को घर बनाने के लिए जमीन देने की योजना में भी तेजी आ रही है। 2 लाख से भी अधिक घरों के वास्ते जमीन देने के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की जा चुकी है। कलकत्ता सुधार योजनाओं के लिए भी राज्यों को सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।

20. अब अनुमान है कि आय और निगम करों के अंतर्गत बजट अनुमानों से 83 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। सीमा शुल्क का राजस्व बजट अनुमानों से 90 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है। किन्तु केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में बजट अनुमानों की तुलना में 37 करोड़ रुपये की कमी हो सकती है क्योंकि मौजूदा सूखे की स्थिति और बिजली की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

21. राज्यों को दिए गए भारी वचनों को पूरा करने के लिए और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की निवेश-योग्य वची राशियों को समेटने के लिए हमने चालू वर्ष के दौरान तीन बार और बाजार-ऋण लिये। इसके फलस्वरूप इस मद में 263 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे—मूल बजट प्रस्तावों में की गई 215 करड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में 478 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अब आशा की जाती है कि विभिन्न अल्पबचत योजनाओं के अंतर्गत, बजट में अनुमानित 230 करोड़ रुपये के मुकाबले, 300 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाएंगे।

22. इन सब परिवर्तनों को हिसाब में लेने के बाद, बजट का समग्र घाटा अब भी 550 करोड़ रुपये बैठेगा। इस राशि में 421 करोड़ रुपये के उन ऋणों की राशि शामिल नहीं है जो राज्यों को गत वर्ष के अंत तक उनके ओयरड्राफ्टों को साफ करने के लिए दी गई थी। बड़े पैमाने पर अतिरिक्त साधन जुटाने के बावजूद, इतना घाटा रहना अनिवार्य था क्योंकि सूखे के कारण अत्यन्त कठिन स्थिति पैदा हो गई थी और उसके परिणामस्वरूप अनाज के उत्पादन में कमी हो गई थी, जिससे सूखे में राहत देने वाले कार्यों पर कृषि उत्पादन के आपाती कार्यक्रमों पर अप्रत्याशित रूप से भारी खर्च करना पड़ा।

बजट अनुमान : 1973-74

23. अब मैं बीती गाथा को छोड़कर भविष्य की ओर आता हूं। 1972-73 को पीछे छोड़ कर, जैसे ही हम 1973-74 की ओर बढ़ते हैं तो हमारा प्रमुख उद्देश्य चौथी आयोजना के बचे हुए वचनों को पूरा करना और 1974-75 में शुरू होने वाली पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के लिए एक पक्के आधार की व्यवस्था करना हो जाता है।

24. अर्थव्यवस्था में मौजूद तीव्र स्फीतिकारी दबावों की पृष्ठभूमि में, विकास की आवश्यकताओं की, स्थायित्व की आवश्यकताओं के साथ, संगति बैठाना सरल नहीं है। किन्तु, मेरा सामान्य दृष्टिकोण यही रहा है कि हमने जिस स्थायित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है वह विकासशील अर्थव्यवस्था का स्थायित्व होना चाहिए। मेरा विचार है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाले व्यय को कम कर के स्थायित्व ढूंढने वाला हल बहुत आगे चलकर स्वयं स्थायित्व को भी निष्फल कर देता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां काफी अधिक बेरोजगारी हो, इस प्रकार के दृष्टिकोण से पूर्ण रोजगार-प्राप्त व्यक्तियों और बेरोजगार व्यक्तियों के बीच आय का असमान वितरण और भी बढ़ जाएगा। इन्हीं कारणों से, पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर दबावपूर्ण स्थिति रहते हुए भी, विकास के व्यय की व्यवस्थाओं में वृद्धि की जाती रही है।

25. 1973-74 में केन्द्रीय आयोजना के लिए 1924 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जो 1972-73 की बजट व्यवस्था से 137 करोड़ रुपये अधिक होगी। इसके अलावा, राज्यो की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता देने के लिए 810 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, यह राशि 1972-73 की व्यवस्था से 35 करोड़ रुपये अधिक है। संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए 110 करोड़ रुपये की आयोजना व्यवस्था कर देने से संघीय राज्य क्षेत्रों की चौथी आयोजना के लिए मूलतः अनुमानित आवश्यकता पूरी हो जाएगी। केन्द्रीय और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं तथा राज्यों की आयोजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के लिए, कुल मिला कर, अगले वर्ष के बजट में, 1972-73 में की गई 2624 करोड़ रुपये की व्यवस्था के मुकाबले, 2844 करोड़ रुपये की आयोजना व्यवस्था की जा रही है।

26. जैसा कि सम्मानित सदस्यो को मालूम है, तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ-साथ जरूरतमंदो और गरीबो के लिए भलाई और अधिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने के आदर्श को प्राप्त करने के उद्देश्य से, आयोजना के दष्टिकोण को नई दिशा प्रदान करने के लिए, पिछले तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण नए-नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, बच्चों के पोषाहार कार्यक्रम, गावों में जलपूर्ति की योजनाओं, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ और ग्रामीण रोजगार की योजनाओ जैसे पहले से चल रहे उपायो की शृंखला में ही कई और नए कल्याण कार्यों के लिए, 1972-73 के बजट में 125 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। 1972-73 के दौरान चालू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं थीं: शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम-60 करोड़ रुपये; प्राथमिक शिक्षा का विस्तार-30 करोड़ रुपये; गंदी बस्तियों का सुधार और गांवों में घर बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था-20 करोड़ रुपये; और गांवों में जलपूर्ति-15 करोड़ रुपये। ये योजनाएं हमारी विकास नीति का अविभाज्य अंग तो हैं ही, साथ ही ये सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी सहायक हो रही हैं। अब उनकी प्रगति में तेजी आ गई है और उनसे हितकारी फल मिल रहे हैं। इसलिए हमने केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत इन योजनाओं को चालू रखने के लिए 1973-74 के बजट में भी 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का निश्चय किया है।

27. आगे भी चलने वाली ऐसी बहुत-सी योजनाएं हैं जो आयोजना का मूलाधार हैं और हमारे उद्योग और वाणिज्य के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करती हैं। हमें इन योजनाओं के लिए साधन ढूंढने हैं। बिजली के लिए आयोजना-व्यवस्था को इस वर्ष के 88 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 115 करोड़ रुपये किया जा रहा है। उर्वरकों और रसायनों के क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए अगले वर्ष की आयोजना में, 1972-73 के 95 करोड़ रुपये के मुकाबले, 134 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। सम्मानित सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि बिजली और उर्वरकों जैसी अत्यन्त उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ जाने से कृषि और उद्योग के विकास पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

28. ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों की योजना के बारे में यहां कुछ कहना समुचित होगा। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 25 मार्च को मैंने इस सभा में एक नीति विषयक वक्तव्य

दिया था जिसमें मैंने यह बताया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अल्प आय वर्गों की कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को उनके उत्पादक उद्यमों में सहायता देने के लिए ब्याज की रियायती दर पर ऋण देने की एक योजना चलाने वाले हैं। रिजर्व बैंक ने जून 1972 में इस योजना के विषय में मार्ग दर्शक निदेश जारी कर दिये थे, और उनके बाद बैंकों ने एक प्रायोगिक योजना शुरू कर दी थी। बाद में, जब प्रगति की समीक्षा की गई तो यह महसूस किया गया कि योजना में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। सभी पहलुओं पर विचार करने के वाद मैं इस योजना में निम्नलिखित परिवर्तन घोषित करने का निश्चय किया है।

29. प्रायोगिक योजना औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 163 जिलों तक ही सीमित थी; इनमें वे जिले शामिल नहीं किए गए थे जो छोटे किसानों के विकास अभिकरणों और सीमान्तिक किसानों और कृषि श्रमिकों की योजनाओं में शामिल थे। अब यह योजना छोटे किसानों के विकास अभिकरणों/सीमान्तिक किसानों और कृषि श्रमिकों की योजनाओं वाले जिलों पर भी लागू होगी और कुल मिलाकर 265 जिलों अर्थात् देश के तीन-चौथाई जिलों में चलने लगेगी। अपंग लोगों की संस्थाएं, और अनाथाश्रम तथा नारी निकेतन, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, आगे से, रियायती दरों पर ऋण ले सकेंगे, बशर्ते कि उनके द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई धन राशियों का उपयोग पूर्णतः उत्पादक योजनाओं के लिए, न कि उनके सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए, किया जाए। प्रायोगिक योजना में, ऋण सम्बन्धी पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा, शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में 2000 रुपये प्रतिवर्ष तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 रुपये प्रतिवर्ष तक रखी गई थी। अब मैं इस सीमा को शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों के मामले में 3000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 2000 रुपये तक बढ़ा रहा हूं। मैंने योजना के अन्तर्गत ऋणों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमाओं को भी बदलने का निश्चय किया है। कार्यकर पूंजी सम्बन्धी ऋणों की अधिकतम सीमा, जो पहले 500 रुपये तक थी अब 1500 रुपये तक बढ़ाई जा रही है और सावधिक ऋणों की सीमा को 2500 रुपये से बढ़ा कर 5000 रुपये किया जा रहा है। इस प्रकार उदार बना देने से, आशा है, यह योजना और अच्छा काम कर सकेगी।

30. रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहले से चल रही योजनाओं द्वारा की गई प्रगति और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयत्नों के बावजूद, अब तक जो कुछ किया गया है वह समस्या की विशालता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में नए-नए कार्यक्रम चलाने और अधिक सम्मिलित प्रयत्न करने की जरूरत है। सरकार शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए खासतौर से चिन्तित है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक और कदम के रूप में कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित 5 लाख और व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इन कार्यक्रमों से स्थायी परिसम्पत्तियां बनाने, बहुमूल्य आंकड़ों का संग्रह और संकलन करने, और पांचवी आयोजना में चालू किए जाने वाले नए कार्यक्रमों और नई परियोजनाओं कार्यान्वियन में सहायता के लिए पर्याप्ता संख्या में लोगों को प्रशिक्षण देने में सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन के लिए 1973-74 के बजट में 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। साधनों की तंगी नहीं होती मुझे इस प्रयोजन के लिए और बड़ी रकम निर्धारित करने में अधिक खुशी होती।

31. एक और महत्वपूर्ण कदम यह उठाया जा रहा है कि पांचवी आयोजना के लिए 'अग्रिम कार्यवाही' के हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इससे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाएगी कि जब आयोजना शुरू की जाएगी तो हम आयोजना की अवधि में ही आयोजना के कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। अगली आयोजना में, कृषि और प्रमुख तथा बुनियादी उद्योगों एवं ग्राम उपभोग के लिए वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी लगाने की कल्पना की गई है। यदि आत्मनिर्भरता की नीति की परिधी में रहते हुए ऊंची दर से विकास करना है तो यह अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं और वे यथासम्भव कम समय में अपनी पूरी क्षमता साथ उत्पादन करना शुरू कर दें। पांचवीं आयोजना के सम्बन्ध में 1973-74 के बजट में प्रस्तावित अग्रिम कारंवाही का उद्देश्य इसी प्रतिफल को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना है।

32. बजट में की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक साधनो से और वित्तीय संस्थाओं के अंशदारों के रूप में भी साधन उपलब्ध होंगे। अनुमान है कि इन साधनों से अगले वर्ष केन्द्रीय आयोजना के लिए 518 करोड़ रुपये और प्राप्त होंगे, और इस प्रकार कुल मिलाकर केन्द्रीय आयोजना के लिए 2442 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध हो जाएंगे।

33. राज्यों की आयोजनाओं ने संतोषजनक प्रगति की है और इस प्रयोजन के लिए जब कभी आवश्यक हुआ है केन्द्रीय सरकार, राज्यों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त उनको और भी सहायता देती रही है। 1973-74 के बजट में 119 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर देने से, चौथी आयोजना के दौरान राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता पर कुल व्यय 800 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी जो कि मूल आयोजना में अनुमानित राशि थी। राज्यों, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय में परस्पर विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ है कि राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं का कुल परिव्यय, चालू वर्ष के 1704 करोड़ रुपये के मुकाबले, 1914 करोड़ रुपये होगा।

34. केन्द्रीय आयोजना और उसके आन्तरिक साधनों तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं को एक साथ हिसाब में लेने के बाद, 1973-74 में कुल आयोजना परिव्यय, चालू वर्ष के 4011 करोड़ रुपये के मुकाबले, 4356 करोड़ रुपये होगा।

35. आयोजना-भिन्न खाते में, व्यय की निम्नतम स्तर तक सीमित रखने के लिए उचित सावधानी बरती गई है। रक्षा व्यय को 1600 करोड़ रुपये यानी चालू वर्ष के स्तर पर ही रखा गया है। राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के लिए 119 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है और आशा है, इससे वे अपने आयोजना लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 79 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनकी आयोजनाओं के बाहर कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के उद्देश्य से दी जाएगी। एहतियात के तौर पर मैं दैवी विपत्तियों में राहत कार्यों के खर्च को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता के लिए 100

करोड़ रुपये की और व्यवस्था कर रहा हूं। मुझे खुशी होगी यदि इस राशि की जरूरत ही न पड़े।

36. तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी आनी है। सम्मानित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार को भी यह उत्कण्ठा है कि जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाए तो उसपर तत्परता से विचार और अमल किया जाए। रिपोर्ट न मिलने से, उसकी सिफारिशो के फलस्वरूप होने वाले व्यय के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उसकी सिफारिशों पर जो भी निर्णय लिये जाएं उनके बाद, अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित सीमा तक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

37. साधनों के खाते में, आयकर और निगम कर से उनके चालू कराधान के स्तर पर, 80 करोड़ रुपये और संघीय उत्पादन शुल्कों से 196 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होने की आशा है। अल्प बचत संग्रह में प्रगति होती रही है और आशा है कि उनसे इस वर्ष के 300 करोड़ रुपये के मुकाबले, अगले वर्ष 325 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। राज्यों को इस वर्ष ऋण के रूप में दी गई भारी सहायता को देखते हुए, अगले वर्ष राज्यों द्वारा ऋणों की वापसी-अदायगी की राशि भी अधिक होगी।

38. मुझे यह दोहराते हुए प्रसन्नता होती है कि पहली अप्रैल 1973 से शरणार्थी सहायता शुल्क हटा दिया दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधान इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अलग से पेश कर दिया जाएगा।

39. राजस्व में बढ़ोतरी, आयोजना के परिव्यय में वृद्धि और अन्य वचन-बद्धताओं को हिसाब में लेने के बाद, 1973-74 के बजट में, कराधान के वर्तमान स्तरों के अनुसार, 335 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। इस राशि में, वेतन आयोग की प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के फलस्वरूप होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया गया है।

40. मुझे पक्का विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात के लिए मुझ से सहमत होंगे कि अर्थव्यवस्था के सामने इस समय जो मुद्रास्फीतिकारी स्थिति है उसे देखते हुए, घाटे की मात्रा कम रखी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मैं कराधान बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखूं जिनसे यह घाटा कम हो जाएगा। अब मैं उन प्रस्तावों पर आता हूं।

41. कर-प्रस्तावों का विस्तारपूर्वक वर्णन करने से पहले, मैं सम्मानित सदस्यों को उन सामान्य बातों की जानकारी देना चाहूंगा जिन पर ये प्रस्ताव आधारित हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, देश में विद्यमान स्फीतिकारी परिस्थितियों में, बजट में भारी घाटा रखना बुद्धिमत्ता-पूर्ण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, पांचवीं आयोजना की साधनों सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में कुछ अनिवार्य वचनबद्धताएं भी हैं। यदि पांचवीं आयोजना के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त साधन जुटाये जाने हैं तो उसके लिए इसी वर्ष कार्यवाही शुरू करनी जरूरी है। इसलिए मेरे सामने, कर-भार में कुछ वृद्धियों के प्रस्ताव करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

42. हमारे विकास के लिए साधन जुटाने में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों, दोनों को अपना योगदान देना है। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को विदित है, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में कई सुझाव दिए हैं। मैंने इन सुझावों की ध्यानपूर्वक जांच की है और मैं इनमें से सरकार को स्वीकार्य सिफारिशों को अमली रूप देने के लिए, एक अलग विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ ऐसी सिफारिशें जो साधन जुटाने के सम्बन्ध में हैं इस बजट के प्रस्तावों के जरिये कार्यान्वित की जा रही हैं। इन प्रस्तावों को तैयार करते समय मैंने डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में बनी कृषिक सम्पत्ति और आय पर कराधान विषयक समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा है।

43. वर्तमान परिस्थितियों में, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों का भी उपयोग किया जाए। किन्तु मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसा करते समय आम उपभोग की वस्तुओं को अछूता छोड़ दिया जाए। जब मैं अपने प्रस्तावों का विवरण दूंगा तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

प्रत्यक्ष कराधान

44. जैसाकि सम्मानित सदस्यों को विदित ही है, कृषिक सम्पत्ति और आय पर कराधान विषयक समिति ने कृषि के क्षेत्र से साधन जुटाने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है। उसकी एक मुख्य सिफारिश यह है कि कृषि-भिन्न आय पर लागू होने वाली कर की दर का निर्धारण करते समय कृषिक आय को हिसाब में लिया जाना चाहिए। इससे, समान आय वाले व्यक्तियों के कर-भार के बीच पायी जाने वाली भारी असमानताओं को कम करने में सहायता मिलेगी। समिति की इस सिफारिश को सुविचारित मानते हुए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए मैं बजट में यह व्यवस्था कर रहा हूं कि जिन मामलों में कर दाता की कृषि-भिन्न आय छूट की सीमा से अधिक हो उनमें आय के कृषि-भिन्न भाग पर लागू होने वाली आय-कर की दरों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कर दाता की आय के कृषिक भाग और कृषि-भिन्न भाग को जोड़ लिया जाए। किसी करदाता की आय के कृषि-भिन्न भाग पर लागू होने वाली आय-कर की दर का निर्धारण करने के प्रयोजन से, उसकी कृषि-भिन्न आय के पहले 5,000 रुपयों को सबसे खण्ड (स्लैब) में शामिल किया जाएगा जिस पर कर नहीं लगता। कृषिक आय बीच के खण्डों में रखी जाएगी और कृषि-भिन्न आय की शेष रकम को समूची आय के सबसे ऊपर के खण्डों में शामिल किया जाएगा। आंशिक एकीकरण की यह योजना व्यक्तियों (इंडिविज्युअल्स), हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, अ-पंजीयित फर्मों, व्यक्तियों के संगम, व्यक्तियों के निकायों, और अप्रकृत विधिक व्यक्तियों (आर्टिफिशल ज्यूरिडिकल पर्सन्स) पर लागू होगी।

45. यह बात सामान्यतः स्वीकार की जाती है कि हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के कराधान की वर्तमान प्रणाली से कर-अपवर्जन (टैक्स एवायडेन्स) को प्रोत्साहन मिला है। मेरी राय है कि इस समय हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों को जो अनभिप्रेत कर-लाभ उपलब्ध हैं उन्हें यथासम्भव सीमा तक निष्प्रभावी बना दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आयकर और धन-कर दोन के सम्बन्धों में अपेक्षाकृत ऊंची दरों वाली अलग अनुसूचियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं जो उन हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर लागू होंगी जिनके एक या एक से अधिक सदस्यों की स्वतन्त्र आय या धन छूट की सीमा से अधिक हो। यह प्रत्यक्ष कर जाँच समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक है। यह भी प्रस्ताव है कि सभी हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में छूट की न्यूनतम सीमा सीमा को 5,000 रुपये की उस सामान्य सीमा के बराबर कर दिया जाए जो व्यक्तियों के मामले में लागू होती है।

46. पूंजीगत अभिलाभ कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) आय-कर की अदायगी के भार से बचने अथवा उसे कम करने का एक साधन बन सकता है। इस समय, किसी करदाता द्वारा 24 महीनों से अधिक अवधि तक धारित पूँजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री अथवा अन्तरण से होने वाले पूंजी-गत अभिलाभ को कर के मामले में रियायत पाने का अधिकार है। मैं इस अवधि को बढ़ा कर 60 महीने करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप किसी करदाता द्वारा 60 महीने से अधिक की अवधि के लिए धारित पूँजीगत परिसम्पत्तियों के मामले में ही कर सम्बन्धी वे रियायतें प्राप्त हो सकेंगी जो दीर्घावधिक पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में दी जाती हैं।

47. जिन मामलों में, भूमि और इमारतों के अनिवार्य अभिग्रहण के परिणामस्वरूप औद्योगिक उपक्रमों को स्थान बदलना जरूरी हो जाए, वहां मैं ऐसे मामलों में मुआवजे की अदायगी से उत्पन्न पूंजीगत अभिलाभों को, राहत के उपाय के रूप में छूट देने का प्रस्ताव करता हूं यदि इन पूंजीगत अभिलाभों का निवेश, अभिग्रहण के बाद की तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर, उपक्रम की पुनःस्थापना या नये औद्योगिक उपक्रम को शुरू करने के लिए जमीन और इमारतों की प्राप्ति के लिए किया गया हो।

48. मैं जीवन बीमा और भविष्य निधि अंशदानों के जरिये दीर्घावधिक बचतों को भी बढ़ावा देना चाहता हूं। इस समय, कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय, अर्हता प्राप्त बचतों के पहले 1,000 रुपये के 100 प्रतिशत, अगले 4,000 रुपये के 50 प्रतिशत और बाकी रकम के 40 प्रतिशत भाग की कटौती करने की अनुमति है। मैं अर्हताप्राप्त बचतों के पहले 2,000 रुपये पर 100 प्रतिशत के बराबर की कसौटी किये जाने का प्रस्ताव करता हूं। अगले 3,000 रुपये के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत की मौजूदा दर पर और शेष राशि के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत की दर पर कटौती की जाती रहेगी।

खेल-कूद के प्रेमियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि खेल-कूद की अनुमोदित संस्थाओं को दी जाने वाली दान राशियों के सम्बन्ध में,कर पूर्त प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली दान-राशियों

की तरह ही, कर-राहत प्राप्त होगी। यदि इससे युवा को खिलाड़ियों की उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी।

49. सरकार की बुनियादी नीति यह रही है कि अपेक्षाकृत अल्प साधनों वाले छोटे और मध्यम उद्यमकर्ताओं को पब्लिक कम्पनियों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। इस उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव है कि बहुजन-धारित कम्पनियों के मामले में इस समय जिस सीमा तक आयकर की रियायती दर लागू होती है उसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया जाए। दरों की मौजूदा अनुसूची के अनुसार, निगम क्षेत्र की अल्पजन-धारित कम्पनियां अपने औद्योगिक लाभों के पहले 10 लाख रुपये पर रियायती दर से आयकर की अदायगी करती है। मेरा प्रस्ताव है कि जिस खण्ड पर रियायती दर लागू होती है उसे 10 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया जाए। आशा है कि इस से बहुजन-धारित कम्पनियों के रूप इन कम्पनियों के रूपान्तरण को प्रोत्साहन मिलेगा, और इसके परिणामस्वरूप उद्योगों के स्वामित्व के आधार का विस्तार होगा।

50. इस समय इस बारे में कुछ सन्देह है कि जिन व्यापारिक उपक्रमों अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया हो, उनके सम्बन्ध में दिये गये प्रबन्ध सम्बन्धी मुआवजे की राशि पर कर लग सकता है या नहीं। इस विषय में सन्देह दूर करने के लिए मेरा इरादा यह उपबन्ध करने का है कि प्रबन्ध सम्बन्धी मुआवजे को व्यापार से होने वाली कर-योग्य आय समझा जाए। यह उपबन्ध भूतलक्षी प्रभाव के साथ कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 से लागू होगा।

51. मौजूदा कानून के अन्तर्गत, सरकार, साँविधिक निगमों, स्थानीय निकायों और कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को निर्माण-कार्यों अथवा श्रम सम्बन्धी ठेकों के सम्बन्ध में की जाने वाली अदायगियों से आयकर स्रोत पर काटा जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सहकारी समितियों को भी उन करदाताओं की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए जिनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने द्वारा ठेकेदारों को की जाने वाली अदायगियों में से, स्रोत पर ही कर की राशि काट लें।

52. भारतीय ऋण प्रत्याभूति निगम (क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया) की स्थापना, बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अर्थ-व्यवस्था के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में गारंटी देने के प्रयोजन से की गयी है। यह एक प्रशंसनीय प्रयोजन है और मैं इस निगम की आय को पांच वर्ष की अवधि के लिए कर से मुक्त रखने का प्रस्ताव करता हूं।

53. मैंने अपने 1971-72 के बजट भाषण में, 31 मई 1974 के बाद प्राप्त किये जाने वाले जहाजों अथवा लगाये जाने वाले संयंत्रों और यंत्रों के सम्बन्ध में विकास छूट वापस लेने

के बारे में सरकार के इरादे की जानकारी दी थी। तब यह मांग की गई थी कि देश मे औद्योगिक विकास को निरन्तर गति प्रदान करने के लिए इसके स्थान पर राजस्व सम्बन्धी कुछ अन्य रियायतें दी जानी चाहिएं, इसके प्रत्युत्तर में मैंने संकेत दिया था कि मैं चुने हुए क्षेत्रों के उद्योगों और पिछड़े इलाकों में स्थित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रस्ताव पेश करूंगा। अपने इस वचन के अनुसार मैं कुछ उन उपायों का उल्लेख कर रहा हूं जो सरकार इस प्रयोजन के लिए और अनुसन्धान और विकास, तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती है। इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए, मैं इस वर्ष के दौरान आवश्यक विधान प्रस्तुत करूंगा।

54. मेरा इरादा है कि चुने हुए उद्योगों में 31 मई 1974 के बाद स्थापित मशीनों और संयंत्रों की लागत के 20 प्रतिशत के बराबर प्रारम्भिक मूल्यह्रास सम्बन्धी छूट दी जाएगी। इससे सम्बद्ध उद्यमों को उनके विकास के प्रारम्भिक वर्षों में अतिरिक्त साधन सुलभ हो जाएंगे। जिन उद्योगों को यह छूट दी जाएगी उनकी सूची पर विचार किया जा रहा है।

55. मेरा विचार है कि पिछड़े इलाकों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे इलाकों में 31 मार्च 1973 के बाद स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के साथ कराधान के सम्बन्ध में तरजीही सलूक किया जाए। विशिष्ट अभिप्राय यह है कि पिछड़े इलाकों में स्थापित किसी औद्योगिक उपक्रम के कर-योग्य लाभों का हिसाब लगाते समय, उस उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर कटौती करने की छूट दी जाए। यह रियायत उस उद्योग की स्थापना से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। राजसहायता (सब्सिडी) के लिए पात्र निवेश की उच्चतम सीमा भी 50 लाख रुपये से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये कर दी जाएगी और राज सहायता के अनुपात को निवेश के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

56 मेरा विचार है कि अनुसंधान और विकास को विशेषरूप से उद्योग के क्षेत्र में, बढ़ावा देने के लिए राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहनों के क्षेत्र का विस्तार करना बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने से देशी प्रौद्योगिकी (टैक्नोलाजी) के विकास में रुकावट आ रही है और इसके परिणामस्वरूप उद्योग के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने मार्ग में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इस समय किसी करदाता द्वारा व्यापार शुरू करने से तुरन्त पहले के तीन वर्षों के दौरान उसके व्यापारिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में किये गये पूंजीगत व्यय को, उस वर्ष के लाभों में से घटा दिया जाता है जिस वर्ष व्यापार शुरू किया गया हो। मैं इस रियायत का विस्तार करके इसमें निवेश से पहले की अवधि में अनुसन्धान-कर्मचारियों के वेतनों की अदायगी के सम्बन्ध में और अनुसन्धान के लिये उपयोग में लायी गयी वस्तुओं पर किये गये आमदनी खाते के व्यय को भी शामिल करने का प्रस्ताव करता करता हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि अनुमोदित प्रयोग-शालाओं में प्रायोजित अनुसन्धान और विकास कार्य के लिये अदा की गयी राशि की 1 1/3 गुणा रकम के बराबर भारित (वेटेड) कटौती करने की अनुमति दी जाए।

57. सम्मानित सदस्य मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि निर्यात योग्य वस्तुओं, विशेषतः अपारंपरिक उत्पादों के विकास पर भारी व्यय करना एक लाभप्रद कार्य है। इस समय निर्यात बाजार के विकास पर किए जाने वाले व्यय की, कर के प्रयोजनों के लिए वास्तविक लागत के 13?.3 प्रतिशत तक, कटौती की जा सकती है। इस बात को देखते हुए कि हमारे निर्यात को बढ़ाने का महत्व बहुत अधिक है, मैं बहुजन-धारित कम्पनियों के मामले में भारित कटौती की राशि को बढ़ा कर 150 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव करता हूं।

58. मैं इस आवश्यकता के प्रति बहुत सजग हूं कि उद्योगों में रोजगार की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उनका विकास पूंजी-प्रधान तकनीकों पर आधारित न होकर, श्रम-प्रधान उद्योगों के रूप में हो। हम ऐसी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं जिनसे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

59. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मैंने जो विभिन्न उपाय बताये हैं उनसे पूरे एक वर्ष में 31 करोड़ रुपये और 1973-74 के वर्ष में 18.6 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से लगभग 14 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के हिस्से में आएगा।

अप्रत्यक्ष कर

60. महोदय, इसके बाद मैं अब अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं। हालांकि क्रम के अनुसार पहला स्थान सीमा-शुल्कों का है लेकिन मैं सीमा-शुल्कों के स्थान पर पहले केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों को लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे राजस्व में अधिक योगदान उन्हीं का है।

उत्पादन शुल्क

61. ऐसा करते हुए सबसे पहले मैं उस प्रयत्न का उल्लेख करना चाहूंगा जो मैं अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के जरिये राज्यों की ओर से साधन जुटाने के लिए करना चाहता हूं। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि हमने राज्यों को, चीनी, तम्बाकू और कपड़े, इन तीनों वस्तुओं पर लगने वाले बिक्री कर के बदले इन उत्पादन शुल्कों के संग्रह का वचन दे रखा है, जिसके अनुसार इन शुल्कों का इतना संग्रह किया जाना है जिससे कि इनका कुल आपात 1973-74 के अन्त तक इन वस्तुओं की निकासी के मूल्य का 10.8 प्रतिशत हो जाए। इस वचन को पूरा करने का यह तीसरा और अन्तिम वर्ष है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे इस बजट में लगभग 25 करोड़ रुपये जुटाने होंगे। इस वचन-बद्धता को निभाने में मुझे काफी अधिक कठिनाई का सामना करना है क्योंकि इनमें से एक वस्तु अर्थात चीनी इस समय कुछ हद तक एक संवेदनशील वस्तु बन गयी है और एक अन्य वस्तु अर्थात कपड़े के मामले में कोई अधिक गुंजाइश नहीं है। अतः इस कठिन स्थिति में मेरे लिए "पुराने वफादार" सिगरेटों का आसरा लेने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। जब से तम्बाकू की खोज हुई है लगभग तभी से यह एक काफी बदनाम वस्तु माना जाता रहा है। हालांकि मैं निश्चय ही तम्बाकू के असंख्य भक्तों के प्रति कोई निन्दात्मक रवैया नहीं अपनाऊंगा लेकिन यदि इसके सेवन से आनन्द प्राप्त करने वाले लोग राष्ट्रीय खजाने में इस के लिए अधिक मात्रा में अंशदान करेंगे तो मैं इसी से सन्तुष्ट हो जाऊंगा।

62. अनुभव से पता चला है कि मौजूदा खण्ड प्रणाली (स्लैब सिस्टम) के परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार सिगरेटों से, उनके मूल्य की सीमा अथवा खंड के आधार पर, मूल्यानुसार शुल्क निश्चित प्रतिशत की दर पर प्राप्त होते हैं, ऐसे फलहीन क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें किसी भी ब्रांड के सिगरेट तरक्की नहीं कर सकते। इस योजना का स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें कुछ ब्रांडों के मूल्यों को कृत्रिम रूप से कम रखने का प्रलोभन अन्तर्निहित है जो मेरे विचार से, न केवल उनकी किस्म को प्रभावित करता है बल्कि जिससे अन्ततः उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं यह सरल सिद्धान्त अपना कर कि जो सिगरेट जितना अधिक बढ़िया हो, वह उतनी ही अधिक अदायगी करे, एक अधिक प्रतिशील प्रणाली का आसरा लेना चाहता हूं। यह शुल्क, 10 रुपये प्रति हजार के मूल्य पर, 100 प्रतिशत के मूल्यानुसार (बुनियादी और अतिरिक्त दोनों शुल्कों के लिए) सम्मिलित आधार के साथ शुरू होगा और इसमें, मूल्य के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये अथवा उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से लगातार वृद्धि होती जाएगी जब तक कि वह 200 प्रतिशत की मौजूदा सम्मिलित सांविधिक उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंच जाता, और यदि सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को इससे कोई तसल्ली मिल सकती हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा इस सीमा को बढ़ाने का इरादा नहीं है। मुझे आशा है कि बुनियाद और अतिरिक्त शुल्कों के ढांचों के अन्दर समुचित समायोजन करने से एक पूरे वर्ष में 32 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिसमें से 24 करोड़ रुपये का बड़ा भाग अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रूप में राज्यों के पास चला जाएगा।

63. जब मैं सिगरेट पीने वालों पर बोझा डाल रहा हूं तो फिर, पाइप पीने वालों को या अपना सिगरेट स्वयं बना कर पीने वालों को कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए मैं पाइप और सिगरेटों के लिए निर्मित तम्बाकू मिश्रणों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिससे 80 लाख रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें 22 लाख रुपया राज्यों को प्राप्त होगा।

64. मुझे कुछ कपड़ा निर्माताओं की प्रवृत्ति पर चिन्ता है जो सूती और नकली रेशम के कपड़े पर लगने वाले विधि सम्मत शुल्कों की अदायगी से बचने के लिए अच्छे कपड़े को "फेंटों" में और उन टुकड़ों में काट देते हैं जिन्हें दूसरे शब्दों में 'रैग' कहा जाता है। मैंने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये पहले कदम के रूप में, फेंट और रैग की लम्बाई के मापदण्ड को घटा कर उनकी परिभाषा में परिवर्तन कर दिया है। दूसरे कदम के रूप में, मैं फेंटों पर लगने वाले शुल्क में उपयुक्त रूप से वृद्धि करने और रैग पर पहली बार, शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यदि इन उपायों से वांछनीय परिणाम नहीं निकलेंगे तो इनसे अधिक कठोर कदम उठाने के लिए विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

65. ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ सम्मिश्रित कपड़ों पर जिन्हें बनाने में एक भाग रूई का हो, शुल्क का भार उसी प्रकार के अन्य कपड़ों पर लगने वाले शुल्क के भार से कम होता है जिनमें रूई के स्थान पर विस्कोस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस असमानता को दूर करने का प्रस्ताव करता हूं।

66. चूंकि शक्ति (पावर) या भाप की सहायता के बिना संसाधित किये जाने वाले नकली रेशम के कपड़े को पूर्ण छूट प्राप्त है इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें नकली रेशम

के कुछ एककों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वे अपने कपड़े का अधिक से अधिक संसाधन (प्रोसेसिंग) शक्ति से न चलने वाली मशीनों से करें। इस स्थिति को आगे जारी नहीं रखा जा सकता। अब इन कपड़ों को भी शुल्क-योग्य बनाने के लिए मैंने, समता के हित में, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है कि इन पर लगने वाले शुल्क का भार उस भार से 40 प्रतिशत कम हो जो इन पर शक्ति का इस्तेमाल किये जाने की स्थिति में पड़ता।

67. कपड़े से सम्बन्धित उपर्युक्त उपायों से 3.65 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 1 करोड़ रुपया अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रूप में राज्यों को मिलेगा।

68. अब तक जिन प्रस्तावों का व्यौरा दिया गया है उनसे राज्यों को एक पूरे वर्ष में 25 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होगा।

69. इस प्रकार राज्यों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के संबंध में दिये गये वचनों के पूरा हो जाने पर, मुझे अतिरिक्त साधनों के लिए लगातार की जाने वाली अपनी खोज में अब उस वस्तु की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे पहले भी वित्त मंत्री को सहायता मिलती रही है। मेरा आशय मोटर-स्पिरिट से है। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1971 में, मोटर-स्पिरिट के उपभोग को कम करने के उद्देश्य से मैंने इसके उत्पादन शुल्क में काफी अधिक वृद्धि की थी। तब से पेट्रोल के उपयोग में जो बहुत अधिक वृद्धि हो गई है वह मानो मुझे अंकुश लगाने के इस साधन का उपयोग करने का पर्याप्त औचित्य प्रदान करने के लिए है। इसलिए मैं मोटर स्पिरिट पर लगने वाले शुल्क में 80 रुपये प्रति किलो लीटर की वृद्धि करके उसके उपभोग पर रोक लगाने और कुछ राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूं; इस उपाय से प्रतिवर्ष 19.20 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

70. मैं इस अवसर पर कुछ उन पेट्रोलियम पदार्थों, विशेष रूप से कच्चे नेप्था, के सम्बन्ध में, जिनका वर्गीकरण मोटर-स्पिरिट के रूप में किया जा सकता है, और जिनकी खपत में किफायत की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा करते समय, उर्वरकों के निर्माण में, और इस्पात के निर्माण में ईंधन के रूप में नेप्था के उपयोग के सम्बन्ध में मौजूदा रियायतों को नहीं छुआ जाएगा। इन मामूली परिवर्तनों से 1 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

71. जब चिकनाने वाले यौगिक (कम्पाउंडेड) और सम्मिश्रित (ब्लेंडेड) तेलों और ग्रीजों पर पहली बार शुल्क लगाया गया था तो मैंने शक्ति (पावर) की सहायता के बिना तैयार किये जाने वाले ऐसे उत्पादों को शुल्क से मुक्त करके, छोटे निर्माताओं को राहत दी थी। लेकिन मैं यह देखता हूं कि कुछ बड़े निर्माता भी उस क्षेत्र में घुस आये हैं जो वस्तुतः उनके लिए नहीं था; उन्होंने यह कार्य, उत्पादन के उन तरीकों को अपना कर किया है जिसमें शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता ताकि उन्हें शुल्क न देना पड़े। सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि मैं इस प्रकार के कर-अपवर्जन को चुनौती दिये बिना नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं मौजूदा कसौटी को वापस लेने का और उत्पादन की मात्रा के खण्डों के आधार पर रियायतों का निर्धारण करके, इस

रियायत को, कारगार ढंग से, केवल छोटे उत्पादकों तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि इन तेलों और ग्रीज़ों के शुल्क की प्रभावी दर को 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। इन उपायों से 2.35 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

72. निर्माताओं की चतुराई के विषय पर ही मैं ऐसा ही एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, यह नायलोन यार्न की कताई करने वालों का है जिन्होंने डिनियर समूह प्रणाली का लाभ उठाकर, जिसके आधार पर शुल्क-दरें निर्धारित की जाती हैं, अपने यार्न के डिनीयरों में इस प्रकार समायोजन करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें कम उत्पादन-शुल्कों की अदायगी करनी पड़े। उदाहरण के रूप में, पहले समूह में, जहां कटौती का बिन्दु (कट-आफ पाईन्ट) 30 डिनीयर है, अब 31 और 32 डिनीयर के यार्न का उत्पादन होने लगा है और इसलिए इस पर अपेक्षाकृत कम शुल्क देना पड़ता है। मैं मौजूदा डिनीयर समूहों में समुचित समायोजन करके स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं।

73. मेरे अगले प्रस्ताव का उद्देश्य संश्लिष्ट रेशों और यार्न के शुल्क के संग्रह को सुविधाजनक बनाना है। यह कार्य मैं इन चीजों के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल, जैसे पालीमर चिप, को शुल्क से मुक्त करके और नाइलोन, एसीटेट और पालिएस्टर के तैयार यार्न और रेशों के शुल्कों में उपयुक्त समायोजन करके करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा करते समय मैंने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है कि मछली पकड़ने के जालों और पैराशूटों की रस्सियों के उत्पादन में काम आने वाले नाइलोन यार्न पर शुल्क के मौजूदा भार में वृद्धि न हो।

74. संश्लिष्ट यार्न और रेशों से सम्बन्धित इन उपायों के फलस्वरूप 7.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

75. अधिक सम्पन्न लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली विलास-वस्तुओं पर पहले से अधिक ऊंची दर से कराधान करने की आवश्यकता को देखते हुए, मैं कुछ चुनी हुई चीजों पर शुल्क की दरें बढ़ा देना चाहता हूं। रेफ्रिज़िरेटरों और एयर-कंडीशनरों पर 60 प्रतिशत और उनके पुर्जों पर, जिनमें उनकी मशीनरी के पुर्जे भी शामिल हैं, 75 प्रतिशत शुल्क लगेगा। किन्तु रेफ्रिजि-रेटरों के शुल्कों में प्रस्तावित वृद्धि का 165 लिटर तक की क्षमता वाले रेफ्रिजिरेटरों पर जो कि मध्यम वर्ग के उपभोक्ता के इस्तेमाल में आते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। औद्योगिक उपक्रमों में और सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ली जाने वाली रेफ्रिजिरेटिंग और एयरकंडीशनिंग मशीनरी को अछूता छोड़ा जा रहा है। बिजली के घरेलू साधित्रों पर और सजा-वटी प्लाइवुड पर भी शुल्क को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। किन्तु वाणिज्यिक प्लाइवुड पर, जिसके क्षेत्रफल को देखते हुए; 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की नीची दरों से शुल्क लिया जाएगा। चाय की पेटियों का प्लाइवुड भी अप्रभावित रहेगा। इस सूची की बाकी चीजें हैं मोटर गाड़ियों के पुर्जे, इन्सटैंट कॉफी, शेविंग-क्रीम और लोंग प्लेइन्ग रेकार्ड। वास्तविक शुल्क ऐसे ग्रामोफोन रेकार्डों पर ही लगेगा जो अधिक कीमती और अधिक समय तक बजते रहने वाली किस्म के होंगे।

76. इन विभिन्न उपायों से कुल मिलाकर 8.33 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

77. मेरा अगला प्रस्ताव कुछ और चीजों को उत्पादन शुल्क की परिधि में लाना है। ये चीजें हैं काष्टिक पोटाश, कार्बन ब्लैक, कार्बाइड टूल टिप, तार के रस्से (वायर रोप) और कुछ रबर रसायन। इन सब चीजों पर (कार्बाइड टूल टिपों को छोड़कर जिन पर 20 प्रतिशत की दर लागू होगी) 10 प्रतिशत की सामान्य दर लागू होगी जो कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर सूची में शामिल कच्ची सामग्रियों पर सामान्य रूप से लगती है। ग्लिसरीन पर अब तक मात्रानुसार शुल्क लगा करता था, वह भी अब इसी कोटि में आ जाएगी। इस कराधान से 3.60 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

78. मैं इस समय मिल रही अनेक रियायतों में भी कुछ परिवर्तन या विस्तार अथवा उनको वापस लेंने का प्रस्ताव करता हूं। उनकी विस्तृत सूचि न देते हुए, मैं प्रत्येक किस्म में से कुछ का ही उल्लेख करूंगा। कुछ मौजूदा रियायतें जो कुछ वर्ष पहले कागज के कारखानों को दी गई थीं अब समयानुकूल नही रहीं हैं। अब मैं उनके बदले कुछ और रियायतें देना चाहता हूं जिनका उद्देश्य कागज के छोटे कारखानों के भावी विस्तार को लाभ पहुंचाना और इस उद्देश्य के लिए नए पूंजी निवेश को आकर्षित करना है। बांस संयंत्र रहित कागज के कारखानों के लिए, मात्रा के आधार पर निर्धारित छूट के व्याप्ति-क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। मौजूदा रियायतों को उदार बनाकर, खोई (बगैस) और पुआल जैसी अपारंपरिक कच्ची सामग्रियों के इस्तेमाल को और बढ़ावा दिया जाएगा। जो रियायतें वापस ली जा रही हैं, वे रेयन यार्न के कुछ उत्पादकों, नीची वोल्टेज वाली बिजली की मोटरों शीशे की चादरों तथा शीशे की प्लेटों, और शीशे के रेशे तथा यार्न से सम्बन्धित हैं। ऐसी प्लास्टिक सामग्रियों से, जिन पर शुल्क अदा कर दिया गया है, बनी हुई एक्रिलिक सीटें और विशिष्ट मोटाई की पी० वी० सी० फिल्में और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित लेफ्लैट ट्यूबें शुल्क-मुक्त कर दी जाएंगी। इन विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 3 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

79. इससे पहले कि मैं सीमा शुल्कों की चर्चा करूं, मैं एक ऐसे विषय का उल्लेख करना चाहूंगा जो दोनों प्रकार के शुल्कों से सम्बन्धित है। सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि संसद उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क पर नियामक शुल्क लगाने के लिए 1963 से वर्ष प्रतिवर्ष, समर्थकारी उपबंधों को मंजूरी देती रही है। नियामक शुल्कों का उद्देश्य केवल कुछ विशेष सयोजनों के लिए विशेष राजस्व सम्बन्धी उपाय करना था। मैं उनके स्थान पर सीधे-सादे, राजस्व इकट्ठा करने वाले नए उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ कारणों से इन उपबन्धों को दर सूचियों में शामिल करना या उनको कराधान कानूनों का हिस्सा बनाना सम्भव नहीं है, इसलिए फिलहाल उनको वर्ष प्रतिवर्ष पुनः प्रवर्तित करना जरूरी होगा। इस समय प्रस्तावित नए उपबन्धों के अन्तर्गत उत्पादन-शुल्क योग्य वस्तुओं पर और आयातित वस्तुओं पर, उनके मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर सहायक शुल्क लगेगा। किन्तु इन सहायक शुल्क को, जहां और जितनी जरूरत समझी गई है छूट देकर, केन्द्र के वास्ते साधन जुटाने के लिए आवश्यक स्तर तक सीमित रखा गया है। इन छूटों के सम्बन्ध में, वित्त विधेयक की संगत धारा में उपयुक्त उपबन्ध किए गए हैं।

80. मैं उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपने प्रस्तावों की सूची को यह बताते हुए समाप्त करूंगा कि मैं उत्पादन शुल्क के विषय में इस उपबन्ध का सहारा किस प्रकार लेना चाहता हूं। एल्यूमिनियम, जूट यार्न और हेसियन-भिन्न जुट उत्पादों, तांबे और जस्ते के मामले में, सहायक शुल्क उसी स्तर पर चालू रहेंगे जिस पर वे नियामक शुल्कों के रूप में अब तक लिये जा रहे हैं। किन्तु स्पात पिंडों और लोहे तथा इस्पात उत्पादों (स्क्रेल्पों को छोड़कर) के मामले में, प्रभावी बुनियादी शुल्क के 75 प्रतिशत की दर लगेगी, जबकि नियामक शुल्क के रूप में अब तक 50 प्रतिशत की दर लगाई जा रही थी। लोहे और इस्पात के मामले में यह उपाय करना, आयातित और देशी माल की कीमतों में पाए जाने वाले अन्तर को कुछ और कम करने के लिए जरूरी है।

81. किन्तु, इस्पात और अन्य सभी धातुओं के मामले में, सहायक शुल्क देशी उत्पादन पर ही लगेंगे और आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में लागू नहीं किए जाएंगे।

82. इस विषय में मैं एक परिवर्तन का और उल्लेख करना चाहूंगा जो मैं बिजली की भट्टियों के द्वारा उत्पादित इस्पात-उत्पादों पर दी जाने वाली छूट के बारे में करना चाहता हूं। ये द्वितीय श्रेणी के इस्पात उत्पादक एकक (यूनिट), जो छीजन (स्क्रैप) पर आधारित हैं, इस समय अपने उत्पादों पर पिंड-स्तर (इन्गट स्टेज) पर लगने वाले शुल्क से मुक्त हैं। यह लाभ जो कि दिसम्बर 1971 तक केवल 75 रुपये प्रति मेट्रिक टन था, तब से लगभग दो-गुना हो गया है, और लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में इस समय जो परिवर्नन किया जा रहा है उससे इसमें और भी वृद्धि हो जाने की सम्भावमा है। ऐसी स्थिति में, मैं भट्टी-इस्पात (फरनेस स्टील) पर, पिंड स्तर पर, 50 रुपये प्रति मेट्रिक टन का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। निस्सन्देह रूप से, इस पर अन्य किस्मों के इस्पात की तरह, बुनियादी शुल्क के 75 प्रतिशत के बराबर सहायक शुल्क लगेगा। मैं इस शुल्क को किसी तरह अनुचित नहीं समझता क्योंकि ऐसा करने पर भी, पिंड स्तर पर, बड़े इस्पात और संयंत्रों की तुलना में, भट्टी-इस्पात के लिए काभी लाभ बच रहता है।

83. इन प्रस्तावों से, नियामक शुल्क हटा देने के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के बाद, 34.60 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से 29 करोड़ रुपये केन्द्र को निलेंगे।

आयात शुल्क

84. अब सीमा शुल्कों पर आ जाना चाहिए जहां मेरे प्रस्तावों को मोटे तौर पर तीन मुख्य शीर्षकों में बांटा जा सकता है।

85. पहला शीर्षक सहायक शुल्कों (आक्ज़ीलियरी ड्यूटी) सम्बन्धित है जिन्हें मैं सीमा शुल्कों के खाते में आयातित वस्तुओं के मूल्य के 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की तीन भिन्न-भिन्न दरों के जरिये लगाने का प्रस्ताव करता हूं। जिन वस्तुओं पर मूल्यानुसार

100 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से प्रभावी सीमा शुल्क लग रहा है उन पर, 20 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगेगा, जिन पर मूल्यानुसार 60 प्रतिशत या उससे अधिक पर 100 प्रतिशत से कम की दर से प्रभावी सीमा शुल्क लग रहा है उन पर 10 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगेगा, और बाकी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत सहायक शुल्क लगेगा। किन्तु अनाज, पुस्तकें, परिवार नियोजन के साधित्र (एप्लायंस) और कुछ अन्य चुनी हुई श्रेणियों की वस्तुएं तथा तीन और चीजें, जिनका मैं अभी उल्लेख करने वाला हूं, सहायक सीमा शुल्कों से पूर्णतः मुक्त रहेंगी।

86. नियामक शुल्क हटा देने से राजस्व की जो भी हानि होगी उसको पूरा करने के बाद, इस उपाय से 36.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

87. दूसरा प्रस्ताव उन शुल्कों की दरों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है जो इस समय टेरिफ और व्यापार विषयक सामान्य करार के अन्तर्गत निर्धारित हैं। सम्बद्ध संविदाकारी पक्षों के साथ पुनः बातचीत होने तक, हमें करार के अन्तर्गत निर्धारित दरों में उतना परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गयी है जो टेरिफ दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक हो। इसके परिणामस्वरूप, मैंने अनेक वस्तुओं पर लगने वाली शुल्क की दरों में परिवर्तन करने का निश्चय किया है। इन वस्तुओं में लकड़ी की लुगदी, चर्बी (टैलो) और प्लास्टिक का कुछ सामान शामिल होंगे। इन दरों के परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में 18.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होने की आशा है।

88. सीमा शुल्क सम्बन्धी मेरा अन्तिम प्रस्ताव यह है कि कुछ चीजों पर शुल्क की मौजूदा दरों में चयनात्मक आधार पर परिवर्तन किया जाए।

89. आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्टीट्यूशन) को और प्रोत्साहन देना तथा हमारे देश में मशीनरी के और विस्तृत उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं महसूस करता हूं कि इस प्रयोजन के लिए राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है, जिसके लिए मैं सभी प्रकार की मशीनरी पर शुल्क की मौजूदा 30 प्रतिशत की दर में सार्वत्रिक वृद्धि करके उसे 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दर कुछ सम्बद्ध चीजों पर भी लागू होगी।

90. कच्ची रूई काफी लम्बे समय से एक विशेष सुविधापूर्ण स्थिति में रही है क्योंकि उस पर 10 पैसे प्रति किलो ग्राम की रियाती दर से केवल नाम मात्र का शुल्क लगता रहा है। चूंकि आयातित रूई मुख्यतः बढ़िया (फाइन) और बहुत बढ़िया (सुपर फाइन) कपड़ों तथा अपेक्षाकृत कीमती किस्म के मिश्रित कपड़ों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल में आती है जो आज की स्थिति को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से, समाज के अधिक संपन्न वर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः मैं इस रियायती दर को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं और कच्ची रूई पर 40 प्रतिशत की सांविधिक दर लगाना चाहता हूं जो कि सीमा शुल्कों की दर सूची में कच्ची सामग्रियों के लिए कराधान का सामान्य स्तर है।

91. फिर भी, कच्ची रूई पर और उसके साथ दो अन्य चीजों, अर्थात् चर्बी (टैलो) और मशीनरी पर सहायक सीमाशुल्क नहीं लगेंगे।

92. तांबे पर अब तक 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करता था, अब उस पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करेगा जो कि अलौह धातुओं पर लगने वाली सामान्य दर है।

93. चूंकि स्टेनलैस स्टील की शीटों पर मुनाफे की गुंजाइश काफी अधिक है, इसलिए मैं उन पर लगने वाली शुल्क-दर का 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। किन्तु, स्टेनलैस स्टील की प्लेटों और पट्टियों (स्ट्रिप) पर शुल्क की दर नीचे अर्थात् 60 प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी।

94. देशी उद्योग को सहायता देने के उपाय के तौर पर, टायर बनाने में काम आने वाले नाइलोन यार्न पर अब तक जो 60 प्रतिशत की रियायती दर लागू थी उसे वापस लेने का प्रस्ताव है।

95. मैं अनुद्भासित सिनमेटोग्राफ फिल्मों के शुल्क की दर को 15 पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे प्रति लीनियर मीटर करने का प्रस्ताव करता हूं।

96. सीमा-शुल्कों की दर में परिवर्तन से सम्बन्धित इन विभिन्न उपायों से एक पूरे वर्ष में 97.30 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।

97. इसके अलावा, उत्पादन-शुल्कों में प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण स्वत: प्राप्त होने वाले प्रतिसंतुलनकारी सीमा शुल्कों से 3.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

98. सारांश यह कि अब तक मैंने उत्पादन शुल्कों और सीमा-शुल्कों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे हैं उन सबसे लगभग 274 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। सीमा-शुल्कों से सम्बन्धित उपायों से लगभग 156 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त होने वाली 118 करोड़ रुपये की राशि में से 38 करोड़ रुपया राज्यों को प्राप्त होगा।

99. जब मैं संक्षेप में उन विभिन्न प्रस्तावों के राजस्व विषयक फलितार्थ का सारांश दूंगा जिनका जिक्र मैं पहले अपने भाषण में कर चुका हूं। 1973-74 में प्रत्यक्ष करों से 18.6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। इसमें से 4.7 करोड़ रुपया राज्यों को प्राप्त होगा और 13.9 करोड़ रुपया केन्द्र के पास रहेगा। उत्पादन-शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों से 1973-74 में 118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस राशि में से 38 से करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा और शेष 80 करोड़ रुपये की रकम केन्द्र को प्राप्त होगी। सीमा-शुल्कों से 156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कुछ मिला कर, मेरे समग्र प्रस्तावों से केन्द्रीय राजस्व को 250 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसका परिणाम यह होगा कि 1972-73 की कर-दरों के अनुसार पहले जो 335 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान लगाया गया था, वह कम होकर 85 करोड़ रुपया रह जाएगा। लेकिन वेतन आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो व्यवस्था करनी पड़ेगी उससे इसमें वृद्धि हो जाएगी।

100. महोदय, भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यह तीसरा नियमित बजट है जिसे इस सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का मुझे गौरव मिला है। इनमें से प्रत्येक बजट में मुझे भारी राशियों के अतिरिक्त कराधान के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पड़े हैं। यह कोई सुखद कार्य नहीं था। लेकिन जनता के प्रति हमारी मूल बचन-बाद्धताओं को पूरा करने और जिन कठिन घड़ियों को हमने पार किया है उनकी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के लिए साधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अनिवार्य था। इस देश में जो गरीबी है और आय तथा सम्पत्ति सम्बन्धी जो असमानताएं विद्यमान हैं उन्हें एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। परन्तु त्वरित सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावशाली साधन के रूप में हमारी लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था में जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए सरकार जिस दिशा की ओर बढ़ने के लिए कृतसंकल्प है, उस दिशा के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। बजट प्रस्तावों का मूल्यांकन समाजवाद, तीव्र गति से आर्थिक विकास और स्वावलम्बी अर्थ-व्यवस्था के प्रति हमारी दृढ़ वचन बद्धताओं के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे का कायाकल्प करने के लिए लगातार बहुमुखी प्रयत्न किया जाए। एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था में जहां अनेक लोगों को पर्याप्त भोजन और कपड़ा प्राप्त न होता हो, हम स्थिति को यथापूर्व कायम रखने की धृष्टता नहीं कर सकते। राजस्व नीति के जरिये इस प्रक्रिया में सहायता मिलनी चाहिए। इस वर्ष का बजट तैयार करते समय मैंने इसी दृष्टिकोण को अपने सामने रखा है।

101. रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए अधिक व्यवस्था करना और सामाजिक कल्याण की चुनी हुई योजनाओं पर लगातार बल दिया जाना, आय और उपभोग सम्बन्धी मौजूदा असमानताओं को कम करने के प्रयत्न के अंग हैं। कृषिक आय और कृषि-भिन्न आय के आंशिक एकीकरण और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर आयकर की अपेक्षाकृत ऊंची दरें लागू करने का उद्देश्य हमारी कर प्रणाली को अधिक समतापूर्ण और प्रगतिशील बनाना है। अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित वृद्धियों से भी इसी प्रयोजन की पूर्ति होगी। मैंने इस बात की निश्चित व्यवस्था करने की भरसक कोशिश की है कि इन अतिरिक्त शुल्कों से जन-साधारण पर कोई अनुचित बोझ न पड़े। दूसरी ओर, भविष्य निधियों और जीवन बीमा के लिए किये जाने वाले अंशदानों के सम्बन्ध में कर सम्बन्धी छूटों को उदार बनाने के प्रस्तावों से अल्प बचत करने वालों को निश्चित रूप से लाभ होगा। 31 मई 1974 के बाद, चुने हुए उच्च प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए प्रारम्भिक मूल्यह्रास सम्बन्धी छूट की व्यवस्था करने से देश का औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ होगा और उससे आत्मनिर्भता के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। अनुसन्धान और विकास के लिए दी जा रही रियायतों से देशी प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में योगदान मिलेगा। निर्यात बाजार के विकास के सम्बन्ध में दी जाने वाली वर्तमान भारित कटौती में जो वृद्धि की गयी है उस पर भी, राष्ट्र के, आत्म-निर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ने के संकल्प के सन्दर्भ में, विचार किया जाना चाहिए। मैंने पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में दिये जाने वाले जिन प्रोत्साहनों का उल्लेख किया है उनसे, विकास के स्तर में विद्यमान प्रादेशिक असमानताओं को, जो स्पष्टतः समाजवादी समाज के आदर्शों से मेल

नहीं खातीं, कम करने में सहायता मिलेगी। मेरे विचार से, 1973-74 का बजट, देश को सामाजिक न्याय पर आधारित, विकासोन्मुख आत्म-निर्भतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए सरकार के एक और प्रयास का द्योतक है।

वित्त विधेयक 1973
FINANCE BILL 1973

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1973-74 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने सम्बन्धी वित्त विधेयक को पुरः स्थापिय किये जाने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष 1973-74 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने सम्बन्धी वित्त विधेयक को पुरः स्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	**249**	**विपक्ष में**	**69**
Ayes	**249**	**Hoes**	**69**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा 1 मार्च, 1973, 10 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Elevent of the Clock or Thursday the 1st March, 1973/Phalguna 10, 1894 (Saka)